असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — शनिवार, तिथि 26 मार्च, 2022 ई0
पंचम सत्र — 05 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-102 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र सं0-217, घोसी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक । योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या- 3924, दिनांक- 10 अगस्त, 2018 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष 3.00 करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान है ।

2- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनांतर्गत पूर्व में प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान था । राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्माण सामग्रियों के मूल्य बढ़ोत्तरी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 से प्रत्येक विधान मंडल सदस्य को प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान मार्गदर्शिका में किया गया ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

4- वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं है । मेरा प्रश्न था मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय विधायकों को सरकार तीन करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अनुशंसा करने को कहती है । प्रत्येक विधान सभा में पन्द्रह सौ के आस-पास गांव, टोला होते हैं, इस प्रकार यदि प्रत्येक गांव के लिए अनुशंसा की जाय तो प्रति गांव 20 हजार रुपये के आस-पास राशि पड़ेगी । इस बढ़ती महंगाई के दौर में कौन सा

विकास कार्य होगा ? और यदि सभी गांव का ख्याल नहीं रखा गया तो माननीय विधायकों को जनाक्रोश का शिकार होना पड़ेगा । मेरा पहला पूरक है महोदय, सरकार का कम राशि देने के पीछे क्या उद्देश्य है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, हम चाहते हैं कि तीनों पूरक एक बार में पूछ लें ।

अध्यक्ष : तीनों पूरक पूछ लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट है । इनका प्रश्न है कि एमाउंट को बढ़ाया जाय । उत्तर में स्पष्ट है कि तीन करोड़ को फिलहाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी कोई योजना नहीं है बढ़ाने का ।

श्री रामबली सिंह यादव : जी । लेकिन मेरा दूसरा पूरक है, मैं पूछ ही लेता हूं । माननीय विधायक तो केवल अनुशंसा करते हैं, कार्य तो सरकार ही कराती है, तो फिर गांव-टोलों की संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार राशि क्यों नहीं बढ़ाना चाहती है ? महोदय, तीसरा पूरक है कि यदि अनुशंसा करने के एक माह के अंदर क्रियान्वयन की शुरूआत नहीं होती है तो क्या सरकार इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई करना चाहेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें प्रोटोकॉल का क्या मतलब है । अनुशंसा करते हैं तो काम में तो थोड़ा वक्त लगता ही है । अनुशंसा होती है, टेंडर वगैरह होने में वक्त लगता ही है, अनुंशसा भी लेट होता है, तो इसमें जो प्रक्रिया है उसके अनुसार काम होता है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय..

अध्यक्ष : आपका क्या है ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम तीन करोड़ से बढ़ायें । इसका मतलब मंत्री महोदय विकास नहीं चाहते हैं, जबकि तीन करोड़ की राशि कब से हमलोगों को मिल रही है । महंगाई बढ़ गयी है..

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट, सुन लीजिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी बैठ जाइये, फिर बोलिएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अगर यह अवधारणा है, यह कांसेप्ट डेवलप हुआ इसलिए, आपके राज में तो था भी नहीं, कांसेप्ट यह डेवलप हुआ कि विधायक घुमते हैं, कहीं

स्कूल की खिड़की टूटी हुई है, कहीं छोटी-मोटी बात है उसकी अनुशंसा वे कर दें इसके लिए विधायक फंड का किया गया बाकि तो पंचायत को फंड जाता है, डिपार्टमेंट को फंड जाता है । नली-गली का कार्य हो रहा है, कई एक चीजें हो रही हैं । बड़े पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं । विधायक को अपनी अनुशंसा करने का अधिकार इतना ही है, इसीलिए...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए । अभी तीन करोड़ को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपके राज में, कांग्रेस ने जो देश के लिए किया, आप क्या कीजिएगा..

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, उन्होंने क्यों ऐसी बात कही । कांग्रेस को आप आईना नहीं दिखाइये । दूसरी बात सर...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं 1990 में जीतकर आया था । कांग्रेस के राज में कितना था 10 लाख और पांच किलोमीटर सड़क अनुशंसा करने का । अब ये तो 1990 में थे नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : सर, मंत्री महोदय ने अभी कहा है और आप सुने भी हैं कि विधायकों को खिड़की टूटी है, शीशा टूटा है यह सब करना है । क्या यह लिखा हुआ है जो आप सदन में बोल रहे हैं । विधायकों को सड़क हो, जो नहीं कर रही है सरकार उसको विधायकों को फंड के द्वारा कराने का अधिकार है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उसके गाईड लाइन निर्धारित हैं । मैंने एक कांसेप्ट की बात कही, उसकी गाईड लाइन निर्धारित है कि छोटे-छोटे कामों के लिए वे अनुशंसा करेंगे । और अगर कहिएगा तो आपने विधायक फंड से क्या-क्या अनुशंसा किया है, तो सबका चार्ट तो है ही । छोटे-छोटे घाट का, चार लाख, पांच लाख, दो लाख, तीन लाख यही सब है, घुम रहे हैं और कोई चीज सामने आयी तो बात हो गयी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय घुमाकर बात कर रहे हैं । विधायकों को अपमानित करने...

श्री मनोज मंजिल : महोदय..

अध्यक्ष : आप बैठिए ।

आप बोलिए, शार्ट में, एक वाक्य में बोलिए ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, हमलोग जो अपनी निधि से काम कराने की अनुशंसा करते हैं उसका तो एक टाइम लिमिटेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस के लिए, चिकित्सा उपकरण के लिए अनुशंसा की थी तो लोग आठ माह लगा दिए, दस माह लगा दिए, तो एक टाइम लिमिटेशन का, यह तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी आयेगा । एक टाइम लिमिटेशन किया जाय कि जो विधायक अपने फंड से सिफारिश करेंगे, सी0ओ0 एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं, एक टाइम लिमिटेशन...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

माननीय मंत्रीजी, आपके गाईड लाइन में अनुशंसा में तो टाइम सबका, समय निश्चित है । कितना समय कहां पर, उसमें तो निर्धारित है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लिखकर भेज दें उसकी जांच करायी जायेगी । कोई गलती होगी तो सजा दी जायेगी । ऐसे कह देने से थोड़े हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया । विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सबको ज्यादा इंटरेस्ट है । बोलिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, पिछले बार जो पैसा काटा गया था दो-दो करोड़ रुपया उसको कहां खर्च किया गया ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, विधायक निधि से पुल-पुलिया का काम कराया जाता था, यहां तक कि विधायक लोग पुल निर्माण निगम को भी दिया करते थे । अभी विधायक निधि में पुल-पुलिया बनाने की कोई योजना नहीं है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि आर0ई0ओ0 की सड़क पर आर0ई0ओ0 बना रहा है, पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क पर पी0डब्ल्यू0डी0 बना रहा है..

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री राहुल तिवारी : नहीं, छोटे-मोटे काम करते हैं, पुल-पुलिया का काम विधायक निधि से होता था और हमलोग, मंत्रीजी का यह कहना गलत है, हमलोग जनप्रतिनिधि हैं..

अध्यक्ष : मंत्रीजी, के संज्ञान में आ गया है, अब बैठ जाइये हो गया, बहुत सारे प्रश्न हैं ।

माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार चौधरी । पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है ।

(व्यवधान)

आप लिखकर दे दीजिए । मंत्रीजी ने कहा है कि लिखकर दे दीजिए ।

माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-103 (श्री अशोक कुमार चौधरी, क्षेत्र सं0-92, सकरा (अ0जा0))

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

कर्नाटक में पी0जी0 पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु Karnatka Examinations Authority e-Information Bulletin-NEET PG-2021 की कंडिका 4.1 (e) में अंकित प्रावधान के अनुसार "A candidate who is citizen of India, and has studied and passed MBBS/BDS in a recognized Medical/Dental Institution in the state of Karnataka." एवं "A candidate who is Citizen of India and has studied and passed MBBS/BDS in a recognized Medical/Dental Institution outside the state of Karnataka." पी0जी0 पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अर्हता प्राप्त हैं ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : क्या मंत्री महोदय, यह बात सही है कि राज्य के...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत स्टेट कोटा अंतर्गत पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य अर्हता राज्य अंतर्गत किसी कॉलेज में एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न तो है ही पूरक पूछिए । क्या उत्तर नहीं मिला है ?

श्री अशोक कुमार चौधरी : महोदय, हम पूरक कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, जो अदर स्टेट से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण करते हैं उसके यहां एडमिशन के लिए, बिहार का नहीं होता है । जो 50 परसेंट स्टेट कोटा दिया गया है उसमें हमारे बिहार के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है । अदर स्टेट कहता है कि आप वहां का आवासीय लाइये । बिहार के बच्चों को अदर स्टेट में कहता है कि वहां का आवासीय लाइये और यहां हमारा गवर्नमेंट कहता है कि आप वहां से उत्तीर्ण हुए हैं तो आप वहीं जाइये, तो आखिर यहां के बच्चे कहां जायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्टता से जवाब दिया है । राज्य के बच्चे जो बाहर रहकर पढ़ते हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : पी0जी0 में जो एडमिशन होता है हमारे राज्य के मेडिकल कॉलेजों के अंदर, तो 50 प्रतिशत सीट तो रहती ही है उन बच्चों को लिए । बिहार के बच्चे जो बिहार से बाहर कहीं पढ़ते होंगे, तो 50 परसेंट तो ओपेन है राज्य से बाहर वालों के लिए उसमें तो हमारे बिहार के बच्चे आते ही हैं ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : महोदय, उत्तर जो दिया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं । बिहार के छात्र जो अन्य राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक यहां तक कि झारखंड में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई पूरी किये हैं उसे वहां पी0जी0 पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अन्य राज्य का निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है । -क्रमशः-

टर्न-2/हेमन्त/26.03.2022

श्री अशोक चौधरी(क्रमशः) : जिससे हमारे यहां के छात्र नामांकन से वंचित हो जा रहे हैं । अब कहां जायं यहां के छात्र, यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं झारखंड का पढ़ देता हूं । झारखंड का तो बहुत साफ है कि The candidate must have passed MBBS examination from any university colleges of Jharkhand state. झारखंड से बाहर वालों को तो वहां मिलता ही नहीं है । हम तो जो कह रहे हैं कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर पढ़ते हैं उनके लिए 50 परसेंट सीट हम रखते हैं, उनका एडमिशन होता है । माननीय सदस्य झारखंड का उदाहरण दे रहे हैं झारखंड में तो ऐसी सुविधा ही नहीं है ।

श्री अशोक चौधरी : महोदय, हमारा कहना यह है कि जब अदर स्टेट के बच्चे का जब बिहार में एडमिशन हो सकता है, तो बिहार के बच्चे का दूसरे स्टेट में एडमिशन क्यों नहीं होगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, यह किसी भी राज्य सरकार का विषय है । अब दूसरी राज्य सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री अशोक चौधरी : तो अपने राज्य में तो हो सकता है न । जो बाहर से पढ़ कर आता है तो बिहार में उसका एडमिशन क्यों नहीं होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी का साफ जवाब है कि 50 परसेंट यहां का नीतिगत फैसला लेकर करते हैं ।

श्री अशोक चौधरी : महोदय, हमारा कहना यह है कि बिहार का बच्चा जो अदर स्टेट से...

अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिलकर और समझ लीजिए । मंत्री जी ने समझा दिया, नीति बता दिये, अगर नहीं समझे हैं, तो अलग से ही तो समय मिलेगा । यहां समय की पाबंदी है न ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह था कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से बैठ जाइये, बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, प्रश्नकर्ता का कहना यह है कि झारखंड स्टेट या कर्नाटक की तरह हमारे राज्य के बच्चों को ही, हमारे राज्य के बच्चे जो राज्य के अंदर पढ़ते हैं उसके संपूर्ण एडमिशन की जिम्मेवारी सरकार शत प्रतिशत लेती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है, आपका प्रश्न स्पष्ट है । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं माननीय चन्द्रशेखर जी को भी झारखंड के बारे में बताया था, कर्नाटक का भी पढ़ देता हूं । कर्नाटक का लिखा हुआ है कि Karnatka Examinations Authority e-Information Bulletin-NEET PG-2021 की कंडिका 4.1(e) में अंकित प्रावधान के अनुसार "A candidate who is citizen of India and has studied and passed MBBS/BDS in a recognized Medical/Dental Institution in the state of Karnataka." एवं "A candidate who is Citizen of India and has studied and passed MBBS/BDS in a recognized Medical/Dental Institution outside the state of Karnataka." तो जो कर्नाटक का आप उदाहरण दे रहे हैं वहां भी राज्य के बाहर के पढ़ने वाले बच्चों को भी वह अवसर देता है, हम भी अवसर दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बिहार के बच्चे दूसरे राज्य से पास करते हैं तो उसको बिहार के कोटा में अवसर मिलेगा कि नहीं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं तो कह रहा हूं महोदय कि यह नीतिगत निर्णय है और नीतिगत निर्णय सब राज्य सरकारें लेती हैं । हर राज्य सरकार की अपनी-अपनी नीति है । मैं किसी राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं अपने स्टेट के लिए ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अपने राज्य के लिए मैंने शुरू में ही बताया 50 प्रतिशत जो हमारे राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पूरी तरीके से..

अध्यक्ष : दूसरे स्टेट से पास किये हुए को भी मिलेगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : और 50 परसेंट दूसरे राज्य से पढ़कर आयेंगे उसका कोटा ओपन कोटा है 50 प्रतिशत का ।

अध्यक्ष : स्पष्ट है । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-104(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री मनोज कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-105(श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र सं0-16, कल्याणपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-106(श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1-स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माह दिसम्बर, 2020 के अंतिम सप्ताह में भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित भवन को BMSICL, पटना को हस्तगत कराया गया है । उक्त भवन में कई प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन एवं उपकरणों आदि की व्यवस्था करते हुए अस्पताल को कार्यशील करने हेतु BMSICL, पटना द्वारा कार्य कराया गया है ।

2- स्वीकारात्मक है । BMSICL, पटना द्वारा इस भवन में उपकरणों के अनुरूप संरचनात्मक परिवर्तन करते हुए सभी आवश्यक उपकारणों की आपूर्ति की जा चुकी है । Cath Lab, Cardiac C.T. Scan सहित ऑपरेशन थियेटर से संबंधित उपकरण आदि के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2022 के अन्त तक पूर्ण कराकर अस्पताल को अप्रील माह से क्रियाशील किया जायेगा ।

3- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर संलग्न है । हम माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2020 में भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया और BMSICL को दिया गया । कह रहे हैं कि अप्रैल माह में चालू कर देंगे 2022 में, तो दो साल विलंब का क्या कारण है और कह रहे हैं कि सभी सामान की आपूर्ति कर दी गयी है, तो क्या तिथि है आपूर्ति कर देने की यह बतायें ? अप्रैल फूल नहीं न बनाइयेगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैंने 1 अप्रैल नहीं लिखा है ललित जी, मैंने अप्रैल महीना लिखा है । अप्रैल फूल तो 1 अप्रैल को होता है । 1 अप्रैल यदि हम लिखते, तो आप ऐसा मान लेते ।

महोदय, हम सब जानते हैं कि पिछले दो वर्ष से संपूर्ण दुनिया किस महामारी से लड़ाई लड़ रही है और उसके कारण कोई भी निर्माण कार्य हो या सेवा का विस्तार कार्य हो, वह बाधित हुआ है और खासकर स्वास्थ्य विभाग जिसकी पूरी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने पर थी और उस काम को, कोरोना के कार्य को बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने राज्य के अंदर किया है । आई0जी0आई0सी0 के जो नये भवन में इन सारी सुविधाओं को देना है, उस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया कि जब ये भवन, हम सब लोगों को भवन निर्माण विभाग से 2020 के अंतिम सप्ताह में मिला है, लगभग सवा साल हुए हैं और इस बीच में कार्डियक यूनिट होता है उसमें बहुत ही आवश्यक महंगे उपकरणों को लगाना होता है जिसमें कैथलैब एक बहुत ही आवश्यक व्यवस्था होती है और कैथलैब की स्थापना करना, उसके अनुसार वहां पर मानव बल की व्यवस्था करना यह सब एक विशेष प्रकार का कार्य होता है, यह कोई सामान्य हॉस्पिटल नहीं है कि सामान्य हॉस्पिटल खुल गया । अति विशिष्ट प्रकार के, केवल विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट सेवा का अस्पताल है और जैसा मैंने कहा है सभी उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं । फरवरी और मार्च के महीने में, अभी जो फरवरी बीता और इस मार्च के महीने में कैथलैब के भी जो अंतिम उपकरण आने थे वह सारे उपकरण आ गये हैं । मैंने परसों स्वयं इस विषय को लेकर विभाग में समीक्षा की...

श्री ललित कुमार यादव : केवल आप डेट बता दीजिए कि कब आप उपकरण की आपूर्ति....

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : डेट आप पूछ रहे हैं मैं महीना बता रहा हूं । फरवरी और मार्च के महीने में ये उपकरण आये हैं 2022 में और ये सारा इन्स्टॉल हो रहा है और अप्रैल के महीने में उस अस्पताल में यह सेवा शुरू कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ई0 शशि भूषण सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-107(ई0 शशि भूषण सिंह, क्षेत्र सं0-11, सुगौली)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक । चिकित्सकों के द्वारा रविवार को भी सभी वार्डों में राउंड दिया जाता है । साथ ही आकस्मिकी में सभी विभाग के चिकित्सक 24×7 उपस्थित रहते हैं ।

2- स्वीकारात्मक ।

3- बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2022 संशोधन की प्रक्रिया में है । अनुमोदन के पश्चात नियमित नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधियाचना भेजते हुए अग्रेतर कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में करायी जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

ई0 शशि भूषण सिंह : पूरक है सर कि रविवार के दिन पी0एम0सी0एच0 में और दयानंद इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों द्वारा राउंड नहीं लगाया जाता है और राउंड नहीं लगाया जाता है, तो उस दिन मरीजों को काफी कठिनाई होती है और क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको भर्ती कराने में भी कठिनाई होती है । दूसरा है सर, मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 55 मरीज हैं बर्न वार्ड में और एक ड्रेसर है । एक ड्रेसर 55 मरीज को कैसे संभाल सकता है । कृपया बताने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि 55 मरीज पर एक ड्रेसर का पद सृजित है । स्वीकारात्मक है, इसको मैंने माना है, लेकिन यह जो परिधापक है, परिधापक संवर्ग नियमावली, 2022 संशोधन की प्रक्रिया में है और जब भी कोई नियमित सेवा सरकार के द्वारा दी जानी होती है या विज्ञापित करना होता है, तो सेवा नियमावली बहुत जरूरी होती है और यह सेवा नियमावली का संशोधन हो रहा है और मैंने लिखा है कि अनुमोदन के पश्चात नियमित नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधियाचना भेजते हुए अग्रेतर कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में करा ली जायेगी । अगला वित्तीय वर्ष 4-5 दिन में शुरू हो जायेगा । इसीलिए मैंने अगले वित्तीय वर्ष की चर्चा की है । तो जो माननीय सदस्य की चिंता है, हम उस चिंता से सहमत हैं और हम उस सेवा को बेहतर करना चाहते हैं और इस काम को हम करेंगे, यह बात हमने कही है ।

ई0 शशि भूषण सिंह : कब तक हो सकता है माननीय मंत्री जी ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैंने अगला वित्तीय वर्ष लिखा । इसलिए अगला वित्तीय वर्ष लिखा कि 8 दिन के बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री शमीम अहमद ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/26.03.2022

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3021 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र संख्या-12, नरकटिया)</u>

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : उत्तर तो संलग्न है ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, आते वक्त तक जवाब नहीं मिला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप तो बहुत पीछे हैं, उसके पहले भी कई का है । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । जवाब पढ़ दीजिये, उनको जवाब नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जवाब नहीं मिला है ?

अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ....

अध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्य जवाब को एक बार देख लिया करें । देखिये, जवाब आया हुआ है। हमलोग 10 बजे निकलवाते हैं, सब आ जाता है ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, आते वक्त नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 2- आंशिक स्वीकारात्मक है वस्तुतः वर्णित किसी भी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, छौड़ादानों के मुख्यालय की दूरी 45 किलोमीटर से कम ही है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है:-

1) घोड़ासहन से नरकटिया की दूरी लगभग 32 कि0मी0 है ।
2) घोड़ासहन से मठिया भोपत की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है।
3) घोड़ासहन से बनकटवा की दूरी लगभग 08 कि0मी0 है ।
4) घोड़ासहन से छौड़ादानों की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है ।
5) घोड़ासहन से आदापुर की दूरी लगभग 30 कि0मी0 है ।

3- विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित मुख्य कार्य यथा विद्युत संबंध, बिल सुधार एवं विद्युत अपूर्ति से संबंधित समस्याओं आदि का सम्पादन/निष्पादन विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय के स्तर से किया जाता है । उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्युत अपूर्ति अवर प्रमंडल, घोड़ासहन के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में घोड़ासहन, बनकटवा, आदापुर तथा छौड़ादानों चार विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय कार्यरत है जिसके अंतर्गत क्रमशः 32411, 16126, 30379 एवं 26371 उपभोक्ता है ।

अतः वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में नरकटिया/छौड़ादानों में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय का सृजन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, एक तो उसमें सुधार करवा दिया जाय कि नरकटियागंज नहीं है, नरकटिया है । नरकटियागंज पश्चिमी चम्पारण में है और दूरी ज्यादा होने की वजह से आदापुर के आदमी को भी घोड़ासहन आना पड़ता है । महोदय, वहां 30 किलोमीटर की दूरी है तो वहां से....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा का कार्यालय सभी जगह है तो सभी जगह अनुमंडल बनाना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री सुदामा प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3022 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र संख्या-196, तरारी)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1 एवं 2 - भोजपुर जिला के देव गांव पर्यटन रोडमैप प्रारूप की सूची में शामिल है ।

3- बनास नदी से जुड़ी पईन रैयती भूमि पर जमाबंदी रैयत की सहमति से निर्माण कराया गया था लेकिन तालाब से 200 मीटर की दूरी पर जमाबंदी रैयत द्वारा अपने भूमि को समतल कर खेती किया जा रहा है । पईन का निर्माण सरकारी भूमि पर नहीं किया गया था बल्कि रैयती भूमि पर किया गया था । साथ ही अवैध कब्जा का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है ।

4 - वर्णित स्थल पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि अभी तक वर्णित स्थल पर कोई योजना स्वीकृत क्यों नहीं की गई ? चार साल हो गया है और दूसरा पूरक है कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री जी देव गांव में पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह जमीन रैयती है । रैयती भूमि में हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं । पहले से 200 मीटर रैयती भूमि को वे लोग समतल कर खेती-गृहस्ती कर रहे हैं । वहां तो हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं । यदि रैयती जमीन के लोगों से स्वीकृति मिल जाय तब हमलोग कोई योजना बनाकर उस पर काम करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, यह पईन के बारे में मंत्री जी का जवाब है । हम पूछ रहे हैं कि जो पौराणिक मंदिर है वह तो रैयती भूमि में नहीं है या फिर जो बड़ा पोखरा है वह तो रैयती भूमि में नहीं है, बहुत बड़ा पोखरा है तो उसके सौंदर्यीकरण का और मंदिर के पुनर्निर्माण का सरकार अगले वित्तीय वर्ष में योजना बनायेगी ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य लिख कर देंगे कि पर्यटन विभाग को क्या-क्या काम करना है तो उस पर विचार कर हम उसके अनुसार काम करेंगे ।

अध्यक्ष : लिख कर दे दीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, हमलोग पिछले माननीय मंत्री जी को दिये थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बड़ा सकारात्मक जवाब दिये हैं । सुदामा जी मंदिर की इतनी गंभीरता से चिंता कर रहे हैं तो आप इसे गंभीरता से लें । ठीक है ।

श्री सुदामा प्रसाद : मंत्री जी को धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3023 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र संख्या-18, मधुबन)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, पकड़ीदयाल में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के कुल-09 स्वीकृत पद के विरुद्ध 09 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं । जिनमें से डा॰ फरहा अत्ता एवं डा॰ कुणाल किशोर अध्ययन अवकाश पर हैं । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डा॰ सुभाष चन्द्र बोस (जेनरल मेडिसीन) पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । साथ ही कुल-25 ए॰एन॰एम॰ एवं एक प्रयोगशाला प्रवैधिकी पदस्थापित हैं । पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है ।

3- भविष्य में होने वाली नियुक्ति के उपरान्त अनुमंडलीय अस्पताल, पकड़ीदयाल में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है । सकारात्मक जवाब के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चम्पारण में माननीय मंत्री जी ने जो मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है उसके लिए भी इनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री चन्द्रशेखर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3024 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र संख्या-73, मधेपुरा)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा एवं गम्हरिया में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं जिससे प्रसव आदि में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धैलाढ़ में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भतरंधा (धैलाढ़) में पदस्थापित महिला चिकित्सा पदाधिकारी डा॰ रचना कुमारी द्वारा सप्ताह में दो दिन प्रथम पाली में उक्त केन्द्र पर मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 110 स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । नियुक्ति के उपरान्त महिला चिकित्सा पदाधिकारी की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धैलाढ़ में पदस्थापन की जायेगी ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रश्न आंशिक स्वीकारात्मक है और 110 स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जायेगी तो मैं पूछना चाहूँगा कि यह नियुक्ति कब तक हो जायेगी चूंकि बहुत पीड़ा होती है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई की जा रही है, की जायेगी नहीं । ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न करने में दो महीने और लग सकते हैं तो इस दो महीने के बाद वहां पर मैं प्राथमिकता पर माननीय सदस्य ने जिस स्थान पर आग्रह किया है उस स्थान पर उनकी नियुक्ति करवायी जायेगी ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, जवाब के लिए धन्यवाद । दूसरा पूरक .....

अध्यक्ष : अब धन्यवाद के बाद कोई प्रश्न नहीं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, बात गंभीर है । उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए चूंकि महोदय उपस्थिति की स्थिति क्या है इससे आप भी अवगत होंगे । चिकित्सा कर्मियों एवं पदाधिकारियों या चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए पी0एच0सी0 से लेकर ए0पी0एच0सी0 तक बायोमेट्रिक पद्धति लागू करवाना चाहते हैं, अगर लागू है तो खराब पड़ी हुई है । इसके लिए जिम्मेवारी प्रभारी को निर्धारित करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, इससे संबंधित प्रश्न होगा तो उसका अलग से जवाब दे देंगे। ऐसे माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रश्न आगे शायद होंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री रामविलास कामत ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3025 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र संख्या–42, पिपरा)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बेलौखरा का चहारदीवारी नहीं है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता को देखते हुए विहित प्रक्रियानुसार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदीवारी के निर्माण का निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में आंशिक स्वीकारात्मक है लेकिन इसमें दर्शाया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता को देखते हुए विहित प्रक्रियानुसार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा । ऐसा ही एक प्रश्न संख्या–3513 का है, दोनों में एक ही जवाब है कि राशि की उपलब्धता के अनुसार तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राशि की उपलब्धता कब तक हो पायेगी ? बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, कोई भी कार्य तो बिना राशि के होगा नहीं और मैंने साफ कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को करा दूंगा । यह वित्तीय वर्ष अब समाप्त हो रहा है तो नई कोई भी योजना स्वीकृत करनी होगी तो हम सब माननीय सदस्य हैं, व्यवस्था को जानते हैं । अब तो नई योजना अगले ही वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करेंगे और वह करवाउंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ऋषि कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3026 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या–220, ओबरा)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री (लिखित उत्तर) : जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से विभागीय ज्ञापांक–686, दिनांक–10.03.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । पुनः दिनांक–14.03.2022, दिनांक–16.03.2022 एवं दिनांक–23.03.2022 को ई–मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड स्थित रतनपुर पंचायत के मनेरा में बुद्ध भगवान स्मृति स्थल पर्यटन रोडमैप प्रारूप में शामिल है ।

उक्त स्थल पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरक है कि क्या सरकार ने इसको पर्यटन रोडमैप में जोड़ने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटक स्थल में इसको जोड़ दिया गया है । डी0एम0 से रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि क्या-क्या काम होगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : जल्द-से-जल्द ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । बैठ जाइये ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोल दिये कि जल्द-से-जल्द हो जायेगा ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? मैं यह जानना चाह रहा हूँ ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, हमलोगों ने तो तीन-तीन लेटर डी0एम0 को लिखा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये । श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि कब डी0एम0 को पत्र भेजा गया है ?

अध्यक्ष : ये नहीं पूछ रहे हैं । अब आप पूछ रहे हैं । माननीय मंत्री जी, बता दीजिये कि कब पत्र भेजे हैं ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, एक तो भेजा गया है ज्ञापन संख्या-686, दिनांक-10.03.2022, जिसमें प्रतिवेदन की मांग की गई है । पुनः दिनांक-14.03.2022, फिर दिनांक- 16.03.2022 एवं दिनांक-23.03.2022 को ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बहुत गंभीर सवाल है । सरकार का चार-चार पत्र जाने के बाद भी डी0एम0 का प्रतिवेदन नहीं आना और इस तरह का सदन में बराबर जवाब आ रहा है । दो-दो साल से डी0एम0 से प्रतिवेदन मांगा जा रहा है और डी0एम0 प्रतिवेदन नहीं भेज रहे हैं तो सरकार कोई समय-सीमा सुनिश्चित करे । चार-चार पत्र गया....

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, दो-दो, तीन-तीन दिन के अंदर में पत्र गया है डी0एम0 के यहां से उसका प्रतिउत्तर आ जाने के बाद ...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी इसे गंभीरता से लिये हैं लेकिन डी0एम0 गंभीरता से नहीं लिये हैं तो क्या डी0एम0 पर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, हम डी0एम0 से डायरेक्ट बात करते हैं और जो प्रतिवेदन आयेगा उसके आधार पर काम होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको गंभीरता से लेकर आप चलते सत्र में जवाब मंगा लीजिये। श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3027 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र संख्या–70, आलमनगर)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब 9 बजे तक नहीं आया था । जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : जवाब नहीं आया है । माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग । जवाब पढ़ दीजिये ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में विशुराऊत मंदिर, मधेपुरा के विकास हेतु 36,39,500/– रुपये की योजना स्वीकृत की गई थी । इस योजना के अंतर्गत मंदिर का सौंदर्यीकरण, परिसर का विकास, बाह्य विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था का कार्यघटक स्वीकृत था । इस योजना की कार्यकारिणी एजेंसी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस योजना में 29,84,949/– रुपये व्यय कर अवशेष राशि वापस कर दिया गया ।

पर्यटन विभाग के पत्रांक–2302, दिनांक–31.12.2021 एवं पत्रांक–743, दिनांक–13.03.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

पर्यटन विभाग में पोखरा का अधिग्रहण करने संबंधी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : ठीक है, पूछिये ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994 के करीब तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी वहां गये थे और उन्हीं के निदेश पर वहां पर पोखरे की खुदाई हुई थी । वहां के बी0डी0ओ0, डी0डी0सी0 ने उस पोखरे की खुदाई की थी और वह पोखरा बाबा विशुराऊत स्थान के परिसर में है तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्यटकों की सुविधा हेतु क्या सरकार उस पोखर का अधिग्रहण कर उसके जीर्णोद्धार का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, वह निजी पोखरा है, उसको अधिग्रहण करने की बात माननीय सदस्य ने हमसे की थी, बातचीत हुई थी, हमने इस पर अपने पदाधिकारियों को कहा कि

डी0एम0 से बात कर इस पर रिपोर्ट ले लिया जाय कि कैसे किया जायेगा और उसके उपरांत इस पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मिथिलेश कुमार ।

टर्न–4/संगीता/26.03.2022

तारांकित प्रश्न संख्या–3028 (श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र संख्या–28, सीतामढ़ी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : स्वीकारात्मक है ।

दिनांक– 25.03.2022 से पूर्वी मुख्य द्वार खोल दिया गया है ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : कार्य हो गया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के त्वरित और अनुकरणीय कार्य पद्धति के जज्बे को सदन के माध्यम से सलाम करता हूं और उनके लिए एक शब्द बोलना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मुकेश कुमार रौशन ।

श्री मिथिलेश कुमार : A Leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार रौशन ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3029 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या–126, महुआ)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1– जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक मालिक राय, पिता–स्व0 सिताराम राय, पंचायत–चांदपुरा के पुत्र कमलेश राय को चेक संख्या–164051 द्वारा अनुग्रह की राशि मो0–4.00 लाख (चार लाख) रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

मृतक हरिकांत राय, पिता–त्रिभुवन राय, ग्राम–नगरगामा की पत्नी श्रीमती सुनिता देवी को चेक संख्या– 164052 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि मो0–4.00 लाख (चार लाख) रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

पवन राय पिता–नरेश राय, विपिन कुमार, पिता–शिवकुमार राय, पवन राय, पिता–अखिलेश राय तथा रामजी राय से संबंधित दावा/आवेदन पत्र अंचल कार्यालय, राघोपुर में उपलब्ध नहीं कराया गया है । अंचल अधिकारी, राघोपुर के द्वारा राजस्व

कर्मचारियों को निदेश दिया गया है कि व्यक्तिगत संपर्क कर आवेदन एवं साक्ष्य प्राप्त करें।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, राघोपुर की घटना है, गंगा नदी में डूबने से 5-6 लोगों की मौत हुई थी महोदय आपदा में और ठनका गिरने से भी मौत हई थी, इसमें 2 लोगों की राशि कल मिल गई है महोदय, 4-5 लोगों का और बचा हुआ है महोदय आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि कम से कम इसको जल्द करवा दें चूंकि बिना चढ़ावा के महोदय, कल भी जो राशि मिली है बिना चढ़ावा के राशि नहीं मिलती है महोदय अंचल में जो कर्मचारी हैं और जो अंचलाधिकारी है उसको । कम से कम जल्द आदेश करें और समयसीमा बताएं कि कब तक करेंगे महोदय ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक मालिक राय, पिता-स्व0 सिताराम राय पंचायत-चांदपुरा के पुत्र कमलेश राय को चेक संख्या-164051 द्वारा अनुग्रह की राशि मो0-4.00 लाख (चार लाख) रुपये का भुगतन कर दिया गया है ।

मृतक हरिकांत राय, पिता-त्रिभुवन राय, ग्राम-नगरगामा की पत्नी श्रीमती सुनिता देवी को भी मो0-4.00 लाख (चार लाख) रुपये अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गई है, भुगतान हो चुका है लेकिन पवन राय पिता-नरेश राय, विपिन कुमार, पिता-शिवकुमार राय, पवन राय, पिता-अखिलेश राय तथा रामजी राय से संबंधित दावा/आवेदन पत्र अंचल कार्यालय, राघोपुर में उपलब्ध नहीं कराया गया है । अंचल अधिकारी, राघोपुर के द्वारा राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया गया है कि व्यक्तिगत संपर्क कर आवेदन एवं साक्ष्य प्राप्त करें । इसके अलावा भी हमलोगों ने और भी इनसे बात की, हमलोगों ने डी0एम0 को कहा है कि जितना जल्दी हो सके उसको देख लें और जैसे ही पेपर आएगा उसके बाद हम राशि कर देंगे । जब हम 2 का कर दिए हैं तो 4 का करने में क्या आपत्ति जाती है सरकार को, जब सरकार को है देना तो उसमें देने में क्या आपत्ति है, वहां से पेपर आ जाय हम देने के लिए तैयार हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को देखा जाय कि 21 अगस्त में महोदय, हमलोग 22 अगस्त से भी एक साल से भी ऊपर हो गया और ये गरीब लोग हैं महोदय और इनको 1 साल नहीं मिलने के कारण क्या सरकार इसके लिए कोई दोषी पदाधिकारी को चिन्हित नहीं करना चाहती है ? एक साल से ऊपर हो गया महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, हमने स्पष्ट कहा कि जो जिला से प्रतिवेदन आया है निश्चित रूप से 6 परिवार का आपने उल्लेख किया है, 2 परिवार का हमें साक्ष्य मिला था, साक्ष्य के आधार पर मेरे पास आवेदन आया, हमने उसको राशि उपलब्ध करा दी, 4 का साक्ष्य हमारे पास जैसे ही आएगा इसके लिए हमलोगों ने वहां के डी0एम0 को भी लिखा है जैसे ही आता है, आते ही हमलोग कर देंगे, जब आएगा तो उसके बाद तुरंत कर देंगे । हम फिर से डी0एम0 साहब को आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी दे दें हमें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह गंभीर मामला है...

श्री राहुल तिवारी : महोदय, इसमें क्या नियम है कि कितने दिनों में पैसा मिलेगा जो होता है या अन्य दुर्घटना या आपदा में कोई समय सीमा है ?

अध्यक्ष : कोई समय सीमा तय है ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमारे यहां यह है कि जब प्रतिवेदन आता है जिला से और जिला के प्रतिवेदन प्राप्त होते ही, जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम पैसा देते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जायं । माननीय मंत्री जी आप जानकारी प्राप्त करके सबमें आज आपका देखिए प्रश्न के बाद या प्रश्न के पहले आप भुगतान कर दिए हैं, आप बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही हैं, समयसीमा तय करवा लीजिए और समयसीमा के अंदर लोगों को भुगतान हो यह विभाग के अंदर सुनिश्चित करवाइये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, पूछता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया, मंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ विभाग में इसकी गहन समीक्षा कर निश्चित करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है, करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : समयसीमा उसका बता देंगे तो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं अब हो गया, वे कर लेंगे, देख लेंगे जल्द से जल्द ।
श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : 4 ही नहीं, जहां का भी है सबकी वे समीक्षा कर लेंगे, ठीक है ।
श्री समीर कुमार महासेठ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3030 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री दिलीप राय ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, अनाथ बच्चों का सवाल है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आगे बढ़ चुके हैं अब, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3031 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र संख्या-26, सुरसंड)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक अर्पित कुमार की माता श्रीमती रंजना देवी के बैंक खाता सं0-36499833618 में RTGS के माध्यम से अनुग्रह अनुदान की राशि मो0-4.00 लाख (चार लाख) रुपया का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री दिलीप राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि का भुगतान कर दिया गया है इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3032 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गुरूआ)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी मेसर्स पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 एवं सम्मान फाउन्डेशन, पटना के माध्यम से 102 आतुरवाहन का संचालन दिनांक- 29.07.2017 से किया जा रहा है ।

102 आतुरवाहन सेवा प्रदाता मेसर्स पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 एवं सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा पटना में 102 केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है, जो 24x7 कार्यरत रहता है । आतुरवाहन की मांग करने वालों का कॉल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीकॉलर कार्यरत है । 102 टॉल फ्री नम्बर पर कॉल कर आतुरवाहन सेवा प्राप्त की जाती है । किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र का आतुरवाहन खराब रहने या व्यस्त रहने की स्थिति में केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध आतुरवाहन को मरीजों के परिवहन हेतु उपलब्ध कराया जाता है । गया जिले में कुल 24 प्रखण्डों, सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में मिलाकर कुल 51 आतुरवाहन संचालित हैं जिसमें विगत एक वर्ष में कुल 52,029 मरीजों को सेवा प्रदान किया गया है।

विदित हो कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के स्तर से एक हजार नये एम्बुलेंस का क्रय प्रक्रियाधीन है ।

उक्त क्रय के उपरान्त राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो-दो नये एम्बुलेंसों (ALS) की सुविधा प्रदान कराये जाने की योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले हैं कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । महोदय, हम बोले थे कि पशुपति फाउंडेशन सम्मान जो एम्बुलेंस चलाती है, वह हमारे विधानसभा में तीन प्रखंड है-गुरूआ, गुरारू और परैया, वहां पर एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते दर्जनों लोगों की जान चली गई है लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि गया जिला में 24 प्रखंड है, ये अनुमंडल है हम 52 हजार मरीजों को ढ़ोये हैं, हम महोदय साफ शब्दों में कहे थे कि जो दोषी आपके जो एम्बुलेंस फाउंडेशन जो पशुपति है, देखिए यहां पर है, श्राद्ध कराने जा रहे पंडित जी की हादसे में एंबुलेंस नहीं मिलने से तड़प-तड़प कर मौत, ये गुरूआ के राजेन्द्र शर्मा जी का, परैया में है एम्बुलेंस में तेल नहीं रहने से घंटों तक तड़प कर सड़क दुर्घटना में तड़प कर युवक की मौत तो कैसे दर्जनों लोगों की मौत हुई है और इस तरह से आपके एम्बुलेंस के वहां पर ड्राईवर या जो प्रबंधक हैं वे कभी कहते हैं कि तेल नहीं है, कभी ड्राइवर नहीं है, कभी बोलते हैं गाड़ी खराब हो गई है, गैरेज में गया है...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री विनय कुमार : मेरा पूरक है महोदय कि वैसे जो एजेंसी हैं उस पर कार्रवाई करें उसको जो 2017 में इन्होंने उनको दिया है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न अंकित किया है उसमें यदि गुरारू और परैया के बारे में स्पेसिफिक पूछा होता तो मैं वहां की भी जानकारी देता । प्रश्न में माननीय सदस्य ने संपूर्ण गया जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संदर्भ में जानकारी मांगी है इसलिए 52 हजार 29 मरीजों को एम्बुलेंस से जो लाया गया है अस्पताल, पहुंचाया गया है चूंकि माननीय सदस्य संपूर्ण गया जिले के बारे में जानना चाहते थे इसलिए हमने संपूर्ण गया जिले के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करायी है । गुरारू और परैया के बारे में माननीय सदस्य अभी हमको जानकारी दे रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं मैं भी स्वास्थ्य मंत्री के नाते व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहता हूं, कहीं कठिनाई, परेशानी यदि है कोई कमी है तो उसको दुरूस्त करना चाहता हूं । गुरारू और परैया के बारे में जो स्पेसिफिक 2 जानकारी माननीय सदस्य अभी बता रहे थे, वे मुझे उपलब्ध करायें, उस स्पेसिफिक केस की भी अलग से जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होंगे उसको दंडित करवाऊंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विनय कुमार : एक मिनट सर, हम दे दे रहे हैं...

अध्यक्ष : ठीक है, दे दीजिए । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री विनय कुमार : महोदय, एक मिनट, इन्होंने बोला है कि 2-2 एम्बुलेंस सभी प्रखंडों में हमलोग देंगे तो वह महोदय कब तक दिया जायेगा ताकि हमारे गरीब-गुरबा की सेवा हो सके, समय सीमा बता दिया जाये महोदय ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इसीलिए तो जिस दिन हम बजट भाषण दे रहे थे हम आग्रह किए थे कि अंत तक साथ दीजिएगा । यदि अंत तक साथ दिए होते तो यह उसी दिन मैंने जानकारी दे दी थी । महोदय, सभी 1000 एम्बुलेंस क्रय किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। सभी प्रखंडों में एक-एक ए0एल0एस0 एम्बुलेंस, एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस और 534 के बाद 466 बी0एल0एस0 एम्बुलेंस यह क्रय किया जा रहा है और अगले 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने में मैं समझता हूं यह क्रय की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस तरीके से सभी ब्लॉकों को यह एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एम्बुलेंस पर महोदय हमने अपने क्षेत्र के पंडित जी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई मगध मेडिकल में पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस के लिए कॉल किए 102 पर, उसके बाद ड्राइवर का कॉल आता है और स्वयं कहता है कि तेल दीजिएगा तब लेकर जायेंगे और एम्बुलेंस से लगातार इस तरह की शिकायत आती है कि तेल लेने के बाद ही

एम्बुलेंस किसी रोगी को या सबको पहुंचाने जाते हैं महोदय तो हमने माननीय मंत्री महोदय को भी दूरभाष पर इसकी सूचना दी थी महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सतीश कुमार : तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार एम्बुलेंस के नाम पर हो रहा है महोदय, वैसे एजेंसी पर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3033 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-33, खजौली)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक नागेन्द्र शर्मा की पत्नी श्रीमती शीला शर्मा को CFMS के माध्यम से उनके खाता संख्या-30540316448 में अनुग्रह अनुदान की राशि मो0-4.50 लाख (चार लाख पचास हजार) रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, प्रश्न का उत्तर आया हुआ है, तीन खंडों में है और 2 विषयों पर आधारित है एक तो महोदय मुआवजा भुगतान से सबंधित है...

(क्रमशः)

टर्न-5/सुरज/26.03.2022

...क्रमशः...

श्री अरूण शंकर प्रसाद : और दूसरा है कि 10 महीने, 8 महीने का जो विलंब हुआ है...

अध्यक्ष : भुगतान कर दिया गया है जवाब तो है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, दूसरा भी पार्ट है प्रश्न का कि विलंब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे, माननीय मंत्री जी यह बताना चाहते हैं और दूसरी बात है कि हमलोग जो प्रश्न करते हैं उससे सरकार को फीडबैक मिलता है एक-दो व्यक्तियों का प्रश्न होता है लेकिन...

अध्यक्ष : आपके प्रश्न के बाद भुगतान हुआ है न ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : सैकड़ों लोगों का भुगतान लंबित है वहां, इनका भुगतान प्रश्न जाने के बाद हुआ है तो मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या वहां के जिलाधिकारी से बात करके शेष इस प्रकार के कोरोना पीड़ित लोग जो मर गये हैं उनका भुगतान लंबित है क्या उसके लिये कोई कार्रवाई करना चाहती हैं ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां स्पष्ट है कि किसी की भी मृत्यु अगर कोविड से हुई है तो जिला पदाधिकारी उसको भेजते हैं स्वास्थ्य समिति में

और स्वास्थ्य समिति से उसका जो पोर्टल है पोर्टल में जाता है और पोर्टल में जाकर फिर स्वास्थ्य समिति के पास जाता है और स्वास्थ्य समिति से करके फिर मेरे पास आता है पेपर तो हम उसको पैसा अनुदान का भुगतान कर देते हैं तो जब तक वहां से नहीं आयेगा तो पेमेंट हम कैसे करेंगे । जिला पदाधिकारी के यहां से आता है स्वास्थ्य विभाग में जब राज्य स्वास्थ्य विभाग में आयेगा तो स्वास्थ्य विभाग में उनकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में जब सटीक होगा मान लीजिये बहुत सारा ऐसा रहता है कि मान लीजिये उसमें टेस्ट ही नहीं है या बहुत सारा है कि हम बाहर से लिये हैं और पोर्टल में नहीं डाले तो कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी खामियां हैं जिसके कारण नहीं हो पाता है तो जो आता है उसको निश्चित रूप से सरकार की मंशा होती है कि हर गरीब आदमी को अगर किसी को भी इस आपदा में किसी भी प्रकार का भुगतान हो उसे हम जल्द से जल्द करने का काम करते हैं इसलिये जो आया है उसमें काम किये हैं । धन्यवाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, सरकार की मंशा साफ है कि हमको देना है लेकिन अधिकारियों की मंशा वहां साफ नहीं है । महोदय, जिसका भुगतान हुआ है इस केस की ही जांच करवा ली जाये कि इनका पहले रद्द कर दिया था जब हमने यहां प्रश्न डाला है तो उसके बाद फिर रद्द को आनन-फानन में खत्म करके और उसका भुगतान हुआ है तो इस तरह के मामले राज्य में पड़े हुऐ हैं जो सरकार पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह् उठा देता है तो अधिकारियों के कारण सरकार क्यों कठघरे में हो ?

अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य मंत्री जी को लिखकर के मिलकर के दे दीजिये । मंत्री जी आप दिखवा लीजिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दरभंगा जिले में, मेरे क्षेत्र में भी दर्जनों ऐसे मामले हैं । कोविड रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल का रिपोर्ट, अकाउंट जितने मान्य कागजात हैं सभी लगा करके मैंने खुद पत्र में लिखा है । एक साल हो गया लगभग, एक साल से ऊपर वाले कम से कम 4-5 मामले हैं, 2020 वाले मामले हैं, 2021 वाले मामले हैं सारा पेपर लगाकर आपदा विभाग को मैंने खुद लिखकर के दिया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : मेरा आग्रह यह होगा कि माननीय मंत्री जी जरा समीक्षा कर लें और जो लोग हैं कोविड से मृतक के आश्रितों को पैसा मिल जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंडल जी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, दरभंगा जिला में 74 मामले ऐसे हैं जो वापस हुए हैं जिसमें कि पोर्टल में उसका शामिल नहीं हुआ था । पेसेंट अपना इलाज करवायेगा या पोर्टल दिखवायेगा ?

अध्यक्ष : ठीक है, आ गया है संज्ञान में माननीय मंत्री जी के । आप पवन जी बोलिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मामला पूर्वी चंपारण का है । केवल पूर्वी चंपारण में 108 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनका ईलाज कोविड मान्यता प्राप्त हॉस्पीटल में हुआ, सरकारी अस्पताल । अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूचित छूट गया है सेम विषय था इसलिये मैंने इसमें भाग लिया ।

अध्यक्ष : अब आ गया है, विषय आ गया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप दिखवा लें और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन भी करवा लें । समयसीमा तय करवा लेंगे तो आसानी हो जायेगा ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय मैं इसको दिखवा लेती हूं । उसको मैं दिखवा लेती हूं पूरे बिहार का मामला है, हम बैठके दिखवा लेते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये न ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो कोरोना मान्यता प्राप्त हॉस्पीटल था चम्पारण में 6, वहां 108 ऐसे मरीज हैं जिनका प्राइवेट जो किट है उससे जांच कर दिया गया, सारा रिपोर्ट उसके पास है । पैसा...

अध्यक्ष : यह विषय से हट करके है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, यह सेम विषय है इसलिये पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि वह प्राइवेट किट से जांच कर दिया है...

अध्यक्ष : मो0 आफाक आलम ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय...

अध्यक्ष : अब नहीं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है...

अध्यक्ष : मसले को गंभीरता से कह दिया गया मंत्री जी को । बोलिये पूरक ।

(व्यवधान)

मंत्री जी इसको गंभीरता से लेकर दिखवा लेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, सरकार की मंशा साफ नहीं है । कोविड काल में मरे हुये के आश्रितों को मुआवजा....

अध्यक्ष : साफ के लिये ही तो आप प्रश्न करते हैं, बैठिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इस पर सरकार गंभीर नहीं है । कोरोना जैसी महामारी से मौत हुये दो-दो साल हो गये हैं और काम नहीं हुआ है तो आपदा विभाग और स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं समन्वय स्थापित करके...

अध्यक्ष : निर्देशित हो गया है दोनों बैठक करेंगे । बोलिये आप प्रश्न, पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-3034 (मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0-58, कसबा)

मो0 आफाक आलम : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : जवाब तो आया हुआ है ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, नहीं है इसमें ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, तो किसलिये जवाब आता है ।

अध्यक्ष : आप थोड़ा सा खोल करके देख लीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नहीं देखते हैं । कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है यह कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा तबीयत खराब कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : किनका, आपका नहीं न है । आपकी तबीयत खराब नहीं न है ।

मो0 आफाक आलम : हम पूरक पूछ लेते हैं । पूरक ही पूछ लेते हैं महोदय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़, कसबा एवं अमौर (आंशिक क्षेत्र) की विद्युत आपूर्ति पूर्णिया ग्रिड से की जाती है । पूर्णिया ग्रिड में अधिष्ठापित पावर ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता 150 MVA (135 MW) है एवं इसका अधिकतम भार मांग 100 मेगावाट है ।

2- पूर्णिया ग्रीड से जलालगढ़ विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की दूरी लगभग 27 कि0मी0 है । जलालगढ़ विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में अधिष्ठापित पावर ट्रांसफॉर्मर की कुल क्षमता 20 MVA (18 MW) है एवं इसका अधिकतम भार मांग 13 मेगावाट है । जलालगढ़ क्षेत्र में औसतन 20-22 घंटे विद्युत की अपूर्ति की जाती है ।

3- वर्तमान में जलालगढ़ में पावर ग्रिड बनाने की कोई योजना नहीं है ।

नॉर्मली महोदय पावर ग्रिड जो है सब जगह अनुमंडल स्तर पर निर्माण हो चुका है ।

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ जलालगढ़ की ही बात नहीं है । वहां चार प्रखंड हैं और चारों प्रखंड में हम तो ऐसे धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी को कि कोई गांव बचा हुआ नहीं है बिजली से, विद्युतीकरण सब जगह हो गया है, सभी प्रखंड में हो गया है । लेकिन यह है कि जो-जो छोटा-छोटा सब-स्टेशन बना है वह पावर ले नहीं पाता है तो एक बड़ा ग्रिड जो है 132 और 133 का अगर वहां बन जाता है तो लोड जो है वह कर लेगा लेकिन जब लोड दिया जाता है तो तार टूट जाता है...

अध्यक्ष : ठीक है, आ गया है ध्यान में ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, कहीं न कहीं पेरशानी बढ़ जाती है...

अध्यक्ष : ठीक है, आ गया है ध्यान में । श्री मिश्री लाल यादव ।

मो0 आफाक आलम : इसलिये हम आग्रह करेंगे...

अध्यक्ष : आ गया है ध्यान में ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, कब तक करेंगे ? यह अगर कर देते हैं तो पूर्णिया और किशनगंज को भी फायदा हो जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3035 (श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र सं0-81, अलीनगर)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर): महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के PIP (Programme Implementation Plan) में भारत सरकार को प्रस्ताव दिया गया है । अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात एक्स-रे की सुविधा निर्धारित मानकों के अनुरूप अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तारडीह में एक्स-रे मशीन वर्षों से नहीं है, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है जो वहां पी0आई0पी0 प्लान के तहत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है । वहां से अनुमोदन होकर आयेगा तब अगले वित्तीय वर्ष में होगा ।

अध्यक्ष : अब तो अगले वित्तीय वर्ष में समय कहां है । सकारात्मक जवाब है ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, अनुमोदन होकर आयेगा तब न । मैं चाहता हूं कि अनुमोदन जब तक नहीं आ रहा है तब तक माननीय मंत्री जी वहां एक्स-रे के लिये तारडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या व्यवस्था कराना चाहते हैं रोगियों के ईलाज के लिये ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सदन में आश्वस्त करना चाहता हूं कि पी0आई0पी0 में स्वीकृत होकर वह आयेगा और अगले वित्तीय वर्ष में वहां एक्स-रे मशीन कार्यरत हो जायेगा, इसके लिये बिल्कुल माननीय सदस्य निश्चिंत रहें । मैं उसकी व्यक्तिगत रूप से चिंता करूंगा ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, महोदय...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति आता है ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, मेरा पूरक है । तत्काल सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जब तक वहां से स्वीकृति होकर नहीं आता है, तब तक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एक्स-रे मशीन की व्यवस्था करके रोगियों का ईलाज कराना चाहते हैं, एक्स-रे कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : आपकी सकारात्मकता उनके साथ है तो बताइये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, पूरी सकारात्मकता है और मिश्री लाल जी तो मीठा हैं भाई तो हम सबलोग भी उनके साथ हैं । मिश्री लाल जी की चिंता को हम बहुत शीघ्र दूर कर देंगे ।

अध्यक्ष : बहुत शीघ्र दूर हो जायेगा, आप मिल लीजियेगा अलग से । हो गया सकारात्मक जवाब है ।

(व्यवधान)

अब आप उस मीठास में कहां तीखापन ला रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम वहां से पहले एम0एल0ए0 थे तो हमारी चिंता है कि माननीय मंत्री जी ने दो साल पूर्व वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन किये हैं और दो साल से राशि वहां जमा है और भूमि भी उपलब्ध है तो क्या माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : अब यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का है ।

टर्न-6/राहुल/26.03.2022

अध्यक्ष : अलग से भी मिल लीजिये । आप तो बतियाते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बता सकते हैं, जुड़ा हुआ है, पूरक ही है तो...

अध्यक्ष : इससे जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : तो ये कब तक निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, यह सी0एच0सी0 के निर्माण से संबंधित विषय पूछ रहे हैं उसकी जानकारी मांगी जाएगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा । ललित जी से बात होती रहती है, मैं बता दूंगा आपको ।

अध्यक्ष : श्री राजेश कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3036 (श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-104, हथुआ)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, फुलवरिया में डॉ0 प्रिती कुमारी महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं ।

2- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, उत्तर आया है, उत्तर से संतुष्ट हूं, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3037 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, क्षेत्र संख्या-200, बक्सर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-3038 (श्री रित लाल राय, क्षेत्र संख्या-186, दानापुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-3039 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र संख्या-217, घोसी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा नये परिमाप के अनुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता से बाधामुक्त स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । इसके प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ।

2- उपरोक्त खंडों में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण पूरक है, दो पूरक हैं मेरे । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि 10 अगस्त, 2021 को घोसी विधान सभा के ओकरी, उबेर, मसाठ, लखवार, शाहों बिगहां, बंधुगंज और जारू अस्पताल का शिलान्यास किया गया था और कहा जा रहा है कि जमीन के अभाव के कारण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है । महोदय, मेरा पूरक है कि जब जमीन ही नहीं है तब शिलान्यास का शिलापट्ट कहां लगाया गया था ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि मेरे जवाब को शब्दशः पढ़ा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा । जमीन तो उपलब्ध है ही, मैंने लिखा है पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है । जितनी आवश्यकता थी जब निर्माण कार्य शुरू होने गया तो वहां पर, शिलान्यास तो जमीन पर ही होता है, जमीन की उपलब्धता पर ही होता है लेकिन यह कोई आम भवन नहीं होता है जो अस्पताल होती है उसको एक मानक के अनुरूप बनाना होता है और उस मानक के अनुरूप जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वह देखना होता है । जब वहां कोई तकनीकी दिक्कत आ गई, हड़बड़ में हम कहीं कुछ बना दें, कल हो कि वह उपयोग नहीं आये तो सरकार का, जनता का पैसा बर्बाद होगा तो इसलिए हमने जिलाधिकारी, जहानाबाद को कहा है कि उस स्थल को चिन्हित कर दिया जाय और जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाय ताकि जब निर्माण होगा एक अस्पताल का तो वह लंबे समय तक वहां के समाज की सेवा करती है तो आनन-फानन में हम कोई तुरंत कुछ करने के लिए कहीं बनवा दें और कल फिर कठिनाई आएगी तो दिक्कत होगी । इसलिए माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि पिछले साल इसका शिलान्यास हुआ तो निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन यह तकनीकी दिक्कत आई है और इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लगे हुए हैं इसे हम लोग करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री कर्णजीत सिंह ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, अतिआवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण पूरक है । महोदय, शिलान्यास का कार्यक्रम वर्चुअल हुआ था । इस कार्यक्रम में पटना में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे । डी0एम0, जहानाबाद के साथ समाहरणालय में मैं शामिल था और सच तो यह है कहीं जमीन पर शिलापट्ट लगाया ही

नहीं गया है । महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से दूसरा पूरक यह पूछता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य माननीय गणमान्य की उपस्थिति में हुए शिलान्यास के इस फर्जीवाड़े की क्या सरकार जांच कर कार्रवाई करना चाहती है, हां तो कब तक कार्रवाई करेगी और कब तक कार्य शुरू करेगी ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, इसमें फर्जीवाड़ा क्या है । योजना स्वीकृत है, राशि स्वीकृत हुई है, निविदा हुई है, निविदा के बाद कार्य आवंटित हुआ है । मैंने कहा कि पर्याप्त जमीन नहीं है वहां इसलिए हम और जमीन खोज रहे हैं । फर्जीवाड़ा तो तब होता कि जब बिना...

(व्यवधान)

सुन लीजिये मेरी बात । मेरी बात को सुन लिया जाय । फर्जीवाड़ा तो तब होता जब आप कहते कि भवन बना नहीं, भुगतान हो गया है और मैं तो क्या किसी भी जमीन पर काम शुरू करवा दूं आप बोलिये । कल हो के आप ही प्रश्न लाइयेगा कि जिस...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये महबूब साहब । अभी उनका पूरक है आप बीच में कैसे उठ गए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इन लोगों के समय में, आप लोग तो कुछ बनाये नहीं, हमने सभी माननीय सदस्यों को बताया था आप सभी माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं आप सब लोग शान से आज अपने-अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा कई माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में अपना नाम लिखवाकर शिलापट्ट लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही बनवा रहे हैं अस्पताल । मैं नहीं कहना चाहता हूं महबूब साहब, उसमें आपकी पार्टी के भी लोग हैं । मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं भले ही आप जाकर जिसकी फोटो खिंचवानी है, जो करना है कर लीजिये । मेरा मकसद गरीबों की सेवा करना है इसीलिए तो इस अस्पताल को बनाने का निर्णय लिया गया और इस अस्पताल को बनाने की स्वीकृति हम लोगों ने दी, सारे कार्यक्रम किए हैं, जमीन यदि तकनीकी दिक्कत, हम सब लोग जानते हैं बिहार में जमीन इतनी आसानी से कहीं मिलती

है क्या और यदि दिक्कत है तो उस समस्या को दूर करके परमानेंट समाधान करेंगे न कि टम्परेरी कुछ कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब हो गया ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब तैयार है, स्थानांतरित होकर आया है कहिये तो...

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि माननीय विधायक शिलापट्ट लगाते हैं तो क्या माननीय विधायक शिलापट्ट नहीं लगवा सकते हैं अपने क्षेत्र में ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैंने क्या कहा । शिलापट्ट आप अपने से जाकर ललित जी लगा लीजिये अपने विधान सभा में और खाली ललित यादव जी का बोर्ड लगा दीजिये तो यह तो उचित नहीं होगा न । जब बोर्ड लगेगा भी, मैं तो कहता हूं, मैं तो इस विषय का हूं कि यदि कहीं कोई गलती होती है तो बताईये । मैं तो कहता हूं जहां भी शिलान्यास होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का रहेगा, विभाग के मंत्री का रहेगा, हमारे माननीय सांसद का रहेगा, माननीय विधायक का रहेगा, प्रभारी मंत्री का ये तो प्रोटोकॉल है ये रहेगा लेकिन...

(व्यवधान)

सुन लीजिये बात को, सुन लीजिये लेकिन यदि आप किसी का नाम छोड़कर खाली अपना लगाइये ये भी तो उचित नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-'A' 3040 (श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब तैयार है ।

अध्यक्ष : चलिये बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि एकरारनामा के अनुरूप...

अध्यक्ष : श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह नहीं हैं, माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : असैनिक कार्य के साथ-साथ आन्तरिक विद्युतीकरण, स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति (बोरिंग सहित) कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराकर..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सदस्य नहीं हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह पहले पूछा गया है, स्थानांतरित है ऊर्जा विभाग से ।

अध्यक्ष : अच्छा, पहले पूछा गया है तो पढ़ दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : खंड-1 अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि एकरारनामा के अनुरूप असैनिक कार्य के साथ-साथ आन्तरिक विद्युतीकरण, स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति (बोरिंग सहित) कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराकर संबंधित विभाग के उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, सारण के पत्रांक-270, दिनांक-28.05.2017 द्वारा हस्तांतरित कराया जा चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हिंदी की महान रचनाकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवियित्री महादेवी वर्मा जी की जयन्ती है । महादेवी जी भाव-भाषा और शब्द की अमरशिल्पी थीं । उनके यहां लोक, समाज, परिवेश और परंपरा शब्द-चित्र की तरह एकसूत्र से बंधे नजर आते हैं । वे छायावादी कविता की मूर्धन्य सर्जक तो थीं ही, साथ ही अद्वितीय गद्यकार भी थीं । शायद इसीलिए महान कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी भाषा के मंदिर की सरस्वती कहा था । महादेवी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहूंगा :

''दूर है अपना लक्ष्य महान,
एक जीवन पग एक समान,
अलक्षित परिवर्तन की डोर,
खींचती हमें इष्ट की ओर,
सृष्टि का है यह अमिट विधान,
एक मिटने में सौ वरदान,
नष्ट कब अणु का हुआ प्रयास,
विफलता में है पूति प्रयास ।''

मैं, अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी को उनकी जयन्ती पर सादर भावांजलि अर्पित करता हूं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 मार्च, 2022 के लिए माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर तथा नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श तथा सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

श्री अजीत शर्मा : सर, एक ही है पढ़ लेने दीजिये ।

अध्यक्ष : अभी पढ़े कहा हैं । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

टर्न-7/मुकुल/26.03.2022

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पढ़ने दिया जाय ।

अध्यक्ष : दो लाइन में कुछ कहना है तो बोल दीजिए बस ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहां आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को संविदा पर सरकारी नौकरी के मामले पर विमर्श हो ।

उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की गुरूतर जिम्मेवारी है । आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लगातार सरकार से मांग कर रही हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया । आपका भाव आ गया है ।

श्री अजीत शर्मा : लेकिन सरकार मांग मानने के बदले उन पर लाठी चार्ज कर रही है, इस पर विचार-विमर्श होना चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश कुमार ।

शून्यकाल

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, डिजिटल इंडिया के इस कालखंड में आम जनता के दैनिक कार्यों के निष्पादन का स्थान अंचल, प्रखंड एवं थानों को सरकार निदेश जारी करे, की किसी भी आम आवेदन को निरस्त करने के कारण भी ऑनलाइन डिस्प्ले पर सुलभ उपलब्ध कराये । अकारण निरस्त हुये आवेदन की जवाबदेही भी तय किये जाएं ।

अध्यक्ष : आपलोग थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत संख्या है ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के अनुग्रहनारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन कई महीनों से खराब है, जिससे मरीजों को निजी जांच केन्द्रों पर जाना पड़ रहा है ।

अत: मैं राज्य सरकार से जनहित में अल्ट्रासाउंड मशीन को शीघ्र ठीक कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के शेरघाटी विधान सभा अंतर्गत आमस प्रखंड स्थित उपकारा शेरघाटी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से बैरक नहीं रहने से उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

अत: उपकारा शेरघाटी में महिला पुलिस बैरक के निर्माण की मांग करती हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सोनवरसा प्रखण्ड के सोनवरसा बाजार में दिनांक-24.03.2022 को सोलह व्यापारियों के घर एवं दुकान में 11 बजे रात्रि में अचानक आग लगने से बुरी तरह जल जाने के कारण लगभग दो करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है ।

अत: सरकार से अनुग्रह अनुदान राशि की मांग करती हूं ।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत भभुआ प्रखण्ड के चादोरुईयां गांव में भभुआ-दरौली मेन पक्की सड़क से कोई सम्पर्क मार्ग नहीं होने के कारण वहां के नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी होती है ।

अत: सरकार से चादोरुईयां गांव को मेन रोड से जोड़ने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के ग्राम-शिवचक-मिरचक में मोरहर नदी पर पुल नहीं होने से वहां के स्थानीय लोगों के साथ-साथ छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन करने जाने में काफी कठिनाई होती है ।

अतएव जनहित में उक्त वर्णित स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राजेन्द्र सर्जिकल ब्लॉक का लिफ्ट 2018-19 से खराब है जिसके कारण मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । शीघ्र लिफ्ट को चालू करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत चोरा टभका के ग्राम चांद सुरारी मुस्लिम टोल से कोरबाधा टभका होते हुए परी चौक तक एवं बलुआहि पुल से चांद सुरारी चौक तक सड़क का जीर्णोद्धार कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अन्तर्गत काको प्रखण्ड के पाली गांव में ''चूहिया'' सहित कई फिल्मों का निर्माण हुआ है, एवं पुनः शूटिंग होने वाला है । बॉलीवुड के नामचीन कलाकार यहां महीनों रहेंगे ।

अतः गांव के सड़क की मरम्मति एवं बैंक ए0टी0एम0 लगाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत किसान सलाहकारों का मानदेय मात्र 13,000/- रुपये प्रतिमाह है, इनसे कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य भी कराया जाता है । निदेशक, कृषि विभाग द्वारा त्रिसदस्यीय समिति बनाकर किसान सलाहकारों की कार्यवधि 6 से बढ़ाकर 8 घंटा मानदेय बढ़ाना तथा जनसेवक नियुक्त में प्राथमिकता की अनुशंसा की गई है ।

अतः मैं उक्त मांगों को लागू करवाने की मांग करता हूं ।

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला सहित राज्यभर में कार्यरत पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी के स्थायीकरण एवं पशु चिकित्सा से संबंधित पूर्व में दिए जा रहे दवाओं की स्थायी उपलब्धता की सरकार से मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कटोरिया प्रखण्ड में जयपुर पंचायत के जयपुर ग्राम में पोस्ट ऑफिस के नाम से वर्ष 1905 में आवंटित जमीन पर पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक कारणों से वंचित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा लोन दिया जा रहा है । B.Ed और D.EL.ED कोर्स के लिए छात्रों को लोन से वंचित कर दिया गया है ।

अतः उक्त छात्रों को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा लोने देने की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत में अवस्थित टाउन हॉल का नामकरण महायोद्धा वीरकुंअर सिंह के सेनापति मियां पीर अली के नाम पर करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा विधान सभा में तेघड़ा के पकठौल पंचायत में थाना नं0-404, मौजे तुलसीपुर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी (गेट सहित) कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बड़े अग्निशमन वाहन के अभाव में प्रतिवर्ष भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड में आग लगने से हजारों घर जलकर राख हो जाता है । मैं सरकार से पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय में पर्याप्त एवं बड़े अग्निशमन वाहन की स्थायी व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार से दूसरे प्रदेशों में काम करने गये मजदूरों की भयावह दुर्घटना एवं अग्निकांड में वीभत्स रूप से मौत हो रही है । बिहार की तरह अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों की दुर्घटना जनित मृत्यु पर आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दे सरकार ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के दावत थाना अन्तर्गत मलियाबाग में अतिमा मैरजहॉल के मालिक की दिनांक-01.02.2022 को हत्या कर दी गयी जिसका दावत थाना काण्ड सं0-15/2022 है, मालियाबाग में व्यवसायी वर्ग दहशत में है, आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरकार व्यवसायी वर्ग को सुरक्षा देते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करावे ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड स्थित हरसिद्धि पकड़िया पंचायत के वार्ड नं0-7 में यमुना गिरि के घर से भाया सुखाड़ी यादव के घर होते हुए मढलोहियार सोनार बस्ती तक जानेवाली सड़क जर्जर है ।

सरकार से उक्त सड़का का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बछवाड़ा बाजार में 7 जनवरी, 2022 की रात्रि में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में भीषण डकैती हुई, जो बछवाड़ा थाना काण्ड संख्या-06/22 दर्ज है, दो महीना बीत जाने के बाद भी उक्त घटना का उद्‌भेदन नहीं हुआ न ही सामान की बरामदगी हुई ।

अत: उक्त घटना का उच्चस्तरीय जांच कराते हुए, संलिप्त दोषी पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के अधीन विभिन्न कार्य विभागों में वर्ष 2014 में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में न्यूनतम दर अधिसीमा को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया था । परन्तु उक्त दर को समाप्त कर दिया गया है । संवेदक द्वारा 30 से 35 प्रतिशत कम दर पर निविदा डालने के कारण गुणवत्ता की कमी एवं ससमय पूर्ण नहीं हो पाता है ।

अतः पूर्व निर्धारित दर को लागू करने की मांग करती हूं ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के शेखपुरा–महुली पथ से ग्राम हुसैनाबाद/नवीनगर–ककड़ार होते हुए ग्राम राजोपुर कुशोखर तक पुल सहित पक्की सड़क का निर्माण जनहित में शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखण्ड के गनगनियां रेलवे स्टेशन के ठीक पूर्व (ईस्ट) मंझली बांध में कमरगंज रेलवे क्रासिंग पर मानव सहित/रहित रेलवे फाटक का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की मांग करता हूं ।

टर्न–8/यानपति/26.03.2022

श्री सुनील मणि तिवारीः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय वर्ष–2015 से संचालित है, परंतु अभी तक उसका अपना भवन नहीं है ।

अतः मैं सरकार से अरेराज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, अभी गर्मी का आगमन हुआ नहीं कि मधुबनी में जल स्तर नीचे जाना शुरू हो गया है, जल स्रोत सूख रहे हैं । लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है ।

अतः सभी जल स्रोतों को ठीक रखने एवं वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की मांग करता हूं ।

श्री निरंजन रायः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । बन्दरा प्रखण्ड अंतर्गत श्यामा बुनियादी विद्यालय, रतवारा में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ।

जनहित में गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने हेतु उक्त बुनियादी विद्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरीः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी प्रखण्ड के पताही एल0पी0 शाही कॉलेज के सामने मड़वन प्रखण्ड के चैनपुर ग्राम फतेहपुर को जोड़ने हेतु फरदो नदी पर पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री छोटे लाल राय: अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत रेल पहिया कारखाना बेला से प्रदूषित धुआं निकलने के कारण आस-पास के चारों तरफ के गांवों के लोगों को फेफड़ा संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ गया है । प्रदूषित धुआं के कारण वहां के जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । मैं सरकार से उक्त रेल पहिया कारखाना से निकलने वाले प्रदूषित धुआं की जांच हेतु सदन से मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के देसरी प्रखण्ड के सुजित कुमार की पुत्री श्रीमती ज्योति कुमारी की हत्या दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा कर दी गई । जिला- समस्तीपुर के मोहद्दीनगर थाना में कांड संख्या- 18/22 दर्ज है । पुलिस की साठ-गांठ के कारण अभीतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

अत: मैं स्व0 (श्रीमती) ज्योति कुमारी के हत्यारे की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष: डॉ0 सी0एन0 गुप्ता ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सुर्यकान्त पासवान: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड के तुलसीपुर- रेरियौना पथ बहुत जर्जर रहने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: जनहित में उक्त सड़क की मरम्मती हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा के तारडीह प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम महिया के हनुमान मंदिर से पी0डब्लू0डी0 सड़क तक आजादी के बाद आज तक कच्ची सड़क है । जनहित में इस सड़क का निर्माण अतिआवश्यक है ।

अत: उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड- जहानाबाद, पंचायत लरसा, ग्राम- कोरमा मठीया एवं ग्राम- मिल्की बलवा में आजादी के 75 वर्षों के बाद भी सड़क नहीं है, अविलंब सड़क बनवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, बिजली कनेक्शन के लिए लोग आवेदन कर महीनों विभाग के चक्कर लगाते हैं मगर बगैर चढ़ावे के ना ही विद्युत कनेक्शन होता है ना ही मीटर लगाया जाता है, पंचायत- पंचायत शिविर लगाकर आवेदन लेते हुए तुरंत मीटर लगाकर कनेक्शन किए जाने के प्रावधान की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र का पिछड़ा जिला अररिया सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है । केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित गोरखपुर–सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को अररिया जिला से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, सदन से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र पूर्णिया प्रमंडल शिक्षा हब के रूप में विकसित हुआ है लेकिन यहां छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने तथा जिज्ञासा के समाधान हेतु साइंस सिटी नहीं है ।

अत: मैं सरकार से पूर्णिया प्रमंडल मुख्यालय में छात्रों के विज्ञान की जिज्ञासा समाधान हेतु साइंस सिटी स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय, डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावास (चांदी लॉज), आरा जर्जर और नारकीय हो चुका है । आरा में OBC-EBC छात्रावास बनने के बावजूद छात्रों को आवंटित नहीं है । चांदी लॉज के लिए नया छात्रावास बनाने एवं OBC-EBC छात्रावास संचालित करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के तिलैया ढ़ाढ़र परियोजना का कार्य जनहित में पूरा करने का मांग करता हूं ।

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, बिहार में जितने भी स्पेशल एक्ट यथा मद्य निषेध अधिनियम, पॉस्को एक्ट वगैरह की सुनवाई सिर्फ जिला न्यायालयों में अपर सत्र न्यायाधीश को स्पेशल जज बनाकर कार्रवाई किया जा रहा है ।

जनहित में अनुमंडलीय न्यायालयों में भी इसकी सुनवाई शुरू कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

डॉ0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड के चैनपुर थाना अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, खड्डूआ में सहायक शिक्षक श्री रामविनय सहनी को अपराधियों ने दिनांक– 25.03.2022 को गोली मारकर हत्या कर दी ।

मैं राज्य सरकार से आश्रित परिवार को 50 लाख रुपये देने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के रूपवलिया पंचायत की दो महिला को जंगली भालू काट कर लहूलुहान कर दिया । जिसका इलाज चल रहा है लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है ।

मैं सरकार से मुआवजे की मांग करती हूं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी । ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति से शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री कुमार शैलेन्द्र, ललित नारायण मंडल एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र की सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, समय चाहिए, बाद में इसका उत्तर देंगे ।

अध्यक्षः पहले भी समय लिया गया है ।

(व्यवधान)

सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, अली अशरफ सिद्दिकी एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, अपार्टमेंट में रह रहे फ्लैट मालिकों द्वारा एक एसोसिएशन का गठन कर अपार्टमेंट की देख-रेख की जाती है । सरकार द्वारा जारी निदेशानुसार इस तरह के अपार्टमेंट को सहकारिता एक्ट या कम्पनी एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत निबंधन किया जा सकता है । अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री आरक्षण के आधार पर नहीं होती है लेकिन अपार्टमेंट एसोसिएशन के निबंधन में आरक्षण का पालन बाध्यकारी कर दिया गया है जिसके चलते कोई भी अपार्टमेंट एसोसिएशन पटना में निर्बंधित नहीं हो पा रहा है परिणामस्वरूप तरह-तरह की कानूनी अड़चनें सामने आती हैं और अपार्टमेंट का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है ।

अतः अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के निबंधन की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

टर्न-9/अंजली/26.03.2022

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा-16 के अंतर्गत सहकारिता समिति अथवा कंपनी गठन का प्रावधान है । बिहार सहकारिता सोसायटी अधिनियम में सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को बिहार गजट के असाधारण अंक में

प्रकाशित अधिसूचना के ज्ञापांक-5077, दिनांक-26.12.2008 द्वारा निबंधन की शक्ति प्रदान की गई है । इस संबंध में सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी के पत्रांक-6982, दिनांक-23.07.2019 द्वारा पुनः दिशा-निर्देश जारी किया गया है । बिहार सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 1996 एवं तत्संबंधित नियमावली के अनुसार समिति के उपबंधों का गठन कर जो निबंधन प्रस्ताव, निबंधन सहयोग समितियां बिहार, पटना या उनकी सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी के कार्यालय को प्राप्त होता है उसी नियमानुसार समीक्षा कर 90 दिन के अंदर समिति के निबंधन की कार्रवाई की जाती है । सहकारी समिति के निबंधन प्रक्रिया निबंधनकर्ताओं की सुविधा हेतु ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है । बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम के आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों के निबंधन हो रहे हैं, इसके अनुरूप पटना में जो अपार्टमेंट एसोसिएशन के निबंधन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका निबंधन हुआ है, आरक्षण व्यवस्था करना किसी भी प्रस्ताव की अस्वीकृति की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए इसलिए कि डिपार्टमेंटल गतिरोध के चलते कुछ दिनों में पूरे पटना का कोई बिल्डर्स जो मकान बनाता है, कहीं भी यह नहीं देखता है कि आरक्षण का नियम पालन हो, अपना बेच लेता है और 10 हजार से ज्यादा, 50 हजार लोग यहां पटना में रह रहे हैं पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा हैं और बार-बार यह बात समझ में नहीं आ रही है तो हम यही कहते हैं । XXX माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरक प्रश्न है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन को निबंधित कराये जाने के लिए सहकारिता विभाग आधिकारिक रूप से कहते हैं इसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये बताएं कि यह कैसे संभव है पहला । दूसरा भी पूछ लेता हूं तो क्लीयर हो जाएगा मंत्री जी । अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन दरअसल अपार्टमेंट के प्रोविजन के तहत बनाया गया है जिसमें ऐसोसिएशन के बाइलॉज में कहीं आरक्षण के नियमों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है लेकिन जब उसे निबंधित कराए जाने के लिए सहकारिता विभाग को भेजा जाता है तो विभाग के द्वारा आरक्षण नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है । तीसरा भी हम पूछ लेते हैं ताकि मंत्री जी को ज्यादा आसान हो जाएगा । अब इस ऑनर ऐसोसिएशन को निबंधित होने से अपार्टमेंट की देखरेख नहीं हो पाती है । बहुत से ऑनर मेन्टेनेंस की राशि भी नहीं देते हैं या अन्य प्रकार की समस्याओं से निबटारे से जैसे डी0एम0 कहता है कि सी0सी0टी0वी0 लगाइए, डकैती हुई, फलां चीज हुई तो वह चीज अब कोई बैंक अकाउंट

भी नहीं खुल पा रहा है महोदय, जब बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा ऐसोसिएशन के लोग देंगे नहीं तो यह कैसे संभव होगा ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : पूरक यही है कि आप केवल आपके ही अध्यक्षता में इन तीनों डिपार्टमेंट को बुलाकर के को-ऑर्डिनेट कराकर के आप इस निर्णय को करा दें ताकि भविष्य में पूरा, हम कह रहे हैं कि पटना चले मंत्री जी एक से एक बिल्डिंग खराब है, यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं हैं या तो अपने ही नहीं रहते हैं या उनके रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं इस परिस्थिति से थोड़ा सा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो ध्यानाकर्षण दिए हैं उसी में इन्होंने स्वयं अपना उत्तर लगा दिए हैं । महोदय, अब जो अपार्टमेंट बनता है जो बिल्डर्स बनाते हैं तो कोई आरक्षण से बिक्री करते हैं क्या । कोई बिल्डर आरक्षण से बिक्री नहीं करते हैं । यह अब आरक्षण से बिल्डर बिक्री नहीं करते हैं, आरक्षण से बिक्री करने का कोई प्रोविजन नहीं है रेरा एक्ट में, तो महोदय, ये जो कहते हैं कि आरक्षण नियमावली तोड़कर और सोसायटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाय, इनका कहना है तो ऐसा कदापि संभव नहीं है महोदय कि आरक्षण नियमावली जो सरकार का संकल्प है उसको हमलोग कैसे तोड़कर बना देंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, ये नौकरी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है । हम इसलिए कहे कि अध्यक्ष महोदय का संरक्षण चाहिए जब तक इनको, हमने एक बड़ा बढ़िया कहा कि XXX यह समझ ही नहीं पा रहे हैं तो चिंतन कर रहे हैं आरक्षण के लिए, मेरा यह कहना है इसका आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए और इसको शिथिल करते हुए जो बिल्डर्स लोग रहते हैं उनको कैसे सहूलियत हो, कैसे बैंक अकाउंट में खोलें, कैसे बिल्डिंग में लिफ्ट चले, उस पर ध्यान देना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसपर बताइए । उन्होंने जो प्रश्न किया है व्यावहारिक और सटीक प्रश्न किया है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, जो प्राइवेट अपार्टमेंट है, हम भी अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमलोग के यहां जो अपार्टमेंट है ऐसा कोई आरक्षण नियमावली नहीं है । हमारे अपार्टमेंट में, जहां हमारा अपार्टमेंट है तो उसमें 20 लोग हैं, 20 लोग बैठकर एक आदमी को तय कर दिया है सोसायटी का सेक्रेटरी, एक आदमी ट्रेजरी वे देखते हैं ।

अध्यक्ष : वही बात तो वे कह रहे हैं, तो आप जो लगाए हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह कह रहे हैं, इनका कहना है जहां है आरक्षण, आरक्षण की बात करते हैं महोदय, प्राइवेट में जो रेरा...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बताइए कि क्या निबंधन में आरक्षण का नीति-नियम होना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : निश्चित होना चाहिए ।

अध्यक्ष : जो आप अभी जवाब दिए कि जब उस फ्लैट का परचेज उस हिसाब से नहीं होता है तो कैसे निबंधन में यह नीति लागू होगी ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : नहीं होगी, यह तो हम कह ही रहे हैं महोदय । अब वे कह रहे हैं कि वही नियम से लागू करें तो यह सोसायटी...

अध्यक्ष : नहीं, एक चीज है माननीय सदस्य । ठीक है, इन तीनों विभाग से संबंधित विषय है, इसको हम देखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : सोसायटी एक्ट जो है उसको कैसे शिथिल किया जाएगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखा जाएगा । व्यावहारिक बात होनी चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरा साइन नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भी बिल्डिंग बनाते हैं, कितना बिल्डिंग बनाए हैं ।

अध्यक्ष : बनाते हैं क्या ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : नहीं, नहीं, मैंने कहा कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूं, बिल्डिंग नहीं बनाया हूं । बहुत माननीय सदस्य अपार्टमेंट में रहते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अपार्टमेंट में रहते हैं और प्राइवेट...

अध्यक्ष : आप अपार्टमेंट बनाते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : नहीं । अपार्टमेंट में हम रहते थे तो वह प्राइवेट सोसायटी है अब ये कह रहे हैं कि वह प्राइवेट सोसायटी नहीं हो, सोसायटी एक्ट के तहत हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सहकारिता विभाग ने जो चिट्ठी जारी की है तो उसको आप तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का विचार रख रहे हैं, क्योंकि माननीय सदस्य ने, उसके चलते उसका मेन्टेनेंस, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, लिफ्ट या और अन्य जो सुरक्षा व्यवस्था है, तो आप इसको एक बार सभी जो संबंधित विभाग हैं साथ में बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : दिखवा लेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देते वक्त कहा कि मैं भी बिल्डिंग बनाता हूं ।

अध्यक्ष : फ्लैट में रहते हैं अब...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : इन्होंने गलत सुना, मैं अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरा एक अपार्टमेंट है ।

अध्यक्ष : एक चीज माननीय सदस्य, अगर कोई सदस्य बिल्डिंग बनाते हैं, कोई रोजगार करते हैं इसमें कहां बाधा है । यह क्या बात हुई ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह बात माननीय सदस्य सुनने में गड़बड़ा गए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रहते हैं, ऐसा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इसलिए मैं कहूंगा कि प्रोसीडिंग में वे नहीं बनाते हैं, वे कहे हैं, उस चीज को निकलवा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, प्रोसीडिंग में नहीं रहेगा । अब स्पष्ट हो गया है । एक चीज बता दें माननीय सदस्य कि शब्दों का हेर-फेर हो तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमको और आपको मिलकर बनाना है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, माननीय समीर महासेठ जी ने जो ध्यानाकर्षण लाया है उन्होंने कहा XXX उसका क्या मतलब है, सदन जानना चाहता है ।

अध्यक्ष : बता दीजिए माननीय सदस्य । देखिए, मुख्य सचेतक आपके शब्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : इससे गुरु जी का अपमान होता है उसको काटा जाय । अध्यक्ष महोदय, उससे गुरु जी लोग अपमानित हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य गुरु जी के प्रति सम्मान रखते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हां पूरा सम्मान रखते हैं ।

अध्यक्ष : सामाजिक सम्मान गुरु जी को मिला हुआ है, उसको कोई छेड़-छाड़ नहीं कर सकता है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, XXX यह बहुत नकारात्मक मुहावरा है और माननीय सदस्य ने दो पंक्तियों के माध्यम से जो गुरु शिष्य परंपरा है भारतीय संस्कृति में उसके प्रति कहीं न कहीं यह नकारात्मक लगता है, इसलिए उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाय ।

अध्यक्ष : सब की सहमति से उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय । आपका क्या है अजय जी ।

XXX आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/26-03-22

श्री अजय कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना में जो अपार्टमेंट बन रहा है उसमें डेढ़ सौ से लेकर दो सौ, पांच सौ तक या उससे भी अधिक फ्लैट वाला अपार्टमेंट सोसाईटी के रूप में बन रहा है । कानूनी रूप से एक सोसाईटी में चाहे तो जितने ब्लॉक या टॉवर हो, उनका ऑनर ऐसोसिएशन एक ही होगा और अगर वह निबंधित नहीं होगा तो कितनी परेशानी होगा, कृपया इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर नियमन हो चुका है और इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा । बैठ जाईए ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत जल निःस्सरण प्रमंडल कोपरिया के अधीन प्रखंड आलमनगर के अन्तर्गत बसनबाड़ा धार ड्रेनेज, गोलाधार ड्रेनेज, हरैली धार ड्रेनेज, प्रखंड पुरैनी के अधीन गमैल धार ड्रेनेज, योगीराज कैच ड्रेन, मुर्छा चाप ड्रेनेज, प्रखंड चौसा के अधीन चौसा धार ड्रेनेज की खुदाई वर्ष 1971 में हुई थी । गहरे चाप से पानी निकलकर कोसी नदी में गिरता है जिससे समय पर खेती होती है । लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद उपरोक्त जल निकासी नाली की सफाई नहीं हो पायी है तथा असामाजिक तत्व इस नाले को अतिक्रमित कर लिये हैं ।

अत: उपर्युक्त जल निकासी नालों की सफाई करने तथा उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः समय चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः चलते सदन में आयेगा ।

माननीय सदस्यगण, किसी भी जनतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार भारत की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुछ कमियों तथा आज के दौरान होने वाले धार्मिक उन्मादों ने मानवीय गरिमा को काफी ठेस पहुंचायी थी । प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगा था । ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता अखंडता मानवीय गरिमा स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी । इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की । संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी । शुरूआत में संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गयी थी लेकिन समय के अनुरूप देश की समाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक आवश्यकताओं को देखते हुए नागरिकों को जागरूक करने तथा उनमें कर्त्तव्य बोध की भावना का प्रसार करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिये हमारे संविधान के भाग -4 में अनुच्छेद 51(ए) के अन्तर्गत मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था दी गयी।

माननीय सदस्यगण, दिनांक 11-03-2022 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो हमलोगों ने निर्णय लिया था कि 26 मार्च, 22 को विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरांत ''संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने'' विषय पर नियम 43 के तहत विमर्श करेंगे । इसमें आग्रह है सभी माननीय सदस्यों से कि आप सभी अवश्य उपस्थित रहें । मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस गणतंत्र की धरती बिहार से कर्त्तव्य के शंखनाद की घोषणा राज्य के लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर से होगी ताकि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य और देश के सभी युवाओं तथा जागरूक नागरिकों तक कर्त्तव्य बोध का भाव ध्वनिमत से पहुंच पाये । हमने अपने संविधान की मूल प्रति भी लोक सभा से मंगायी है जिसे इस चर्चा के बाद सदन के अंदर ही सभी माननीय सदस्यों को प्रदान की जायेगी । मैं यकीन के साथ यह

कह सकता हूँ कि आज की पूरी चर्चा वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को अधिकार के साथ देश को समाज के प्रति, उनकी जिम्मेवारी के प्रति सचेष्ट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा । आजादी के 75 वर्ष में आज भारत अमृत महोत्सव मना रहा है । ये 75 वर्ष हमने अधिकार की लड़ाई के लिए एक लम्बा सफर तय किया है लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनायेंगे तो ये अमृत काल 25 वर्ष का होगा, वह दो तिहाई देश के नौजवानों के कर्तव्य के निवर्हन के साथ-साथ भारत का गौरवशाली इतिहास एक बार पुनः स्थापित करने के लिए और स्वामी विवेकानंद जी की उस भविष्यवाणी को साकार करने का आधार, इस जनतंत्र की धरती बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर से शंखनाद होगा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः महोदय, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग आ गये हैं । दोनों ध्यानाकर्षण का जवाब तैयार है और सदन की अनुमति हो तो माननीय मंत्री से जवाब ले लिया जाय ।

अध्यक्षः देखिये, जनतंत्र की धरती पर कितनी गंभीरता के साथ माननीय मंत्री जी आपके जवाब को दे रहे हैं और आपकी भी गंभीरता दिखायी पड़े और बार-बार आग्रह करने में अच्छा नहीं लगता है कि ध्यानाकर्षण के समय जिनका ध्यानाकर्षण है वही शेष रह जाते हैं और कुछ वरिष्ठ सदस्य रह जाते हैं । मात्र दो घंटे का समय हमको मिला है, जिसमें गंभीरता से विमर्श हो,उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें यह भी एक बड़ा महत्व का विषय रहेगा ।

सर्वश्री कुमार शैलेन्द्र,ललित नारायण मंडल एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार(जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, कुमार शैलेन्द्र की सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही विस्तृत इनका प्रश्न है सारा गंगा, कोशी, गंडक को लेकर के जो कटाव होता है, अब उसमें उनका ये भी है कि उसके ठोस उपाय के लिए उन्होंने कहा है । ठोस उपाय पर हमलोग कितनी बार बोले हैं कि बिहार में नहीं है, नेपाल से आता है और इसका ठोस उपाय, परमानेंट उपाय वहीं पर है । सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है लेकिन कुछ बात का जवाब जो है, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न नदियों यथा गंगा, कोशी, गंडक आदि से प्रतिवर्ष कटाव से आवास घर एवं कृषि भूमि के बचाने हेतु लगभग 3800 कि0मी0 तटबंधों का निर्माण किया गया है । साथ ही इस विभाग के द्वारा बिहार राज्य में तकनीकी

सलाहकार समिति, कोशी उच्चस्तरीय समिति, गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त कर प्रतिवर्ष बाढ़ पूर्व, मतलब 15 मई तक, ये प्रोटोकल बना हुआ है डिपार्टमेंट में कि 15 मई तक एंटीरोजन का काम कम्प्लीट कर लेना है और उसके बाद अगर बाढ़ के समय में जो भी फ्लड फाईटिंग का काम करना रहता है, वह किया जाता है तो पूरे राज्य में कटाव से बचाव हेतु विभाग द्वारा सत्त प्रयास किया गया है । उदाहरणस्वरूप 2020 पूर्व एवं बाढ़ 2021 पूर्व अति संवेदनशील स्थानों पर कटाव निरोधक योजनाओं को कोरोना काल में लॉकडाउन के वाबजूद भी ससमय पूर्ण कर जल संसाधन द्वारा बाढ़ से सुरक्षित रखा गया । दूसरा जो इश्यू है, वह है सिल्ट को लेकर के, अब वह इतना बड़ा इश्यू है जिसके लिए हमलोग पहले भी बोले हैं कि एक नेशनल सिल्ट पौलिसी बननी चाहिए । भारत सरकार भी लाजिमी इस बात को मानी है । स्टेट का ओपिनियन मांगा है, लास्ट ईयर 2021 के नवम्बर में हमलोगों ने बिहार सरकार की तरफ से अपना ओपिनियम भी भेज दिया है और नदियों के गाद के सफल प्रबंधन से जल के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए नदियों की वाटर रिटेरिंग कैपिसिटी में बढ़ोत्तरी एवं इससे तटबंधों के कटाव को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, मतलब कि वाटर स्टोरेज बढ़े, जबतक पानी आता है,जरा डिप रहेगा तो पानी रिटेन रहेगा और वह बिना सिल्ट हटाये नहीं होगा और स्टेट गर्वनमेंट अपने बलबूते इतने बड़े स्केल पर यह नहीं कर सकती है । अभी बक्सर से लेकर फरक्का तक पूरा शिल्ट जमा है, गांधी घाट से पहले लगता था फरक्का जाने में दो से तीन दिन, अब सात दिन लग जाता है । चूंकि सिल्ट है लकिन इतने बड़े काम के लिए भारत सरकार से इस पर बात हो रही है (क्रमशः)

टर्न-11/मधुप/26.03.2022

..क्रमशः..

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय सदस्य का जो लास्ट था, वह यह था कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रश्नगत गाँव यथा कहारपुर, गोविंदपुर, मुसहरी, ब्रैचा कोसी नदी के बायें किनारे स्थित है जबकि लोकमानपुर एवं सिंहकुंड कोसी नदी के बीच में स्थित है तथा ढोढ़िया दादपुर, कालूचक, विषपुरिया गाँव कोसी नदी के दायें किनारे स्थित है । कहारपुर, सिंहकुंड, कालूचक अन्य जगह को बाढ़ से बचाने के लिए विगत वर्षों में भी कटाव निरोधक कार्य कराया गया था, जो बाढ़ अवधि में प्रभावी रहा । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हमलोग करायेंगे ।

2022 पूर्व प्रश्नगत ग्रामों यथा कहारपुर, म्रैचा, लोकमानपुर, सिंहकुंड, ढोढ़िया दादपुर, कालूचक, विषपुरिया आदि स्थलों के कटाव निरोधक कार्य से संबंधित योजनाओं की तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हो गई है जिसपर आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । उक्त आक्रम्य स्थलों पर बाढ़ 2022 अवधि में सतत निगरानी एवं चौकसी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, कटिहार को निदेशित किया गया है । यही था, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । सकारात्मक जवाब है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत विस्तार से दिया गया है और खासकर मैं एक उदाहरण दिया हूँ, माननीय मंत्री महोदय से पहले भी मैंने मिलकर अपने क्षेत्र के बारे में बताया है । महोदय, उसमें गोविंदपुर मुसहरी महादलित की बस्ती कटकर, पूरी बस्ती को चार साल हो गया लेकिन उसपर भी कोई कार्य नहीं हुआ । कहारपुर, गोविंदपुर मुसहरी, म्रैचा, लोकमानपुर, सिंहकुंड, ढोढ़िया दादपुर, कालूचक, विषपुरिया सब जगह कटाव अभी भी चालू है और विभाग के द्वारा कहा गया है कि हम टी0ए0सी0 में करवा लिये हैं लेकिन एस0आर0सी0 में अभी तक वह विभाग को समर्पित है । वहाँ से पास नहीं हुआ है । माननीय मंत्री महोदय ने खुद ही कहा है कि 15 मई तक हम सब कार्य करवा लेते हैं । केवल माननीय मंत्री महोदय से, चूंकि ये सारा गाँव महादलित का है, अति पिछड़ा का है, क्या इस वित्तीय वर्ष में वह जो कटाव होना है उसमें पूर्ण रूपेण उसको सुरक्षित कर देंगे ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उस एरिया में सारा गाँव बिल्कुल एज पर है । यह समस्या हरेक साल रहती है । पिछले साल भी यह समस्या थी और हमलोगों ने पिछले साल भी अपने जवाब में कहा है कि हमलोगों ने काम कराया है । इस बार भी बाढ़ पूर्व यह काम करवा देंगे । मैंने अपने जवाब में कहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : गोविंदपुर मुसहरी कट चुका है पूरा गाँव, महोदय । पूरा गाँव अगर इसी तरह कटते चला जायेगा तो आखिर वहाँ लोग कहाँ रहेंगे ? यह पूरा गम्भीर मसला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी गंभीरता से कह रहे हैं कि हम देखवा लेंगे ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, हमको आश्वस्त करें कि इस बार....

अध्यक्ष : मिल लीजियेगा, आश्वस्त कर देंगे ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी अपनी सूचना को पढ़े हैं । माननीय मंत्री जी।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर प्रखंड में हरैली धार प्राकृतिक धार है तथा गोला धार एवं बसनवाड़ा धार का निर्माण वर्ष 1981 से 1984 के बीच हुआ है । साथ-ही, पुरैनी प्रखंड में गमैल ड्रेनेज तथा योगीराज कैच ड्रेन एवं चौसा प्रखंड में चौसा धार का निर्माण वर्ष 1921 से 1984 के बीच हुआ है । उक्त ड्रेनेज धारों का उड़ाहीकरण....

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, हमको भी कुछ बोलना है ।

अध्यक्ष : आप यहाँ थे कि नहीं ?

श्री ललित नारायण मंडल : हम थे ही ।

अध्यक्ष : जब दूसरा प्रश्न बढ़ गया तब बोलियेगा ? बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : उक्त ड्रेनेज धारों का उड़ाहीकरण का कार्य विगत वर्षों में नहीं कराया गया है । कई जगहों पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा धार पर खेती किया जा रहा है । कार्यपालक अभियंता, सहरसा द्वारा सी0ओ0 को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है । बसनवाड़ा धार एवं गोला धार ड्रेनेज चैनेल का वर्ष 2011-12 में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया लेकिन उसकी तकनीकी संभाव्यता नहीं पायी गयी ।

अतः उक्त ड्रेनेज की सफाई से चौरों की जल निकासी संभव नहीं है । पूर्वी कोसी कमांड क्षेत्र के सुरसर, घेमरा, हईया, तेलाबे, बोचहा, फरियानी एवं हरैली धार, उपरोक्त सभी धार सहित का पुनर्स्थापन करने हेतु इंटिग्रेटेड योजना का डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर को निदेशित किया गया है । जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को विभागीय पत्रांक 25 मार्च के द्वारा ड्रेनेज के अतिक्रमण मुक्त कराने और आज यहाँ आने से पहले मैंने फोन पर मधेपुरा के डी0एम0 से भी बात किया है उनसे कि प्रायोरिटी पर अतिक्रमण मुक्त करायें । कराना तो लोकल प्रशासन को है । उसके बाद उसका ड्रेनेज का सिस्टम है, उसको भी हमलोग ठीक करा देंगे ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूँ कि जिन जल निकासी नाली के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चाएँ की है, उस नाले होकर किसानों के गहरे चाप की पानी की निकासी होती है कोसी नदी में, चाहे वह बसनवाड़ा धार ड्रेनेज हो, गोला

धार ड्रेनेज हो, हरैली धार ड्रेनेज हो, योगीराज कैच ड्रेन हो, गमैला धार ड्रेनेज हो, मुर्छा चाप ड्रेनेज हो, चौसा धार ड्रेनेज हो । राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा भी दिया है जिनकी खेती पड़ती थी उसमें ।

महोदय, लगातार वह ड्रेनेज भरते जा रहा है यानी खेत का लेवेल और ड्रेनेज का लेवेल एक जैसा हो गया है और किसान बराबर, हमलोग जब क्षेत्र में घूमते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, तो मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितनी जल्द सम्भव हो सके, उस ड्रेनेज की जो गाद है उसकी सफाई करते हुए और अतिक्रमण के बारे में आपने कलक्टर को लिखा है, अविलंब उसपर कार्रवाई हो ताकि किसानों के गहरे चाप के पानी की निकासी हो सके और आगामी फसल जल्दी से हो सके, यही हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा कि पूरा इनक्रोच हो गया है और जबतक इनक्रोचमेंट खाली नहीं होगा तबतक उससे हमलोग गाद नहीं निकाल सकते हैं । हमने डी0एम0 को पर्सनली भी फोन किया है और चिट्ठी भी लिखा है विभाग की तरफ से और इंटिग्रेटेड प्लान उस पूरे एरिया का, माननीय सदस्य हमसे मिलते भी रहे हैं लगातार इस विषय पर, अब इनक्रोचमेंट थोड़ा लोकल स्तर से ही उसको हटाना पड़ेगा । वह हट जायेगा तो फिर हमलोगों को काम कराने में सुविधा होगी । वह हमलोग फॉलो-अप कर रहे हैं जिला प्रशासन से ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी की संवेदनशीलता आप देख रहे हैं कि जो विषय आगे बढ़ गया, इन्होंने आकर जवाब दिया, यह सदन को गौरवान्वित करने का विषय है । इसलिए मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

अब जो कुछ शून्यकाल बच गये हैं, सहमति हो तो ले लें ।

टर्न–12/आजाद/26.03.2022

शेष शून्य काल

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड अन्तर्गत गुनाईबसही पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है, जिसके कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: जनहित में गुनाईबसही पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करने की मॉग करता हूँ ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के नवादा नगर स्थित मंगर बिगहा से बुधौल बस स्टैण्ड जाने के पहले खूरी नदी स्थित पुल के निर्माण हेतु जनहित में मांग करती हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज प्रखण्ड में पंडई नदी और हखोड़ा नदी में सिल्ट भर जाने के कारण शहरी क्षेत्र के साथ लगभग 2 दर्जन गांव बाढ़ के मौसम में हर वर्ष प्रभावित हो जाते हैं और गांव के साथ किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है ।

अत: दोनों नदियों पर सिल्ट निकलवाते हुए गाइड बॉध बनवाने की मांग करती हूँ ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड के फरदा गांव एवं उसक इर्द–गिर्द के लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक जमीन गंगा के तेज धार में विलीन हो गया है । फरदा ग्राम एवं आसपास के कृषक मजदूर को राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभी दलीय नेताओं से आग्रह भी रहेगा कि जो इसमें भागीदारी करेंगे, उसको अपने ढंग से क्योंकि कर्त्तव्य बोध पर हमलोगों को विशेष चर्चा करनी है, इसलिए तैयारी उस हिसाब से हो ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/शंभु/26.03.22

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

माननीय सदस्यगण, ''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022'' का व्यवस्थापन होगा। आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । वाद-विवाद तथा सरकार के उत्तर के लिए कुल एक घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

भारतीय जनता पार्टी	- 19 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	- 18 मिनट
जनता दल युनाइटेड	- 11 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 05 मिनट
सी0पी0आइ0एम0एल0	- 03 मिनट
ए0आइ0एम0आइ0एम0	- 01 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	- 01 मिनट
सी0पी0आइ0एम0	- 01 मिनट
सी0पी0आइ0	- 01 मिनट

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक,2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी नहीं हैं । माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा नहीं हैं । माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन, प्रारंभ करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो विनियोग विधेयक, 2022 लाया गया है जिसमें सरकार ने कुल 2 लाख 41 हजार 206 करोड़ 95 लाख 35 हजार रूपया की निकासी के लिए विनियोग विधेयक यहां पेश किया गया है । इसके विरोध में मैं बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ । महोदय, विरोध का जो कारण है कि जो बजट पिछले बार सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया उस बजट में बहुत सारे विषयों पर हमारे विभागीय मंत्रियों ने अपनी राय को इस सदन में रखने का काम किया और सरकार की जो नीति है, कार्यक्रम है उसके संबंध में अपनी बातों को बताने का काम किया, लेकिन महोदय जो माननीय मंत्री जी ने जिन-जिन विषयों पर सरकार ने जो फोकस किया है इस बजट में उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है और शिक्षा विभाग पर बजट का जो प्रावधान किया गया है उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं । इन्होंने बोलने के क्रम में कहा था कि शिक्षा गुणवत्ता को बिहार में शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना है और शैक्षणिक संस्थानों तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है तथा यू0एन0ओ0 द्वारा घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है । हुजूर, यही माननीय मंत्री जी ने प्राथमिकता गिनाया था सरकार का सुनने में भी हमलोगों को बहुत अच्छा लगा था कि

सरकार की जो सोच है बिहार जैसे युवा प्रदेश में जहां कि 54 प्रतिशत बेरोजगारी है और इस 54 प्रतिशत बेरोजगारी वाले प्रदेश में यदि शिक्षा के स्तर में सुधार होता है तो शिक्षा निश्चित रूप से समाज के विकास का एक सबसे बड़ा आधार है । इसलिए हमलोगों को भी लगा था कि एक जो नया बिहार बनाने की बात बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और कहते हैं कि न्याय के साथ हम बिहार का विकास करना चाहते हैं तो लगा था कि एक बेहतर वातावरण बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन महोदय जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर जो साक्षरता का दर है- 73 प्रतिशत साक्षरता का दर पूरे देश में है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में अभी साक्षरता का दर मात्र 61.8 प्रतिशत है जो सबसे कम है पूरे देश के अंदर । यह बताता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितना सजग है । सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश शिक्षा के मामले में देश में बिहार है । महोदय, छात्र शिक्षक का जो राष्ट्रीय अनुपात मानक है उसको यदि देखा जायेगा तो प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक की व्यवस्था है पूरे देश में जबकि बिहार में यह आंकड़ा 38 यानी 38 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हैं । जब हम शिक्षा के लक्ष्य को सस्टेनेबल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जहां हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा तो हम फिर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जो नीतियां बनाती है उसको कार्यरूप में परिणत करना होगा और धरातल पर उसको लाना पड़ेगा जब तक धरातल पर हम नहीं लायेंगे तो अपने लक्ष्य को सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है । महोदय, सरकार की कमजोरियां क्या है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है, गांव के अंदर में कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो भवन नहीं है, पुस्तकालय का अभाव है स्कूल के अंदर ।

अध्यक्ष : आपका 8 मिनट का ही समय था

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, श्री अवध बिहारी चौधरी और इनका दोनों का मिलाकर है ।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, पुस्तकालय का अभाव है, प्रयोगशाला नहीं है स्कूल में, छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है यह हालत है । महोदय, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी भी प्राइमरी स्कूल के छात्र बेंच पर बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं करते स्कूल के अंदर वे धरातल पर जमीन पर बैठकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं । यह दुर्भाग्य है पूरे बिहार का कि प्राइमरी स्कूल में कहीं भी बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है । अभी शिक्षकों के बहाली की जो स्थिति है ।

(क्रमशः)

टर्न-14/पुलकित/26.03.2022

श्री राकेश कुमार रौशन (क्रमशः) : महोदय, 11 वर्षों से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, अभी तक सरकार ने इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की और उल्टे, जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं रोजगार के लिए जब सड़क पर उतरते हैं, तो ये सरकार उन पर गोली और लाठी चलाने का काम करती है । महोदय, यही बिहार के अंदर इनकी सोच है । महोदय, एक तरफ सरकार कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हम जब रोजगार की मांग करते हैं, हम जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई करते हैं तो इस लोकतंत्र में हमारे हक और अधिकार को कुचलने के लिए पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके हमारे हक और अधिकार को दबाया जाता है । अभी दूसरे सत्र में इसी पर चर्चा होनी है उस पर भी हमारे साथी विचार रखेंगे । महोदय, इसलिए यह विचारणीय विषय है इस लोकतंत्र में । यदि जनता किसी बात को उठाती है तो उसकी आवाज को दबाने से पहले, उसकी आवाज को सुनकर सरकार को कोई ठोस नीति, कार्यक्रम बनाना चाहिए । महोदय, ये हालत है शिक्षा की । मैंने इसलिए शिक्षा पर विस्तारपूर्वक बताया कि सबसे ज्यादा बजट का भाग शिक्षा पर खर्च करने की बात सरकार कर रही है । महोदय, दूसरी बात है बिहार के अंदर अभी जो हालात है, कल हुजूर गृह विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी, सारे क्राइम्स की रिपोर्ट, सारे हमारे साथियों ने बोलने के क्रम में भी डाटा उद्धृत किया था । आज क्या हालत है, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने जिस बात को उठाया था, एक भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया । महोदय, पुलिस का क्या काम है ? महोदय, पुलिस का काम है, crime prevention, law and order maintenance, traffic management of general policing. लेकिन यहां की पुलिस बस अपना एक ही मुख्य काम मानती है, वह है शराबन्दी और शराबन्दी से अर्जित होने वाली अवैध आय । महोदय, यही हालत है पूरे बिहार के अंदर । महोदय, पुलिसिंग के महत्वपूर्ण पड़ाव होने चाहिए । Prevention, Pre-emption or Impartial full proof water tight investigation. बिहार पुलिस इन सब में शत-प्रतिशत लचर, लापरवाह, घूसखोर और भ्रष्ट है और इसके लिए गृह मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार हैं । आज पूरे बिहार के अंदर 11 लाख मुकदमें न्यायालयों में लंबित हैं और ये 11 लाख मुकदमें जो लंबित हैं ये किसके मुकदमें लंबित हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं वैसे लोगों के मुकदमें लंबित हैं, लेकिन न्यायालयों के अंदर आज पटना हाईकोर्ट की क्या स्थिति है ? 45 प्रतिशत जजों की सीट खाली है और कोई

वेकेन्सी ज्यूडिशियल सर्विस की नहीं है । सब-कोर्डिनेट कोर्ट की स्थिति उससे भी बदतर है । महोदय, सब-कोर्डिनेट कोर्ट में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बहाली का कोई सरकार के पास इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। महोदय, जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है वहां पर न्याय कैसे मिलेगा और न्याय की बात करते हैं, तो न्याय के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा और ऊपर से लेकर नीचे तक जो न्यायालयों में जजों की कमी है, जो कर्मचारियों की कमी है उस कमी को पूरा करना होगा और जब तक कमी को पूरा नहीं करेंगे तब तक न्याय की बात नहीं की जा सकती है । महोदय, अभी बिहार सरकार शराबबन्दी पर बहुत जोर दे रही है और शराबबन्दी एक ऐसा कानून है बिहार में जिसमें सबसे ज्यादा अमेडमेंट हुए, शराबबन्दी के कानून में । इस शराबबन्दी के बारे में अभी हमलोगों ने सुना कि अब सरकार एक नया प्रावधान यह बनाने जा रही है कि जो शराब पीने वाले हैं, तो उन शराब पीने वालों को नहीं पकड़ा जायेगा यदि वे यह बता देंगे कि शराब हम कहां से लाये । महोदय, ये कानून बनाने वाला सदन है इसी सदन में कानून बनाया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में कहते हैं कि any confession which has been made before police has no evidence value at all. कोई भी कन्फेशन इस्टेटमेंट जब पुलिस के सामने दी जाती है तो उसकी कोई साक्ष्यात्मक वैल्यू नहीं होगी । Until or Unless on the basis of the confessional statement. महोदय, यदि कोई रिकवरी होती है तब उसका कोई इवीडेंशरी वैल्यू हो सकती है। महोदय, ये एक तरफ न्याय की बात करते हैं और जो कानून हमने बनाया है उसी कानून की धज्जी उड़ाकर ये कानून में संशोधन करने की भी प्रक्रिया की बात करते हैं । महोदय, इसलिए ये सरकार सिर्फ घोषणाओं के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर, झूठे आंकड़ों के आधार पर बिहार के विकास की बात कर रही है । महोदय, सरजमीन पर कुछ अलग ही व्यवस्था है। महोदय, हम प्रदेश में हमेशा इस बात को कि नालंदा का विकास मॉडल। महोदय, मैं उसी नालंदा जिला से आता हूं जहां के विकास मॉडल की बात होती है । दु:ख तो तब होता है जब सत्ता पक्ष के लोग विकास मॉडल की बात करते हैं और हमारे साथी भी उसमें सुर में सुर मिला देते हैं और कहते हैं कि नालंदा के विकास मॉडल को एडॉप्ट होना चाहिए । क्या है नालंदा का विकास मॉडल ? मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 36 ऐसे गांव और टोले हैं जहां सड़क नहीं पहुंची है । 36 गांव में अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं है । हमारे यहां 38 स्कूल हैं जिसमें 32 स्कूल भवनहीन हैं । ये सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति मैं बता रहा हूं कि 32 विद्यालय भवनहीन हैं । महोदय, इसके अलावा नालंदा के अंदर जो सिंचाई का

संसाधन था, जो उदेरा स्थान सिंचाई योजना की बात कही जाती थी उस उदेरा सिंचाई योजना को आजतक चालू नहीं किया गया । परमार सिंचाई योजना की खुदाई के नाम पर करोड़ों रुपये की निकासी कर ली गई, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है । महोदय, यह नालंदा की वस्तुस्थिति है । नालंदा के कुछ क्षेत्रों का विकास जरूर हुआ । महोदय, राजगीर को माननीय मुख्यमंत्री जी ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन नालंदा जिला का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां आज भी उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं, उन इलाकों में जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उस बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी पूर्ति नालंदा जिले के ग्रामीण इलाकों के अंदर नहीं हुई है । महोदय, इसलिए इनका नालंदा का विकास मॉडल सिर्फ एक सपना दिखाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला मॉडल है, वहां से लोगों से जाकर जब आप जानेंगे तो वहां की जमीनी सच्चाई से आपको पता चलेगा और तब समझ में आयेगा कि नालंदा के विकास मॉडल को कहकर सरकार किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है । महोदय, इसलिए इस प्रदेश के जो हालात हैं चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हमने बताया, जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस बिहार में । प्रशासनिक व्यवस्था को यदि आप देखेंगे तो यहां पर....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, संक्षिप्त करा रहा हूं ।

अध्यक्ष : समय आपका पूरा हो गया है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, बस दो मिनट दिया जाये । महोदय, बिहार में एडिमिनिस्ट्रेशन पैरालाइसिस है, कर्मियों में हताशा का माहौल है, कर्मी अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं । हायरार्की टूट गयी है, सीनियरटी और जूनियरटी का कोई फर्क नहीं है । मुख्यमंत्री जी बताते हैं 101 अनुमंडल में कितने ऐसे एस0डी0ओ0 और डी0सी0एल0आर0 हैं जो एस0डी0ओ0 से जूनियर हैं और कितने डी0सी0एल0आर0 वहां के एस0डी0ओ0 से सीनियर हैं । महोदय, ऐसी स्थिति है, दस-दस वर्षों के अनुभव के बाद सीनियरिटी का अंतर है लेकिन जात का भाई-भतीजावाद का फेवरिज्म है । महोदय, अफसरों की कमी बताई जाती है, आपके 15 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद भी अफसरों की इतनी भारी कमी क्यों है ? एक-एक अधिकारी को चार-चार, पांच-पांच विभाग का प्रभार दिया हुआ है और कहीं अधिकारियों को कोई काम नहीं है ।

(क्रमशः)

श्री राकेश कुमार रौशन (क्रमशः) : अच्छे अधिकारियों को संट किया गया है । मुट्ठी भर चम्चई करने वाले अधिकारी सरकार चला रहे हैं । प्रदेश के प्रभारियों का एक रूल बनना चाहिए महोदय, कंप्रेंसिव ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी बननी चाहिए । प्रमोशन्स रूके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस का हवाला दिया जा रहा है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कर लीजिए ।
माननीय सदस्य, श्री विनोद नरायण झा ।

श्री विनोद नारायण झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इसकी जो प्रक्रिया है उसको आलप्रूव, फुलप्रूव बनाने के लिए तरह-तरह की व्यवस्थाएं की गयी हैं । उसी में से एक व्यवस्था है कि आज जो इन्होंने विधेयक लाया यह एक विशिष्ट व्यवस्था है । हमारे बजट तो पास हुए हैं लेकिन कहते हैं कि ये विनियोग जो है, विधान सभा ने उन्हें तिजौरी तो दे दी लेकिन उसकी चाभी विनियोग के पारित होने के बाद देगी । यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, हमारी संसदीय प्रणाली की उत्कृष्ठता का प्रमाण है और आज हमारे विधायक दल के नेता, बीजेपी विधायक दल के नेता हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर जी ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है हम उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । आज उन्होंने 2 लाख 41 हजार करोड़ विनियोग विधेयक के लिए जो स्वीकृति मांगी है ये अपने आप में हमारा दायित्व बनता है कि हम जल्द-से-जल्द इसकी स्वीकृति दें । हमारे यहां कहावत है कि किसे हम, मां-बाप किस बच्चे को, पात्र बच्चे को अधिकार देता है धन खर्च करने का, जो कुपात्र होता है उसे नहीं देता लेकिन अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इस सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उन्होंने जिस अच्छे तरीके से व्यय किया है उन्हें देने के लिए हमारी तत्परता है कि हम उन्हें यह विधेयक पारित करके दें । इस बजट की अनेक विशेषताएं हैं । सबसे बड़ी विशेष्ता है कि इसमें प्लेन बजट जो योजना व्यय है उसका एक बड़ा आकार है । कहा जाता है कि किसी राज्य का विकास उसके योजना व्यय के आकार पर निर्भर करता है और इस बजट की विशेषता यह है कि यदि 2 लाख 41 हजार करोड़ का यह बजट है तो उसमें एक लाख करोड़ रुपया योजना व्यय है, डेवलपमेंटल बजट है, विकास का व्यय है । याद आती है हमें जब इस राज्य में हम कहते हैं कि 23 हजार करोड़ से 2 लाख 41 हजार करोड़ पर आये हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि जब 23 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था तब उसमें योजना व्यय और विकास व्यय 4 हजार 400 करोड़ हुआ था 2005 में । 4 हजार 400 करोड़ 23

हजार करोड़ का 12, 13, 14 परसेंट है और यदि एक लाख करोड़ है 2 लाख 41 हजार करोड़ में तो यह 42, 43 परसेंट का हमारा व्यय है । यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार बजटें नहीं बढ़ाती है, विकास को बढ़ाती है इसलिए विकास दिख रहा है । हर क्षेत्र में विकास दिखा है । ये जो योजना का आकार बढ़ा है और इन योजनाओं के आकार के कारण विकास का जो स्वरूप है जिसको कहते हैं, दुनिया में चर्चा है कि विकास कैसा हो ? विकास सस्टेनेबुल हो और इन्क्लूसिव भी हो । एक तरह से वह सतत विकास है और दूसरी तरफ वह सर्वसमावेशी भी हो । हमारे विकास की जो धारा है वह समावेशी भी है, सस्टेनेबुल और टिकाउ भी है, सतत विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ है । इसलिए जिस राज्य में कल्पना नहीं होती थी कि सरकार हाईस्कूल खोलेगी, हाईस्कूल तो प्राइवेट में खुलती थी, एकाध सरकारें खोलती थी, सरकार सिर्फ अधिग्रहण करती थी । उस राज्य ने निर्णय किया कि हम पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक हाईस्कूल खोलेंगे । इसीलिए विकास के लक्ष्य दिखने लगें । जिस राज्य में यह कल्पना नहीं होती थी कि यहां मेडिकल कॉलेज भी खोले जाते थे । जो चार-पांच मेडिकल कॉलेज पहले थे 2005 से वह मेडिकल कॉलेज या तो अंग्रेज के जमाने में खुले या प्राईवेट खुले थे जिनका अधिग्रहण हुआ था । इसलिए हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र की कहानी तो अद्‌भुत है । जिस राज्य में 700 मेगावाट प्रतिदिन की खपत है वहां 7000 मेगावाट की ओर हम बढ़ रहे हैं, यह विकास की असाधारण गाथा को कहती है । इसलिए जिस-जिस भी क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं, जहां भी हम नजर दौड़ाते हैं तो विकास होता है लेकिन विकास एकपक्षीय नहीं है, सिर्फ विकास ही नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी डेवलपमेंट ही नहीं है इसके सामाजिक आयाम भी हैं, इसके राजनीतिक आयाम भी हैं, सामाजिक आयम भी हैं, एक तरह से सामाजिक न्याय दिखता है । इस विकास में सामाजिक सद्‌भाव दिखता है, इस विकास में सामाजिक भाईचारा दिखता है, इस विकास में स्त्री विमर्श दिखता है, इस विकास में दलित विमर्श दिखता है और सिर्फ जीडीपी का ग्रोथ या परकैप्टा इन्कम में बढ़ोतरी ही नहीं दिखता है जितने भी आयाम हैं, सभी आयाम इस विकास में दिखता है और इसलिए तो कहते हैं कि यह विकास ब्रांड नीतीश है, यह विकास ब्रांट एन0डी0ए0 है, यह विकास ब्रांड बिहार है जिसका दुनिया नकल करती है, भारत नकल करता है । विभिन्न क्षेत्रों में जो यहां पर विकास हुए उन विकासों को देखने के लिए लोग आते हैं, पता करते हैं कि कैसे इस राज्य ने विकास की इस धारा को आगे बढ़ाया है । कैसे एक तरह से सामाजिक न्याय का इतना बड़ा काम हुआ है । सामाजिक सद्‌भाव का भी काम हुआ है, भाईचारा का भी काम हुआ है, स्त्री विमर्श का भी काम

हुआ है, दलित विमर्श का भी काम हुआ है इसलिए देश-दुनिया देखती है । यह हमारा विकास समावेशी विकास है और टिकाउ विकास तो है ही । जिस-जिस क्षेत्र में हम नजर दौड़ायेंगे उस क्षेत्र में विकास की अनंत गाथाएं हैं और यह दो-चार मिनटों में नहीं एक-एक विभाग की चर्चा जब करेंगे कि राज्य ने कहां से कहां पहुंचने का काम किया है तो यह अपने आप में एक बड़ी कहानी है । आप कह सकते हैं कि यह विकास हमारा गौरव गाथा है, यह हमारा विकास गौरव की गाथा है । जब बिहार की इतिहास लिखी जायेगी तब इसकी चर्चा होगी कि ये कैसी गौरव गाथा बिहार में लिखी गयी थी । हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत होती है, सामाजिक न्याय आज समय की आवश्यकता है । आज दुनिया जब 21वीं सदी में है इतनी डिस्परेटी हो यह उचित भी नहीं है । सामाजिक न्याय वक्त की आवश्यकता है लेकिन सामाजिक न्याय को जिस खूबसूरती से इस सरकार ने अंजाम दिया आने वाला इतिहास लिखेगा और इस सरकार ने सामाजिक न्याय को दिया, एक कलम उठाया नीतीश कुमार की सरकार ने, मुख्यमंत्री और हमारे एन0डी0ए0 की सरकार ने कलम चलाया और एक झटके से बिहार की महिलाओं को आधे से अधिक आरक्षण पंचायत चुनाव में हो गया । आधे से अधिक मुखिया हो गयीं, आधे से अधिक प्रमुख हो गयीं, आधे से अधिक जिला परिषद् की अध्यक्ष हो गयीं । ऐसे ही अति पिछड़ा समाज का हुआ । कोई लाठी में तेल नहीं पिलाया गया ललित जी, न ही छः इंच छोटा किया गया ललित जी और न ही भूरा बाल साफ किया गया ललित जी । न भूरा बाल साफ हुआ, न लाठी में तेल पिलाया गया और न ही एक-दूसरे को लड़ाया गया सिर्फ नीतीश कुमार जी ने कलम में रोशनाई भरी और फाइल आयी, उस फाइल पर दस्तख्त कर दिया और समग्र समाज बिहार की 12 करोड़ की आबादी उनके साथ में खड़ी हो गयी । हर गांव में सामाजिक न्याय के झंडे बुलंद हो गये । यह है विकास, यह है विकास का मॉडल और इसलिए तो कहते हैं कि ब्रांड नीतीश क्या है ? ब्रांड नीतीश पर अनेक इतिहास लिखे जायेंगे, अनेक ग्रंथ लिखे जायेंगे कि किस तरह बिहार को बदलते हुए देखा, किस तरह से सोशल रिफॉर्म को होते हुए देखा । जिस राज्य में खबरें होती थीं कि आज उस इलाके में 25 लोग मारे गये । अगले महीने दूसरी खबर आती थी कि रिवेंज में 50 लोग मारे गये, उस राज्य में खबर आती है कि दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय बिहार में बना है, उस राज्य में खबर आती है सबसे सुंदर, सबसे अच्छा हॉल जो बन रहा है वह कंन्वेंशन सेंटर बना है, वह बिहार में बना है । पुलिस मुख्यालय बना है वह बिहार में बना है, ये खबरें आती हैं । दस साल पहले जो पटना से गया होगा आज वह यदि पटना आयेगा तो उसको यह

फर्क देखायी देगा और इन फर्कों का स्वरूप है कि जिस तरह से, हर तरह से यह फर्क दिखायी देगा । हमारे मित्रों को लगता है कि 15 वर्ष की चर्चा आप क्यों करते हैं ? विकास का कोई निश्चित मानक नहीं होता, कोई मेजरिंग रॉड नहीं होता, कोई एक रेखा नहीं होती जिसको विकास कहते हैं । विकास तो एक कम्परेटिव रूप है कि वहां का विकास क्या है, आज का विकास क्या है । विकास के स्वरूप भी बदलते हैं, विकास के आकार भी बदलते रहते हैं । इसलिए हमें करना ही पड़ता है कंपेरिजन किसी से, किस आधार पर होगा । आप भी जब करते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जब भाषण करते हैं, वे भाषण क्या करते हैं कि नीति आयोग ने क्या कहा । नीति आयोग क्या करता है वह कंपेरिजन करता है । -क्रमशः-

टर्न-16/हेमन्त/26.03.2022

श्री विनोद नारायण झा(क्रमशः) : कि बिहार में क्या विकास हुआ और गुजरात में क्या विकास हुआ और यह कंपरीजन करता है । इसलिए अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सुनिये ।

श्री विनोद नारायण झा : विकास कंपेरेटिव है और इसीलिए जब हम विकास की बात कहते हैं, तो 15 वर्ष की चर्चा करना बाध्यकारी है, क्योंकि तभी तो हमारी तुलना होगी । ये तुलनात्मक विवेचन है और यह तुलनात्मक विवेचन ही तो विकास है और हम आपको बता देते हैं ललित जी । अध्यक्ष महोदय, हम आपको बता देते हैं । हमारी तुलना कैसे हो सकती है बाकी राज्यों से ? जरा आप एक बार हमारे इन विषयों पर आइये । आप बता सकते हैं, हम इतिहास बदल सकते हैं और एन0डी0ए0 ने इतिहास बदला है । हम इतिहास बदल सकते हैं । नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इतिहास को बदला है । लेकिन क्या हम भूगोल बदल सकते हैं ? कोई ताकत भूगोल नहीं बदल सकती । आपको मालूम है हमारी आबादी है 12-13 करोड़ और हमारा क्षेत्रफल है 94 हजार वर्ग किलोमीटर और बगल के राज्य से हमारी तुलना होती है । आप चले जाइये राजस्थान, उसका क्षेत्रफल है 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर, कहां 94 हजार वर्ग किलोमीटर और कहां 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर, आबादी है 8 करोड़ । चले जाइये गुजरात, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और आबादी है 7 करोड़ । अरे, बड़े राज्यों की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे राज्य में चलिये । उड़ीसा, 1 लाख 55 हजार वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और आबादी है 5 करोड़ । हमारी आबादी है 12-13 करोड़ और हमारा क्षेत्रफल है 94 हजार

वर्ग किलोमीटर । इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी भी विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं । बाढ़ तो दुनिया में आती है, भारत के अन्य राज्यों में भी आती है । क्या उसकी तीव्रता बिहार जैसी है ? हम हिमालय की तलहटी में बसते हैं, जो तीव्रता बिहार में होती है, क्या वह दूसरी जगह होती है ? इसीलिए हम भूगोल नहीं बदल सकते । हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, हम किसी समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं कि हमारा यातायात बाहर से होगा । हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं और इस भूमिबंदी स्टेट में हमारी बाध्यताएं हैं, हमारी सीमाएं हैं और सीमाएं क्या हैं ? आप जानते हैं कि 94 हजार वर्ग किलोमीटर में 90 का आंकड़ा है कि 71 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ में चली जाती है । इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, इतना बड़ा घनत्व है, इसके बावजूद यदि हमने विकास किया है, तो यह विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव था, एन0डी0ए0 के नेतृत्व में संभव था । क्योंकि सामाजिक न्याय किसी का नारा था और सामाजिक न्याय एन0डी0ए0 और नीतीश कुमार का कमिटमेंट है । इसलिए हमने सामाजिक न्याय भी किया और विकास भी किया । हमारा कमिटमेंट है...

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा : हम नारा लगाकर वोट नहीं लेना चाहते हैं । हम रिजल्ट देकर वोट लेना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा : इसीलिए हम सदन से कहते हैं कि हमारे वित्तमंत्री श्री तारकिशोर जी ने जो दो लाख इकतालीस हजार दो सौ छह करोड़ पंचानवे लाख पैंतीस हजार रुपये का जो विनियोग रखा है उसे सर्वसम्मति से पारित करे । धन्यवाद । जय हिन्द, जय बिहार ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया है ।

(व्यवधान)

माननीय ललित नारायण मंडल जी ।

(व्यवधान)

चलिए, समय बहुत सीमित है ।

श्री ललित नारायण मंडल : समय कितना है सर ?

अध्यक्ष : शुरू करिये, माईक है ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप लोग, बैठ जाइये ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बिहार..

अध्यक्ष : पांच मिनट का समय है । गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : विनियोग (संख्या-2) विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महाशय, विनियोग विधेयक क्या है, यह हम सब लोग जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है । यह चाबी है, जैसे हमारे सर ने अभी बताया कि यह ए0टी0एम0 है, यह चेकबुक है और जब तक हम सरकार को यह नहीं देंगे, सरकार के जो 51 विभाग, जो विधान सभा में हम लोग एक महीने से तकरीर कर रहे हैं, वह कैसे चलेगा ? बिहार का विकास करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है । इसलिए हम यह चाबी सरकार को देना चाहते हैं सरकार का जो इस्टीमेट है, जो काम करना है 241206,95,35,000/- (दो लाख इकतालीस हजार दो सौ छह करोड़ पंचानवे लाख पैंतीस हजार) रुपये का जो इस्टीमेट हम इनको देने का फैसला करते हैं । महोदय, ये जो है एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के पूरे खर्च का ब्यौरा है । महोदय, समय हमारे पास कम है, बिहार में कितना विकास हुआ, इसका कहना, हिसाब लगाना चार मिनट में संभव नहीं है । हमारे विरोधी मित्र भी जब उनका हम भाषण सुनते हैं तो वे विकास की बात करते हैं कि ये विकास हुआ, ये नहीं हुआ, अच्छा लगता है । एक जमाना था जब केवल विनाश ही विनाश की बात होती है, विकास की बात होती नहीं थी । आज अगर विधान सभा में विकास की बात होती है तो हम इसके लिए एन0डी0ए0 को और हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को और अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि आप दोनों के सफल नेतृत्व में विरोधी भी विकास की बात करते हैं । महोदय, आज आप गांव-गांव जाइये, गांव-गांव में सड़क चमकती है, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है । 24 घंटे बिजली रहती है, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ब्लॉक की नई बिल्डिंग बन रही है, थाने की भी नई बिल्डिंग बन रही है, महिला सिपाही की बहाली हो रही है, कॉलेज टीचरों की बहाली हो रही है, हर पंचायत में हाई स्कूल खोला जा रहा है । महोदय, यह साधारण बात नहीं है । महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण देने की बात इसी एन0डी0ए0 सरकार ने की है ।

(व्यवधान)

इसलिए हम यह तकरीर करते हुए बिहार सरकार को यह अधिकार देना चाहते हैं ....

अध्यक्ष : आप संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : कि आप ए0टी0एम0 लीजिये और बिहार के विकास में आगे बढ़ाइये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, एक मिनट में मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं । सर, हम चाहते हैं कि अंगिका और मगही भाषाओं को अष्टम् सूची में डालकर जनगणना में इन भाषाओं को मातृभाषा प्रदान करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की जाय और सर, एक बात और है । चूंकि हम सुल्तानगंज विधान सभा से आते हैं । सुल्तानगंज विधान सभा में सुल्तानगंज को अनुमंडल तथा सबौर और अकबर नगर को प्रखंड बनाने की मांग हम करते हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विनियोग....

(व्यवधान)

आपको डाटा देंगे सर, लेकर आये हैं । आपने मुझे विनियोग विधेयक पर बोलने का...

अध्यक्ष : पांच मिनट का समय है, गागर में सागर भरना है ।

श्री अजीत शर्मा : दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं । सामान्य विमर्श..

(व्यवधान)

बोलने दीजिए, समय कम है मेरा । हम तो किसी में नहीं बोलते हैं ।

अध्यक्ष : अच्छा, इधर आसन की ओर । आपका समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अजीत शर्मा : सामान्य विमर्श पर दो दिन और डिमांड पर 11 दिन कुल 13 दिन बजट पर चर्चा हुई है । मैंने इस बार मितव्ययिता के आधार पर बजट में कटौती का प्रस्ताव पेश किया है जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया है । यह बिहार विधान सभा के इतिहास में संभवत: पहली बार है जब मितव्ययिता के आधार पर मदवार कटौती प्रस्तुत किया गया हो । आपने अनुमति दी इसके लिए आपको बधाई देते हैं ।

आज जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत है इसे पारित होना ही है अन्यथा राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा । मैं भी इस पक्ष में हूं कि जब बजट पारित हो गया तो विनियोग विधेयक भी पारित हो, लेकिन इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य से सभी मांग और विनियोग विधेयक पारित हुए उसकी पूर्ति हो । बजट बनाने, उसके पुनरीक्षण और प्रत्यर्पण की एक निश्चित प्रक्रिया बजट मैनुअल में निर्धारित है जिसमें वर्णित है कि बजट बनाते समय निम्नांकित बिन्दुओं से बचा जाय : 1. अनावश्यक, अधिक, अपर्याप्त अनुपूरक उपबंध । 2. उपबंध में से बचत, अतिरेक । 3. लगातार बचत । 4. विवेकहीन पुनर्विनियोग । 5. अंतिम किन बचतों का अभ्यर्पण और बची धनराशियों का अभ्यर्पण नहीं होना ।

उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन सरकार नहीं करती है, फलस्वरूप हर सत्र में एक सप्लीमेंट्री बजट आता है । सप्लीमेंट्री बजट यदि एक-दो विभाग पर लाया जाय तो बात समझ में आती है लेकिन लगभग सभी विभागों से संबंधित सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया जाता है, यह अच्छी चीज नहीं है । (क्रमशः)

टर्न-17/धिरेन्द्र/26.03.2022

(क्रमशः)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं कुछ विभागों का उदाहरण देना चाहता हूँ । पहला जल संसाधन विभाग में, वर्ष 2019-20 में मूल बजट 2,662 करोड़ रुपये का था जिसे पुनरीक्षित कर 4,838 करोड़ रुपये किया गया और उसमें भी खर्च हुए मात्र 2,665 करोड़ रुपये । वर्ष 2020-21 में 3,000 करोड़ रुपये का मूल बजट उपबंध था जिसे पुनरीक्षित कर 3,653 करोड़ रुपये किया गया और खर्च 3,060 करोड़ रुपये ही किये गये ।

पर्यटन विभाग में, वर्ष 2020-21 में 25,779 लाख रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध मात्र 4,878 लाख रुपये खर्च किये गये । इसी तरह वर्ष 2019-20 में 27,500 लाख रुपये बजट उपबंध में से मात्र 3,424 लाख रुपये खर्च किये गये ।

वाणिज्य कर विभाग में, वर्ष 2020-21 में शीर्ष 2043, उप-शीर्ष 0002 में भाड़े की गाड़ी के भुगतान मद में 01 करोड़ 50 लाख रुपये को पुनरीक्षित कर 01 करोड़ 80 लाख रुपये किया गया और खर्च किये गये मात्र 27 लाख 91 हजार।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत, वर्ष 2017-18 में मूल बजट 90,092 लाख रुपये प्रावधान के विरुद्ध मात्र 39,616 लाख रुपये खर्च किये गये । इसी तरह वर्ष 2018-19 में 50,676 लाख रुपये के विरुद्ध 29,638 लाख रुपये, वर्ष 2019-20 में 53,511 लाख रुपये के विरुद्ध 28,030 लाख रुपये, वर्ष 2020-21 में 63,624 लाख रुपये के विरुद्ध 30,259 लाख रुपये ही खर्च किये गये ।

यह साबित करता है कि राज्य सरकार का बजट बनाने का तरीका सही नहीं है। बजट में मूल उपबंध को पुनरीक्षित कर वृद्धि की जाती है लेकिन खर्च मूल बजट से भी कम होता है । अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बजटरी सिस्टम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। इस बात का ध्यान बजट और सप्लीमेंट्री बजट में ...

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री अजीत शर्मा : निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए कि आकलन लगभग सही हो । महोदय, राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में जा रहा है जिसकी बानगी है अकूत संपत्ति धारक अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी । मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि उसने भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ अधिकारियों को पकड़ा है लेकिन इसे और तेज करने की जरूरत है । सरकार अपनी सूचना तंत्र को ऐसा विकसित करे कि कोई भी अधिकारी कहीं भी कुछ करता हो सरकार के संज्ञान में आये और उस पर तत्काल कार्रवाई हो । ऐसे लोग पूरे बजटरी सिस्टम को फेल करते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, अंत में कह देता हूँ । एक ऐसी परिस्थिति में जिस कार्यपालक अभियंता को पकड़ा गया है, उस प्रमंडल में एकाउंट सेक्शन में भी डिवीजनल एकाउंटेंट होता है जो राज्य सरकार का ऑडिट करता है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए । मैं अंत में एक ही बात कहता हूँ-

''लगाते, बुझाते, सिखाते, मिलेंगे ।
हथेली पे सरसों उगाते मिलेंगे ।।''

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल । तीन मिनट ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, मैं इसका शिक्षा वाला पढ़ रहा था, अभी पूरे देश में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट आयी है कि पूरे देश में 25 प्रतिशत बच्चे 10वीं के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं और 35 प्रतिशत दलित बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, 39 प्रतिशत आदिवासी बच्चे और 23 प्रतिशत माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं लेकिन बिहार में जो ड्रॉप-आउट है, इसमें जिक्र नहीं है और इस सर्वेक्षण के अनुसार, इसमें माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है और इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा 59 प्रतिशत बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं । अगर दलित की बात करेंगे तो 61 प्रतिशत और आदिवासी की बात करेंगे तो 80 प्रतिशत और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो 37 प्रतिशत बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देने के लिए मजबूर हैं । ये किनके बच्चे हैं, ये उन माता-पिता के बच्चे हैं जो देश के खेत-खलिहानों में, कल-कारखानों में, खान-खदानों में मेहनत करते हैं, खून-पसीना लगाते हैं, देश बनाने वाले हैं, राष्ट्र बनाने वाले हैं और ये बच्चे जब माँ के पेट में होते, माँ को भोजन नहीं मिलता है महोदय । कुपोषण का शिकार हो कर कम वजन में पैदा लेते हैं और पैदा होने के बाद माँ के

छातियों में दूध नहीं होता, तीन माह में माँ की छातियां सूख जाती, बच्चों की उपस्थिति मात्र 20–25 प्रतिशत है । पढ़ाई नहीं, कोई गुणवत्ता नहीं, हम मांग करते हैं कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू हो । किसके हक में, किसके भविष्य में सामान्य स्कूल प्रणाली हो कि सिफारिश को भंग किया गया । शिक्षा के अवसर में समानता भारतीय संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है और हम कहते हैं कि शिक्षा के अवसर में समानता दो, पता चल जायेगा ये राष्ट्र के साथ अपराध है कुपोषण के शिकार और पढ़ाई छोड़ देते, यह मानों संसाधन का नरसंहार है ....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, हो गया ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, शिक्षा के अवसर में समानता होगा तो पता चल जायेगा कि प्रतिभाएं विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के गर्भ में पला नहीं करती और इसीलिए जब शिक्षा के अवसर में समानता हो, यह हम मांग करते हैं ताकि राष्ट्र का विकास हो और सभी के बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था में आएं, शिक्षा को ....

अध्यक्ष : बैठ जाइये, हो गया । आपका समय हो गया, बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, बाजार को मॉल बना दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । एक मिनट ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है ....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । अधिकार के साथ–साथ कर्त्तव्य का ध्यान रखें ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा 02 लाख 41 हजार करोड़ का विनियोग विधेयक लाया गया है, मैं इसके खिलाफ में खड़ा हूँ । मैं इसलिए इसके खिलाफ में खड़ा हूँ चूंकि सरकार जो बजट लायी है इस बजट में बिहार के विकास के बारे में हमारे कई मित्रों ने चर्चा की लेकिन बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का, अशिक्षा का, उसको दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय इसमें नहीं बताया गया है । बिहार के विकास का पैमाना क्या होता है, अगर बिहार का विकास हो गया होता तो आज तमिलनाडु के जो ....

अध्यक्ष : आपका एक मिनट समाप्त हो गया ।

श्री अजय कुमार : तेलंगाना के अंदर जो 11 मजदूर मारे गये, वे मारे नहीं जाते ...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अजय बाबू ।

श्री अजय कुमार : महोदय, एक मिनट नहीं हुआ होगा ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह करेंगे कि बहुत अच्छी–अच्छी बातें करते हैं, एक–दूसरे को सुनना चाहिए । जिस अधिकार का आप उपयोग करते हैं तो

आपकी जिम्मेवारी सदन और आसन के प्रति क्या कर्त्तव्य है, उसका भी बोध आपको हमेशा रहना चाहिए । माननीय सदस्यगण अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : आपकी तरफ से लिख कर नहीं आया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्री जी ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, हम जब जिंदा उपस्थित हैं तो लिखकर देने की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष : आपका लिखित जो आता है, नहीं बोलना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती तो नहीं बोलवायेंगे। आपका लिखकर नहीं आया है लेकिन बोलना चाहते हैं तो एक मिनट में बोल दीजिये ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है । अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है और मेरे ख्याल से 16-17 बैठकें हुई हैं इस बीच में और सभी बैठकों में अलग-अलग विभागों का बजट भी आया है लेकिन मैं समझता हूँ कि ऊपरी तौर पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं । विकास के पैमाने भी दिखाये जा रहे हैं लेकिन सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर अगर आप गांव के अंदर जायेंगे तो देखेंगे कि हजारों-हजार, लाखों-लाख लोग बेरोजगार हैं । आप जायेंगे तो देखेंगे कि हजारों-लाखों लोग एक ही घर में सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, आप अगर गांव के अंदर जायेंगे तो देखेंगे कि गांव के अंदर वहां स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की क्या स्थिति है, लोगों को दवा नहीं मिल रही, दवा के बगैर लोग बीमारी से मर रहे हैं । आप अगर गांव के अंदर जायेंगे तो आपको ढेर सारे इस तरह की चीजों को देखेंगे ....

अध्यक्ष : अब विषय आ गया है, गांव के दर्द को लोग समझ लिये । अब हो गया ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट को संतुलित करने की जरूरत है और गांव का विकास जिस रूप में होना चाहिए....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राम रतन सिंह : उस अनुरूप इसको बनाने की जरूरत है । इन्हीं चंद बातों को कहते हुए चूंकि समय हमारे पास नहीं है और अध्यक्ष जी भी नाराज रहते हैं ....

अध्यक्ष : नहीं । आपका अधिकार है, हम तो सिर्फ कर्त्तव्य का बोध करा देते हैं । अब हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा । एक मिनट में, गागर में सागर भर दीजिये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी : अध्यक्ष महोदय, आज बिहार सरकार द्वारा लायी गई विनियोग विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । समय का अभाव है, अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा कि हमारी कुछ बातें लिखी हुई है इसे प्रोसीडिंग में सम्मिलित कर लिया जाय ।

टर्न-18/संगीता/26.03.2022

अध्यक्ष : ठीक है । धन्यवाद । अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ।
नहीं हैं । ऐसे लिखकर भेज देना चाहिए तो ज्यादा सहूलियत होती है । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधान मंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था । मैंने सरकार की ओर से 28 फरवरी को 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय का लक्ष्य निहित था महोदय । सदन में माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा पक्ष, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा बजट 2022-23 पर सामान्य विचार-विमर्श के क्रम में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए जिसे मैंने गंभीरता से संज्ञान में लिया है और बजट सामान्य विचार-विमर्श पर सरकार का उत्तर सदन के समक्ष रखा है । महोदय, आज माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन, श्री विनोद नारायण झा, श्री ललित नारायण मंडल, श्री अजीत शर्मा, श्री मनोज मंजिल, श्री अजय कुमार, श्री राम रतन सिंह एवं श्री प्रफुल्ल मांझी जी ने भी विस्तार से इन्होंने चर्चा की है । अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक आय-व्ययक के लिए अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान दिनांक 8 मार्च, 2022 से प्रारंभ होकर 25 मार्च, 2022 को समाप्त हो गया । अनुदानों की मांगों पर पक्ष-विपक्ष की ओर से कई अपने माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनके लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य के समावेशी, सतत एवं सर्वांगीण विकास का रहा है । वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण छह सूत्रों पर हम सबों ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण । अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी । इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली

निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं । महोदय, शेष लक्ष्यों को पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित 7 निश्चय-1 की उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही हैं । माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय-2 योजना प्रारंभ किया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विस्तृत आंकड़ों को सदन के पटल पर रख चुका हूं जिसपर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 से कुल 241206,95,35,000 (दो लाख इकतालीस हजार दो सौ छह करोड़ पंचानवे लाख पैंतीस हजार) रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना है । विनियोजित राशि में 208608,91,19,000 (दो लाख आठ हजार छह सौ आठ करोड़ एकानवे लाख उन्नीस हजार) रुपये मतदेय एवं 325980,416,000 (बत्तीस हजार पांच सौ अंठानवे करोड़ चार लाख सोलह हजार) रुपये भारित है । अतः अध्यक्ष महोदय, सदन से अनुरोध है कि आय-व्ययक 2022-23 से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्वाध गति से चलता रहे । जय हिन्द, जय बिहार ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ तथा बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर वाद-विवाद भी समाप्त हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 से प्राप्त सूचना ''संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने'' पर विमर्श

अध्यक्ष : अब नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श होगा । माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के अंतर्गत श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 से सामान्य लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह सभा संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विमर्श करे । इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

भारतीय जनता पार्टी	-38 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	-37 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	-22 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-10 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-6 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-3 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-	-2 मिनट
सी0पी0आई0	-1 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-1 मिनट

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विमर्श करे ।''

अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने मेरे प्रस्ताव पर संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी विषय पर विमर्श करने हेतु आपके नेतृत्व में इसको स्वीकृत किया इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपने आज संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य पर विमर्श के दिन ही व्यक्तिगत रूचि लेकर

संविधान के मूल प्रति की कॉपी हम सभी लोगों को उपलब्ध करायी इसके लिए भी मैं आपके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मूल प्रति हमलोगों को उपलब्ध करायी है । अध्यक्ष महोदय, संविधान की आज मूल प्रति उपलब्ध हुई है इसके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं :

''शहीदों के लहू की स्याही से यह संविधान बना है
हर दिन संभाल कर रखो, मेरा देश महान बना है ।
देश की आत्मा और मन संविधान है,
विविधता में एकता भारत की पहचान है ।''

अध्यक्ष महोदय, संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है और कर्तव्यों का उल्लेख 42वां संशोधन के भाग-4 (क) के अनुच्छेद 51 (क) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अनुच्छेदों और प्रावधानों का संकलन भर ही नहीं है बल्कि हमारे जनोन्मुखी राजव्यवस्था की दशा और दिशा निर्भर करती है । संविधान द्वारा संरक्षित और सबंधित मूल्यों का लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष न्याय के साथ सर्वांगीण विकास प्रदान करता है । परंपरा, परिवेश और प्रभाव से प्रेरित हमारी संविधान सभा ने इन मूल्यों को संविधान की आत्मा मानकर प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित है । यह सच है कि नागरिकों को मिलने वाला अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला कोई उपहार नहीं है बल्कि हर आम और खास को लोकतांत्रिक शासन में उनकी वास्तविक हकदारी की निशानी है जिससे किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है लेकिन एक नागरिक के रूप में हमें यह भी समझना होगा कि इन अधिकारों का उपयोग हमें संयम से करना चाहिए ।

(क्रमशः)

टर्न-19/सुरज/26.03.2022

...क्रमशः...

श्री संजय सरावगी : हर अधिकार अपने साथ कर्तव्य का भार भी हमारे ऊपर डालती है । अध्यक्ष महोदय, वोट की शक्ति लोकतत्र में सबसे बड़ी शक्ति है । लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये वोट सबसे प्रभावी साधन है । हम और आप एक-एक वोट की आवाज हैं, हम और आप एक-एक बिहारवासी की आवाज हैं । हम सभी

विधायक प्रक्रियाओं द्वारा अपने जीवन को सरल, सुगम और सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीति दरअसल जन सेवा है और जनता के आर्शीवाद से ही हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिये । संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है हमें जो स्वतंत्रता मिली है इसके लिये हम क्या कर रहे हैं, यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिये मिली है जो असमानता, भेदभाव अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है । अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में अधिकारों और कर्तव्यों के विषय पर चर्चा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश का भी मत था कि लोगों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किये बिना सिर्फ अधिकारों की मांग करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है । मूल कर्तव्य नागरिकों को नैतिक उत्तरदायित्व का बोध भी कराता है । अधिकार एवं कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं । एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । अधिकार और कर्तव्य के बीच एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को महात्मा गांधी ने विशेष रूप से बखूबी समझाया था, उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही श्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं । यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। जनशक्ति ही लोकतंत्र का प्राण तत्व है इसलिये हर नागरिक के दायित्व बोध का होना ही राष्ट्र के उन्नति के पथ को सुनिश्चित करता है । लोकमत का राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्व है परंतु विधि के मूलभूत सिद्धांतों को लोकमत के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, हम अपने अधिकार की बात को 75 सालों से कर रहे हैं । 20 मिनट समय है अध्यक्ष महोदय मेरा ।

अध्यक्ष : आपके समय में कुछ कटौती होगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट मेरा समय है...

अध्यक्ष : क्योंकि उसी में एडजस्ट करना है सबको ।

श्री संजय सरावगी : हम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी जन सुविधाओं को पाने के लिये अपने मौलिक अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कभी इन जन सुविधाओं को पा लेने के लिये इनके प्रति रख-रखाव की बात हम नहीं करते हैं । हमें परिवहन सुविधा मिले, सरकारी बसें चलें ऐसा अधिकार हम चाहते हैं लेकिन उन बसों को आक्रोश से किसी मांग को पूरा करने के लिये जला देते हैं । हमको अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अपनी मांगों को मनवाने के लिये हम अपने अधिकारों की आड़ लेकर आंदोलन करते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य में शांतिपूर्वक रोष प्रकट करने की बात है

न कि हिंसक प्रदर्शन कर आगजनी करके उसको नष्ट कर देने की बात है । अध्यक्ष महोदय, यह कोई मुफ्त में मिला हुआ उपहार नहीं होता, यह हम सबके द्वारा करों के रूप में भुगतान होने वाली आय से बनी संपत्ति होती है, चाहे ग्रामीण हो या शहरी सभी को सड़क सुविधा तो चाहिये लेकिन सड़क सुविधा मिल जाने के बाद हम व्यर्थ में पानी को सड़क पर फेंकते हैं, किसी के शौचालय की निकासी सड़क पर है, निजी कार्य के लिये सड़क को उखाड़ देते हैं । माता-पिता का संरक्षण द्वारा संविधान के 86वें संशोधन में 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है तथा बच्चों का मौलिक अधिकार है । वहीं दूसरी तरफ इनके अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि हम बच्चों को शिक्षित बनायें । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर्तव्यों का बोध कराने हेतु, जन-जागरण कराने हेतु बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं शराबबंदी के खिलाफ ऐतिहासिक मानव श्रृंखला पूरे बिहार में हमलोगों ने बनाया । अध्यक्ष महोदय, जल-जीवन-हरियाली पानी हमारा अधिकार है पानी हमको मिले, स्वच्छ मिले लेकिन पानी की बर्बादी नहीं मिले यह भी हमारा कर्तव्य है इसके लिये भी हमलोगों ने पूरे राज्य में जल-जीवन-हरियाली के लिये मानव श्रृंखला बनायी थी । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अभी अमृत महोत्सव चल रहा है । मात्र पांच मिनट हुआ है अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव पर बोलते हुए कहा आजादी के 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात की है, कर्तव्यों को भूल गये हम। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबसे भीतर घर कर गई । ये बुराई है अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि न रखना । आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो । हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसमें सोच और एप्रोच नई है और जिसमें निर्णय प्रगतिशील है । स्वर्णिम भारत के लिये भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिये प्रेरणा भी है। अध्यक्ष महोदय, यह समय सोते हुये सपने का नहीं बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है । मोदी जी ने कहा कि जब हम अपनी स्वतंत्रता की 100वीं शताब्दी मनायेंगे तो आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तपस्या के 25 वर्ष हैं । सैकड़ों वर्ष की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है यह 25 वर्ष का कालखंड उसे दुबारा प्राप्त करने का है । हम सभी को देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है । कर्तव्य का दिया हम सभी देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ायेंगे जिससे समाज में व्याप्त बुराईयां भी दूर होंगी और देश नई ऊंचाईयों पर पहुंचेगा । अध्यक्ष

महोदय, प्रधानमंत्री जी के इस मंतव्य को मंत्र बनाकर हमलोगों ने भी इस पर कदम बढ़ाने का प्रयास किया है । अध्यक्ष महोदय, आपने भी प्रश्नों के शत-प्रतिशत उत्तर संबंधित विभाग में सुनिश्चित कराने का कार्य कर दिखाया । जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिये, अभिप्रेरणा के लिये सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की परंपरा शुरू की । विधायिका को जनोन्मुख, सहज और स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से सामाजिक-नैतिक संकल्प अभियान आपने छेड़ा है । अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ और सुशिक्षित समाज के लिये वांछनीय पंद्रह मुक्त-युक्त सम्मान का संकल्प जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रदेश के हर जिले में आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास, आपने युवा शक्ति की भागीदारी मूलक राजनीति तथा विधायी कार्य के प्रति प्रेरित करने की सोच से बाल युवा संसद हर जिले में लगाने का जो निर्णय किया यह भी अपने आप में एक प्रेरणा स्त्रोत है । अध्यक्ष महोदय कोई शायर कहे थे :

''अकेले ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर
लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया ।''

अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि आसन सर्वोपरि है, विपक्ष भी कल कह रहे थे आसन सर्वोपरि है लेकिन इनको याद रखना चाहिये आसन सर्वोपरि है लेकिन हमारा कर्तव्य भी होता है । मार्च में जो आसन पर चढ़ कर क्या-क्या नहीं किये, इनको कम से कम यह कर्तव्यबोध भी होना चाहिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बस बस एक मिनट में हम अपनी बात समाप्त करते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री संजय सरावगी : महोदय, स्कूल-कॉलेज में बच्चों के कर्तव्यों को हम जागरूक करें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 2005 में इन लोगों ने जिस तरह रात में 2 बजे संविधान की हत्या की, राष्ट्रपति शासन लगाकर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब सुन लीजिये, बैठ जाइये, बैठ जाइये । आप अच्छा बोल रहे थे कहां भटकने लगे ।

(व्यवधान)

नहीं बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

एक चीज आप सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अब सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये, सभी लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

सुदय जी बैठ जाइये । संजय जी बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

नहीं, अब सुन लीजिये । एक चीज बता देते हैं ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये, क्या किरण जी ।

माननीय सदस्य शुरू में हम चाहे रहे थे कुछ बोलकर डायरेक्शन को मोड़ें लेकिन अब सुन लीजिये, नहीं । आप ही के समय पर अब हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका समय, सुन लीजिये । यह हम सभी बिहार वासियों के लिये गौरव की बात है कि हमारे यहां वह प्रतिभा थी जिसने संविधान सभा का सभापतित्व कर एक दुर्लभ संविधान की रचना की । 11 दिसंबर, 1946 को डॉ0 राजेन्द्र बाबू को संविधान सभा के स्थाई सभापति बनाने पर जब हमको गर्व हो रहा है तो उसी संविधान सभा में अस्थाई सदस्य के रूप में डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा जी भी इसी बिहार के थे । अस्थाई और स्थाई दोनों इसी बिहार के थे और दोनों के संदर्भ में स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो कहा कि बिहार की भावना से अजेय सौजन्य से परिपूरित महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं कि :

''मृदुना दारुणं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम् ।
नासाध्याम् मृदुना किंचित् तस्माद् तीव्रतरम् मृदु ।''

मृदुता या सौजन्यता, कठोरता या कोमलता दोनों ही पर विजय प्राप्त करती है

...क्रमशः...

टर्न–20/राहुल/26.03.2022

अध्यक्ष (क्रमशः): सौजन्यता के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । अतः सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है । मृदुता और सौजन्यता ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी पराजित हो जाएगा । माननीय सदस्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर आज चर्चा के लिए विषय रखा गया है । डॉ0 राजेन्द्र बाबू, डॉ0 अम्बेडकर, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इन बातों के अलावा हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है । यह जो संविधान की मूल प्रति है आप उसे पहले देखें, सबको दी गई है । हम संविधान, अधिकार, कर्तव्य पर चर्चा के पहले जो संविधान की मूल प्रति है और मूल प्रति में भारत के महान चित्रकार तथा गुरूदेव रवीन्द्र नाथ के अनुयायी नन्दलाल बोस के निर्देशन में बनाए गए 22 चित्र, संविधान सबके जिम्मे है देखिये 22 चित्र और उतनी ही किनारियां हैं । उसके बॉर्डर बने हुए हैं । संविधान के सभी 22 अध्यायों को उनसे सजाया गया है । यह दुर्लभ किताब आपको मिली है । इसमें काल की छाती पर नटराज हैं । इस संविधान के भाग–3 और 4 से संबद्ध है, संविधान की जो प्रति आपको मिली है उसमें आप देखेंगे कि भाग–3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है जिसमें श्रीराम, सीताजी और लक्षमण जी के चित्र हैं । हमें यह विचार करना चाहिए कि आखिर यह चित्र हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों चुना है ? क्यों चुना इस पर विचार करिये । जिस संविधान की शपथ लेते हैं । यह चयन इसलिए है कि श्रीराम का दयालु, निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वविदित है । राम, जाति, वर्ण, वर्ग, विकार से मुक्त लोकमानस के नायक हैं। यही भाव हमारे संविधान के भाग–3 से हम ग्रहण करें । श्रीराम रूल ऑफ लॉ के प्रतीक हैं उनसे यही हमें सीखना है आदर्श राम राज्य की कल्पना सर्व हिताय, सर्व सुखाय के भाव की प्रेरणा इसलिए संविधान में लोगों ने स्वीकार की । भाग–4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है वहां उसी भाग में आगे मौलिक कर्तव्य को 4(A) के अन्तर्गत जोड़ा गया है। वहां आप रणक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते कृष्ण को पाएंगे । इसी संविधान के पेज पर आप देखें । यह इस बात की ओर इशारा करता है कि हम अपने–पराये, राग–द्वेष और भयमुक्त होकर प्रजा कल्याण और लोकहित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । हम आग्रह करेंगे कि आप राजनीतिक बातों की जो पिछली घटना घटित हुई हैं, सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे और यह अंतिम आग्रह होगा अगर इस संविधान के प्रति हमारी आस्था है तो घटना जीवन का एक पन्ना है और जीवन एक किताब है, उस घटना का बार–बार स्मरण दिलाकर हम किताब को नष्ट नहीं करेंगे, किताब को खोयेंगे नहीं, संविधान के मूल भाव से भटकेंगे नहीं, यह आग्रह है । वे लोग यह वातावरण बनाते हैं,

लगता है कि जिनको संविधान में विश्वास कम है । इसलिए यह चर्चा नहीं, आप सबसे आग्रह है आज का मेरा मूल उद्देश्य था कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें क्योंकि आप लाखों लोगों की भावना पर उतरकर आते हैं । श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, कितना समय है ?

अध्यक्ष : 10 मिनट समय है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : स्थिर रहिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने विमर्श कराने का निर्णय लिया और संविधान है तभी यहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति हैं । संविधान नहीं होता तो हममें से आज कोई भी यहां उपस्थित नहीं होता । मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया । अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का संविधान लगभग 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन दिनों की अथक मेहनत और प्रयास के बाद हमें मूल रूप में प्राप्त हुआ । हमें यह भी गर्व है कि हमारा संविधान देश के सबसे लंबे लिखित संविधान में हमारा संविधान आता है । हमारे संविधान की प्रस्तावना जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण वह हो जाती है और उसी में हमारे संविधान के जो भाव हैं वे आते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस प्रीएम्बल को पढ़ना चाहूंगा : We, The People of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens :

justice, social, economic and political ;
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship ;
Equality of status and of opportunity ;
and to promote among them all
Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ;
In our constituent assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do Hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.

आज का जो विषय है, यह जानकारी प्रायः सभी माननीय सदस्यों को भी होगी कि जब हम संविधान में अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं होती है और कर्तव्य शुरू में जब हमारा संविधान बना, कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे और बाद में संविधान में संशोधन करके फिर उसे जोड़ा गया । यह बहुत बार देखा जाता

है और हम सभी ने अनुभव किया होगा, हम लोग अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हम अपने दायित्वों को या जो हमारी जवाबदेही है, जो हमारी रिस्पोंसिब्लिटी है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं । अध्यक्ष महोदय, संविधान ने एक लंबी यात्रा तय की है और आवश्यकता अनुसार, यूं तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान हमें बनाकर दिया है लेकिन उसके बाद भी हमारा लोकतंत्र जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला गया, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी किए गए और अब तक लगभग 105 संशोधन उसमें हुए हैं । हमें यह भी जानना होगा कि जब हम अधिकार की बात करें तो हमको समझना भी होगा, अध्यक्ष महोदय, समय कम है नहीं तो जो अधिकार हमारे, फंडामेंटल राईट्स और हमारी जो ड्यूटीज हैं हम उस पर भी चर्चा करते लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मेरे ध्यान में यह बात अक्सर आती है और मुझको लगता है कि अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ0 कैनेडी ने जो बात कही उस बात को पुनः हम यहां पर याद करें । उन्होंने वर्ष 1961 में कहा था कि Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country और सही मायने में अगर इन शब्दों को ही हम गौर से देखें तो इसी में उनके सारे अर्थ आ जाते हैं । हम अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कभी-भी हमारी जवाबदेही क्या बनती है हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं । संजय सरावगी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी की जो उक्तियां थी उसका भी उल्लेख किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका भी उल्लेख किया । मेरी समझ में यह आता है कि अब समय आ गया है कि एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय की है 75वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं आजादी का । अभी-अभी आपके द्वारा एक अच्छा प्रयास प्रारम्भ हुआ जब आपने एक तरह से यह युवा सांसद कार्यक्रम और मुझको लगता है शायद आज आवश्यकता उसी बात की है और मुझको याद है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात 31 दिसंबर, 2017 के अंक में उन्होंने यह कहा था कि आज आवश्यकता है कि क्या हम हर एक जिले में यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाईजेशन कर सकते हैं और उसके पीछे उनकी सोच यही थी कि हम आज अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को संविधान में जो हमारे अधिकार हमें प्राप्त हैं, साथ ही जो दायित्व हमारे हैं उनको भी हम समझें और बहुत आश्चर्य होता, हम सब लोग अक्सर देखते हैं अगर हम एक छोटा-सा उदाहरण भी देखें, सबके अपने-अपने अनुभव होंगे अपने क्षेत्रों के बहुत बार अगर कोई नाराजगी होती है, कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे लोगों का पहला आक्रमण, जो पहला आक्रोश निकलता है वह सरकारी संपत्तियों

पर ही निकलता है और कहीं न कहीं जब हम अपनी जवाबदेहियों पर, हम अपनी रिस्पोंसिब्लिटी को हम देखेंगे, जब हमारे 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं और 11 रिस्पोंसिब्लिटी हमारी तय हैं । (क्रमशः)

टर्न–21/मुकुल/26.03.2022

...क्रमशः...

श्री नीतीश मिश्रा : उसमें वह भी आती है कि हम सरकारी संपत्तियों की रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें । क्या सही मायने में यह अभिव्यक्ति सही है, क्या हम अपने सरकार के द्वारा किये जा रहे कार्यों पर नाराजगी, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र है और यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की कि हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी है । कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को वह खुलेमन से वह रख सकता है लेकिन क्या हम उस बात को उस हद तक समझकर अपने दायरे में रखकर ही अपनी बातों को रखते हैं या वह जो एक कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है हम उसको भी पार कर जाते हैं क्या और अक्सर यह देखा जाता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे दो घटनाएं ध्यान में आ रही हैं कि एक जब हमारे क्षेत्र में कोई घटना होती है, कोई अस्पताल को तोड़ने लगता है, कोई थाने को जलाने लगता है । इस तरह की घटनाओं से हमें बचना चाहिए और एक अभियान अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रारंभ किया है, युवाओं को, बच्चों को अपने संविधान के बारे में जानकारी के लिए और हम धन्यवाद देंगे कि आज बहुत बड़ी चीज आपके द्वारा हमलोगों को आज प्राप्त हो रही है, हम पूरे सदन की ओर से आपको धन्यवाद देंगे अध्यक्ष महोदय । हम इतना जरूर आशा करेंगे कि आने वाले समय में हमारे देश की युवा पीढ़ी न सिर्फ अपने राइट्स के बारे में, बल्कि अपनी ड्यूटीज के बारे में भी उसी ढंग से बात करेगी और जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो उस समय हम अपने जेहन में, अपने अंतरात्मा में यह भी जरूर झांककर देखेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं । अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, अंत में सिर्फ इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः''। अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य, श्री सुधाकर सिंह । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज आपने संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषय पर सदन में परिचर्चा आयोजित कर हम सबों को एक महत्वपूर्ण विषय

पर अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद । अपने दल के नेताओं के प्रति भी आभार । भारत में संविधान का निर्माण, इसका पूरा इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ, मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पुरखों की थाती रही है । यह हमारा पवित्रतम ग्रंथ है, आज देश इसी से संचालित होता है । महोदय, इस ग्रंथ के लेखन में हम बिहारियों का बड़ा योगदान रहा । डॉ0 राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे । कार्यकारी अध्यक्ष भी हमारे डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे । इसके अलावा संयुक्त बिहार के 36 विभूतियां संविधान सभा की सदस्य रहीं । अध्यक्ष महोदय जी, पिछले कुछ अर्से से देश में बढ़ती आपसी कटुता, अन्ध प्रतिद्वंद्विता, स्वयं के अधिकार के प्रति बढ़ता आग्रह, दूसरों के अधिकार के प्रति उदासीनता जैसे संदर्भ में इस तरह की परिचर्चा का महत्व और भी बढ़ जाता है । यह देश प्राचीनकाल से ही सबके हित की सोचने वाला रहा, ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' वाला देश रहा है । तैतरीय उपनिषद का यह प्रसिद्ध मंत्र – ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'', किसको यह याद नहीं होगा । ऐसा प्रगतिशील विचार यह दर्शाता है कि यहां का समाज केवल आत्मिक सुख के लिए ही प्रयत्नशील नहीं रहा है बल्कि उसका प्रयास सम्पूर्ण समाज के विकास एवं सुख-शांति में निहित है । ऐसे शुभ विचारों से ओत-प्रोत हमारा संविधान निर्माताओं ने मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया । जिसके सहारे व्यक्ति स्वयं के विकास के साथ ही समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, जिससे भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय समाज की एकता बनी रहे और भारत में लोकतंत्र की जड़ें निरन्तर मजबूत होती रहें । हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य की ओर से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है । पर यह स्वतंत्रता निरपेक्ष (obsolute) नहीं है, स्वच्छन्दता नहीं है । बल्कि कुछ मर्यादाओं के अधीन है । अधिकारों के प्रति असीमित आग्रह एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता अराजकता को ही जन्म देगा । हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उस हद तक ही है जो किसी अन्य की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता हो । मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति अच्छी नींद के बहाने खर्राटे भर रहा हो, जाहिर सी बात है अगल-बगल के लोगों की नींद खराब कर रहा होता है । वर्मा समिति की अनुशंसा पर 86वें संविधान संशोधन द्वारा ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया । यहां मैं संविधान सभा में बाबा साहब की स्पीच का उल्लेख करना चाहूंगा । यह जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि बाबा साहब की बातों का सीधा ताल्लुक बिहार से है । बाबा साहब ने कहा था

कि भारत लोकतंत्र से अनजान था, ऐसा नहीं था । एक समय था जब भारत में गणराज्यों का व्यापक फैलाव था । राजतंत्र भी निरंकुश नहीं थे । वह भी चुने हुए होते थे। भारत, संसद या संसदीय प्रक्रिया नहीं जानता था, ऐसा भी नहीं है । भिक्षु संघों के अध्ययन से साबित है कि वह संसद ही थी और उसमें उन्हीं संसदीय प्रक्रियाओं का पालन होता था, जिसे आधुनिक संसदीय प्रणाली ने आज अपनाया है । भिक्षु संघों में बैठने के, प्रस्ताव पेश करने के, संकल्प पारित करने के, कोरम, व्हिप, वोटों की गिनती, बैलेट से वोट देने, निंदा प्रस्ताव पेश करने, नियमितिकरण, पूर्व न्याय आदि के नियम थे । बुद्ध ने इन संसदीय प्रक्रियाओं को संघ की बैठकों में लागू किया इससे जाहिर है कि उन्होंने समकालीन पॉलिटिकल असेम्बली के कामकाज के तरीकों से ही इसे लिया होगा । समय के साथ भारत ने यह लोकतांत्रिक प्रणाली खो दी थी, जिसको हम आजादी के बाद इसको प्राप्त करने के लिए हम लगातार संघर्ष रहे । संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है । महोदय, निर्माताओं ने देश की एकता-अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती से निबटने के लिए मूल अधिकारों का इंतजाम किया । लेकिन आज परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती फिर फन उठा रही है । आपसदारी टूट रही है, कहीं नाम अर्बन नक्सल के नाम पर, कहीं राष्ट्रद्रोह के नाम पर, कहीं मॉब लिंचिंग की आड़ में तो कहीं अभिव्यक्ति की आजादी के दमनचक्र के नाम पर, कहीं कौन क्या खाएगा-पीएगा के नाम पर, आपसी भरोसा तोड़ा जा रहा है। इसे बहाल करने की हमारे संसदीय लोकतंत्र के कंधों पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर चुनौती स्वरूप खड़ी हो गई है । महोदय, आखिर मूल अधिकार हैं क्या ? क्यों जरूरी है? मूल अधिकार इसलिए है कि ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं । इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है न कि व्यक्तियों का । मगर अफसोस है कि महोदय, कुछ लोग उल्टी दिशा में पानी बहाने पर उतारू हैं । महोदय, आज हमारे मौलिक अधिकार जो हमको मिले हैं वह भारत के नागरिकों को मुख्यतया तीन प्रकार के मिले हैं, एक मौलिक अधिकार-भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद-12 से 33 द्वारा प्रदत्त । दूसरा हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं । भाग-3 को छोड़कर संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार जैसे-संपत्ति का अधिकार-अनु0-300 (क) के जरिये हमको मिले हैं और तीसरा कानूनी अधिकार, राज्य व केन्द्र की विधायिका द्वारा पारित सामान्य अधिनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार । मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं न

कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध, अर्थात् यदि मौलिक अधिकारों का हनन राज्य द्वारा किया जाता है तो अनुच्छेद-32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है, वहीं यदि मौलिक अधिकारों का हनन किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसका निदान सामान्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत होगा । इसीलिए अनुच्छेद-13 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, यदि राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा । केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का उदाहरण सबके सामने है । क्या विधायिका संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों न हो? अनुच्छेद 368 में, उसको साधारण रूप से पढ़ने पर, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए विधायिका की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे विधायिका को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके । केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट के 703 पृष्ठ का यह फैसला अत्यंत विभाजित मतों वाला था और अंत में 7:6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि विधायिका संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक ही कर सकती है जहां तक कि वो संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे, यह सबसे बड़ा, हमलोग के लिए लैंड मार्क था, भारतीय विधायिका के लिए । वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि

...क्रमशः...

टर्न-22/यानपति/26.03.2022

...क्रमशः...

श्री सुधाकर सिंहः उसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए । अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहे 24 अप्रील, 1973 को चीफ जस्टिस सिकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था । संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें

अनुच्छेद-368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है उसमें 10 उन्होंने प्वाइंट तय किया था उसमें 7वां प्वाइंट था व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा और 8वां प्वाइंट था मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन । आप सभी लोग देख सकते हैं 7वें स्थान पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकार को न सीमित किया जा सकता है न खारिज किया जा सकता है । शायद यही संविधान की व्याख्या ने तत्कालीन सरकारों के हाथ को बांध दिया था जिसके चलते सरकार ने लोगों के...

अध्यक्ष: अब समाप्त कर लीजिए ।

श्री सुधाकर सिंह: दो मिनट सर, इमरजेंसी जैसी स्थिति देश ने देखा था । महोदय, आपने हमें अवसर दिया मैं अंतिम बात आपके सामने रखना चाहता हूं, समय कम है, इस चर्चा में और लोगों को भाग लेना है । महोदय, अधिकारों को कुचलने की कोशिश और डंडे के बलपर कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ खड़ा होना ही होगा नहीं हुए तो मार्टिन निमोलर की कविता वे पहले यहूदियों को मारने आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था फिर वो साम्यवादियों को मारने आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं साम्यवादी नहीं था, फिर वो श्रमिक संघियों को मारने आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं श्रमिक संघी नहीं था, फिर मुझे मारने आए और मेरे लिए बोलनेवाला कोई नहीं रह गया था । यही सच है और यही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह । एक आग्रह करेंगे कि आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन पूरा पढ़ा हुआ अगर शुरू करेंगे तो उसका अन्त नहीं होगा लेकिन जो दिल से भाव निकलेगा वह कम शब्दों में बहुत दिल तक पहुंचेगा ।

श्री राज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं दिल से ही बोलूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं मटिहानी की उस महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनकी वजह से आज इस सदन में बोल रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं की पवित्रता बनी रहे इसी उद्देश्य से संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक निश्चित सीमा में बांधकर रखा है । इन्हीं तीनों के बीच में कभी-कभी हम देखते हैं कि उलझते हुए और फिर सुलझते हुए हम जिस तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं उससे यह साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बात से

वाकिफ हैं कि बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी रही है और इसी कारण से इस संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने में हमारी जिम्मेदारी कुछ अधिक बन जाती है । जिस तरीके से मैं आज इस सदन में संविधान के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा हो रही है, ये सब लोग या तो कभी-कभी अपने स्कूल में पढ़े हैं या आगे पढ़ लेंगे । मैं आज अपनी बात को सिर्फ जो हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या होने चाहिए, इस सदन में, मैं उसी की चर्चा करना चाहूंगा जो मुझे लगता है । हमने देखा है हमेशा यहां पर कि हम अपने आचरण से जिस प्रकार का यहां पर व्यवहार करते हैं उस आचरण के लिए हमें हमारी जनता यहां चुनकर नहीं भेजती है । हमें भेजती है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार की योजनाओं को उनतक ईमानदारी से पहुंचाने के लिए लेकिन हम कई बार इसमें चूक जाते हैं और अपने आचरण से अपनी उसी जनता को, वही जनता हमारी कई बार शर्मसार महसूस करती है हमारे आचरण को देखकर । अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान, हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के शिखर पर है जैसा कि साथी ने कहा कि केशवानंद भारती केस में 13 जजों की जो अबतक की सबसे बड़ी बेंच थी उसने यह तय किया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है और उसी संविधान की शपथ लेकर और उसको अक्षुण्ण रखने की शपथ लेकर हम सब लोग इस सदन में आते हैं लेकिन कई बार हम इस मर्यादा को भूल जाते हैं और उस शपथ को याद नहीं रख पाते हैं । चूंकि आपने जो हमारे अधिकार हैं विधायिका के कि विधान बनाना, उसपर विमर्श करना और उसको पारित कर कार्यपालिका के माध्यम से उसको कार्यान्वित कराना यह हमारा अधिकार है लेकिन हमारे कर्तव्य इससे अधिक हैं । हमारे कर्तव्य हैं कि हम अपने आचरण से इस संविधान की मर्यादा को अक्षुण्ण रखें, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर चलना होगा चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों । चूंकि आपका इशारा हो चुका है इसलिए मैं अपनी बात को वाजपेयी जी की चार पंक्तियों में कहकर समाप्त करूंगा कि :-

हास्य-रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में
उद्यानों में-वीरानों में, अपमानों में-सम्मानों में
उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना
पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि हमारी मर्यादा तभी बची रहेगी और हम अधिकार का तभी निर्वहन कर पाएंगे । कम से कम जो हमारा

सत्र का जो पहला दो घंटा होता है जो प्रश्नकाल का होता है, शून्यकाल का होता है, ध्यानाकर्षण का होता है उसको हमलोग बेवजह बाधित न करें क्योंकि यही वह समय होता है जिसमें हमारी जनता, हमारे लोग के हितों की बात हम यहां पर रखते हैं और अगर उसको रखने देने में किसी सदस्य के द्वारा उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है तो यह सबसे बड़े कर्तव्य का निर्वहन हमलोग करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: बहुत अच्छा, कदम मिलाकर चलना होगा । माननीय सदस्य, श्री चंद्रशेखर । अच्छा एक मिनट, जितने अपने अनुभव की किताब हैं उनको अंत में, सबके समय में थोड़ी कटौती करेंगे और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं ।

(व्यवधान)

पांच मिनट, लेकिन पढ़कर के नहीं, दिल में जो आए कि अच्छा कर्तव्य क्या करें, वो बोलिये ।

श्री चंद्रशेखर: बहुत-बहुत आभार महोदय । आपका आभार । सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान् पुरखों की धरती मधेपुरा की महान जनता का, आभार गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, आभार महारथियों को धूल चटानेवाले युवा भविष्य और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आभार हम अपने मुख्य सचेतक ललित जी का । महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि संविधान प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बोध के लिए एक विशेष बहस का समय आपने हम सब को दिया है । बिहारवासी, हमारे सब लोग इसके दर्शक होंगे, बहुसंख्यक लोग । महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं हमें आपस में भाइयों की तरह रहना सीखना होगा नहीं तो मूर्खों की तरह सर्वनाश निश्चित है । महोदय, मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि वह देश महान होता है जो धार्मिक मसलों को शांत करता है और जो देश धार्मिक मसलों को पैदा करता है समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं । महोदय, मैं अभी सुन रहा था विनोद नारायण झा जी को । फंडामेंटल राइट कहीं से भी इनक्रॉस नहीं होगा यह धारा- 368 कहती है । विनोद नारायण झा जी ने सामाजिक न्यायिक...

अध्यक्ष: दूसरे के विषय को, अपना विषय रख दीजिए । अपने दिल की बात ।

श्री चंद्रशेखर: महोदय, सदन के सदस्य हैं । सामाजिक न्याय की चर्चा की है । साहब के बगल में, साथी सदस्य के बगल में मांझी साहब हैं पूर्व मुख्यमंत्री । मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मंदिर में, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में पूजा करने गए और किन लोगों ने उसको धोया, उससे सामाजिक न्याय की आशा नहीं की जा सकती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं एक

मुख्यमंत्री इसलिए कि मनुवाद द्वारा बनाया गया, अस्पृश्य होने के कारण मंदिर को अगर धुलवाया जाता हो तो यह शर्मनाक है महोदय । 1978 में...

अध्यक्षः कर्तव्य पर चर्चा हो, कर्तव्य पर । ये, क्या लोग किए हैं, हमने कहा कि वो दुखद घटना गलत है उसकी चर्चा नहीं । हम क्या करेंगे । आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं वह बोलिये, विषयांतर नहीं ।

श्री चंद्रशेखरः महोदय, सन् 1979 में बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री थे ।

(व्यवधान)

टर्न-23/अंजली/26.03.2022

अध्यक्ष : ये मोटिवेशन करेंगे, आप धैर्य रखिए । अब इनका एक मिनट बचा है । बैठ जाइए ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, मैं कहना चाहता हूं अभी साथियों ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी वाणी आपका परिचय है यह ध्यान रखिए ।

श्री चंद्रशेखर : यह फंडामेंटल राइट का हनन है, वैधानिक पावर का हनन है । महोदय, वैधानिक शक्ति जो आपने दिया है, सदन ने दिया है उसका हनन हो रहा है ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बोलिए ।

श्री चंद्रशेखर : मुझे बोलने की आजादी होनी चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : एकदम ।

श्री चंद्रशेखर : जो सत्य है उसको न बोलूं तो गुनाह होगा ।

अध्यक्ष : आजादी नम्रता, गरिमा और विनम्रता के साथ ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, मैं सारी गरिमा और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय,...

अध्यक्ष : नहीं, आपको यह अनुमति नहीं है, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, आप भी यह गलत कर रहे हैं ऐसा मत करिए । आप बोलिए ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, हम भी भगवान श्रीराम के भक्त हैं ।

अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया ।

श्री चंद्रशेखर : ऐसा नहीं है महोदय । ऐसा क्या है महोदय ।

अध्यक्ष : एक मिनट बचा हुआ है । आप बोलते रहिए ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय ही बोलते रह गए, हमको पांच मिनट में तीन मिनट दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री चंद्रशेखर : यहीं अधिकार का हनन हो जाएगा तो कहां अधिकार मिलेगा । मैं आपका साधुवाद करता हूं । महोदय, आज हम तेरहवां साल में हैं विधायक, दस साल पहले भी देखे हैं । सर्वोच्च सदन का अपमान होते हुए देखा है और इतिहास गवाह है कर्तव्य का बोध अगर हमको नहीं होगा तो कर्तव्य का बोध किनको होगा । सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए लोग अगर मान लीजिए सर्वोच्च संस्था के हेड हों और उनको अगर कर्तव्य का बोध और हमारे संविधान का ज्ञान नहीं होगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपस में वाद-विवाद मत करिए ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, ये बात-बात में हस्तक्षेप करते हैं ।

अध्यक्ष : आप बोलते रहिए ।

श्री चंद्रशेखर : तो बारह-तेरह साल रहते हुए मैंने देखा है सदन को चलाते हुए और जिस डेमोक्रेटिव प्रक्रिया से आज सदन चल रहा है मेरे जमाने में तो नहीं होता था । महोदय, मैं कहना चाहता हूं, साथी ने कहा जल जीवन हरियाली अच्छी बात है । जल जीवन हरियाली आई, चर्चा हुई है तो सदन में चर्चा हुई है, क्यों रोक रहे हैं आप । जल जीवन हरियाली के नाम पर हजारों-हजार भूमिहीनों के घर उजाड़ दिए गए और आज तक बसाया नहीं गया है । इसी सदन में प्रश्न आया है ।

अध्यक्ष : चंद्रशेखर बाबू, आपका समय अब पूरा हुआ । देखिए समय सीमित है ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, कहिए तो नहीं बोलना था । इसी सदन में कई सवाल आए हैं ।

अध्यक्ष : अब सुनिए न, अब दूसरे का है । आप ही के पार्टी के लोग का है ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय और जो विधायक विधायिका के संरक्षक हैं, कमिटमेंट है, पूरा मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगा विधायिका की । मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ अकाउंटबिलिटी रखेंगे विधान सभा का और विधान सभा की भावनाओं का, कानून का उल्लंघन होते हुए देश और दुनिया ने देखा है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, यह घोर चिंता का विषय है । मैं यह कहना चाहूंगा महोदय, आपको अधिकार है, मैं मणिपुर गया था आम आदमी के फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता हो और उसमें याचिका समिति आती है मणिपुर में एक तरीका है कि बारहों महीना, 24 घंटा याचिका समिति खुली रहती है, कोई भी आदमी अपनी तकलीफ को कहेगा और विधान

सभा उसको कौगनिजेंस लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी । जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान, जय भीम ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्यगण, पुनः एक बार आग्रह है कि हम तो लंबा वाद-विवाद करते रहे हैं कई विषयों पर बहुत अवसर मिला है, आज बड़े आग्रह के साथ हमारा जो उद्देश्य है, हम सबों का उद्देश्य है कि आज हम कर्तव्य के प्रति आपके द्वारा जो पूरे बिहार में संदेश जा रहा है तो ऐसा आपका मोटिवेशन हो कि उससे लोग सीखें और पुराने लोगों से नए लोग सीखें, पुराने विषय की चर्चा करके हम विषयांतर कर देंगे तो फिर इसका उद्देश्य निष्फल हो जाएगा और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है इसी भाव से हमको आगे बढ़ना है । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने अधिकार एवं कर्तव्य पर चर्चा की, मेरे मित्र सुधाकर जी ने विधिवत चर्चा की । आपने भी आसन से कहा कि 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है और 14 से लेकर 32 तक जो बचा हुआ मौलिक अधिकार है, वह 14 से लेकर 32 तक में है । इसके अलावे भी जो अधिकार हैं, जो कांस्टीयूशनल राइट्स हैं, इसके अलावे कानून के रास्ते जो अधिकार मिले हैं जैसे भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन ये सारे अधिकार हमारे भारतीय संस्कृति से लिए गए हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति से लिए गए हैं कि जब देश आजाद हुआ तो गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि हिंदुस्तान में कैसी सरकार है, गांधी जी ने कहा कि यहां प्रजातंत्र होगा, तब तक दूसरा पूरक पूछने ही वाले थे तो गांधी ने, जो पुरुष थे उनके पूरक को समझकर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के नेता को दृष्टि होनी चाहिए, उसे दिशा होनी चाहिए और इस्तीफा भी जेब में होना चाहिए जनहित में । कुर्सी उसे बुलावे, वह कुर्सी को न बुलावे । गांधी जी के संपूर्ण गांधी वांग्मय में कई पुस्तकों को देखने का मौका मिला है, मैंने कहा कि यह हमारी संस्कृति से अधिकार आए हैं चाहे वह कर्तव्य हों या मौलिक अधिकार हों । गांधी बार-बार अपने गांधी वांग्मय में यह कहते आए हैं कि ईशावास्य का पहला श्लोक कि ईशावास्यमिद्म सर्वम् यत्किच्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् । जो ईश्वर ने तुम्हें लेने के लिए कहा है वह रखो, जो त्यागने के लिए कहा है उसे त्याग दो और दूसरे के धन पर जो है सो लोभ मत करो, यह गांधी का मूल मंत्र था और आपके बेगूसराय से हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जब उर्वशी में कहते हैं कि मन की कृति यह द्वैध प्रकृति में बिल्कुल द्वैध नहीं है, जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत श्याम खंडों में, विश्व तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह

दिखता है, किंतु सुबह स्वभाव के मन में तटस्थ होते ही न तो देखता भेद, न कोई शंका ही रहती है । महोदय, अभी आपने कहा कि संविधान पर श्रीराम, सीता का चित्र अंकित है । मुझे जो आभास मिला है, मैं जो समझता हूं जब राम लंका से जीतकर अयोध्या आए और सुग्रीव को विदा कर रहे थे तो उनको जो वस्त्र दिया है उसकी चर्चा तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत बसंत निजहाथ बनाओ, यानी राजा स्वयं अपने लिए वस्त्र बनाता था । जिस राम राज की कल्पना गांधी ने किया, गांधी ने खादी को भी वहीं से लिया है और हमारे संविधान में जो सेक्यूलरिज्म को परिभाषित किया गया है, जब राम वन जा रहे हैं तो वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, वाल्मीकि ने कहा कि आप कहां नहीं हुजूर बता दिया जाय, तो उन्होंने एक स्थान बतलाया है कि –जाति पांति धनु धरमु बड़ाई, अध्यक्ष महोदय, इसको देखा जाय । ''जाति पांति धनु धरमु बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई, तेहि के हृदयं रहहु रघुराई ।'' यह सेक्यूलरिज्म है ।

अध्यक्ष : इसका अर्थ भी स्पष्ट कर दीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इसका अर्थ यह हुआ कि जाति, पात, धन, धर्म और प्रतिष्ठा इन सबको छोड़कर जो तुम्हें भजता है तुम उसके हृदय में वास करो, यह सेक्यूलरिज्म है । अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हुई, अभी मेरे मित्र ने कहा कि बिहार के कई लोग भारतीय विधान परिषद में बहस करते आए हैं, उसमें इसी सदन के नेता हैं डॉक्टर श्री श्रीकृष्ण सिंह 16 दिसंबर, 1946 को प्रजातंत्र जैसे पवित्र प्रस्ताव पर बहस करते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में समानता का भाव होता है, इसमें लोगों के लिए रोजगार होते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह भी उन्होंने कहा कि राजाओं के शासन काल में कार्य संपन्न कराने के लिए गरीब वर्ग की व्यवस्था होती है । (क्रमशः)

टर्न–24/सत्येन्द्र/26–03–22

श्री अजय कुमार सिंह (क्रमशः) महोदय, राजाओं का आदेश कानून होता है जबकि प्रजातंत्र में कानून का राज होता है । कल आपने अपने ही आसन से कहा था कि संविधान में अर्जून और कृष्ण भी..

अध्यक्षः आसन समय से बंधा है। आपकी बात अच्छी है ।

श्री अजय कुमार सिंहः बस अब समाप्त करेंगे । कहने का मतलब है कि आपने कल कहा कि –नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, इसी का शंकराचार्य जी ने कहा है जिसे शस्त्र काटे, न अग्नि जलावे, बुझावे न पानी, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चितानंद मैं हूँ । जो

व्यापक है, कण-कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नास जिसका, वही आत्मा सच्चितानंद है । यह हमारी संस्कृति रही है । महोदय, एक मिनट मैं और लेना चाहूंगा । कभी इसी सदन के नेता हमारे राजनीतिक गुरू भागवत झा आजाद साहब जब इस सूबे में मंत्री का शपथ लिये थे, हमलोग उनके मुख्यमंत्री निवास में थे, उन्होंने कहा कि एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ आपलोगों को कि मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेट्री को कहा कि जरा, वह फाईल निकालना जिसको चीफ सेक्रेट्री ने टर्न डाउन किया था मुख्यमंत्री की फाईल को । उन्होंने बतलाया कि मुख्यमंत्री की फाईल को चीफ सेक्रेट्री ने टर्न डाउन किया और यह लिखते हुए -I know the mind of my Hon'ble chief minister he can't allow such type of irregularity और जब फाईल चीफ मिनिस्टर के यहां जाती है तो मुख्यमंत्री लिखते हैं you say my face. thanks बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन । पांच मिनट ।

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, आज लोकतंत्र के इस मंदिर में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं और जो चर्चा का मूल विषय है ''संवैधानिक अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विमर्श'' तो महोदय मैं इस चर्चा की शुरूआत सबसे पहले जिस लोकतंत्र की बात कही जा रही है, उसी लोकतंत्र की चर्चा करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ । अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने डेमोक्रेसी की परिभाषा देते हुए कहा था कि -डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाई द पीपुल । लोकतंत्र जो है जनता के लिए है, जनता के द्वारा और जनता पर ही इसका शासन होता है तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य केन्द्र जनता ही है और जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमलोगों ने संविधान का निर्माण किया है और संविधान के द्वारा ही जनता के हक और अधिकार का संवर्द्धन होता है । संविधान में जो मूल प्रस्तावना है जिसकी चर्चा अभी श्री नीतीश मिश्रा जी कर रहे थे, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं । महोदय, लेकिन यदि आप उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग जो हैं, भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं और इसी मूल भावना को लेकर के संविधान का निर्माण हुआ और इसी मूल भावना के आधार पर संविधान के अंदर संवैधानिक संस्थानों की व्यवस्था की गयी । जो संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था

की गयी महोदय, इस संविधान की रक्षा के लिए इस लोकतंत्र में तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं जिसमें हम विधानपालिका के लोग आज यहां बैठ कर के जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में संविधान में और संविधान से लेकर जनता के प्रति हम व्यवस्थापिका के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है महोदय, इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी हमारे संविधान के अंग हैं और ये तीनों मिलकर जबतक अपने अधिकारों का और कर्त्तव्यों का सही रूप से निष्पादन नहीं करेंगे, तबतक जो संविधान का मुख्य लक्ष्य था, जो प्रियम्बल था हमारे संविधान का, उसको हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे भी कहा गया है महोदय कि जो प्रस्तावना है, उसको कभी भी संविधान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता, सारे चीजों का संशोधन हो सकता है लेकिन प्रियम्बल का संशोधन नहीं हो सकता है इसलिए हमलोग इसी मूल उद्देश्य को लेकर के चारों संस्थाएं काम कर रहे हैं लेकिन आज के समय में यह देखने को मिल रहा है महोदय, कि जिन संस्थाओं को जो अधिकार और कर्त्तव्य दिया गया, वह अपने-अपने अधिकार और कर्त्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आज उन संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। चाहे वह हमारी व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सब पर आज कहीं-न-कहीं से कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं और ये प्रश्न लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है । लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस खतरा पर ही चर्चा करने के लिए आपने आज इस सदन में जो लोगों को बोलने का मौका दिया है इसके लिए निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय। हमलोग महोदय जनता के प्रति कमिटेड हैं और आप भी हमेशा इस बात को दोहराते हैं सदन में कि हम आये हैं, जनता के बीच से आये हैं इसलिए जनता की समस्याओं का समाधान करने का दायित्व हमारा है और इन समस्याओं के लिए हम सदन के माध्यम से जो कार्यपालिका है, जिसका मुख्य अंग है सरकार, उसके प्रति हम अपनी समस्याओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं महोदय लेकिन आने वाले दिनों में अभी जो हमलोग देख रहे हैं इस दौर में महोदय, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति सामंजस्य होना चाहिए था, वह सामंजस्य का काफी अभाव है। हमलोग जो जन समस्याओं को उठाते हैं, जनता के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, जनता के सवालों को रखते हैं, उन सवालों पर सरकार की तरफ से जो सकारात्मक प्रयास होना चाहिए, उसकी काफी कमी दिखायी पड़ती है, जिसके चलते जो सस्टनेबुल हमारा गोल है जो हम चाहते हैं हम इस सदन के माध्यम से जिस जनता ने हमें यहां तक भेजा है उसकी समस्याओं का समाधान करा पायें। उन समस्याओं का समाधान नहीं होता इसलिए

महोदय, मैं आपको इस परिचर्चा के माध्यम से, हम आपके माध्यम से संविधान की रक्षा कैसे हो, कैसे आम लोगों तक संविधान की जानकारी प्राप्त हो, उसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूॅ महोदय । चूंकि जनता, जिसके लिए संविधान बनाया गया, वह संविधान को नहीं जानता है, वह संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, वह अपने अधिकार और कर्त्तव्य को नहीं समझता है और जबतक वह अपने अधिकार और कर्त्तव्य को नहीं समझेगा, तबतक हम अपनी जिम्मेवारियों का निष्पादन सही ढंग से नहीं कर सकेंगे इसलिए जनता को यह बतलाने की जरूरत है कि आपके हक अधिकार और आपके कर्त्तव्य क्या हैं तो मैं सबसे पहले महोदय, आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूॅ कि ये जो संविधान की प्रति हमलोगों को दी गई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूॅ लेकिन इस संविधान की पढ़ाई महोदय, विद्यालयों के अन्दर भी होनी चाहिए । विद्यालयों के अंदर में यह व्यवस्था करें कि संविधान की पढ़ाई हो और संविधान की चर्चा कार्यालयों में भी होनी चाहिए, चूंकि जहां से कार्य सम्पादित होते हैं हम देखते हैं कि वहां गांधी जी का, अम्बेडकर जी का, सब का फोटो लगाया जाता है । हमारे आदर्श पुरुष हैं, आईडल हैं हमारे लिए लेकिन उनके जो आदर्श हैं उन आदर्शों का हम अनुसरण कर रहे हैं या नहीं इसके लिए संविधान की चर्चा कार्यालयों में भी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री राकेश कुमार रौशन: एक मिनट और महोदय, जनप्रतिनिधि जो हम हैं, हमको भी यह दायित्व है कि हम जनता के बीच संविधान को प्रचारित करें । जनता दरवार के माध्यम से या और भी जो माध्यम हो, हम संविधान को प्रचारित करें और संविधान के बारे में जो है जनता को बतायें महोदय । संविधान के सम्मान का महोदय प्रयास होना चाहिए लेकिन होता क्या है महोदय, आज इस देश के अन्दर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान का अपमान भी करती है, उसके बाद भी हमलोग उनके साथ इज्जत और सम्मान के साथ पेश आते हैं इसलिए जो संविधान का अपमान करने का प्रयास करे, चाहे कोई भी संस्था हो, उसका संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए और (क्रमश:)

टर्न–25/मधुप/26.03.2022

...क्रमशः...

श्री राकेश कुमार रौशन : अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमलोग जिस सदन में इसकी चर्चा करते हैं, वहाँ भी संविधान की रक्षा होनी चाहिए । यहाँ भी संविधान का अपमान होता है, महोदय । आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आप हाउस के संरक्षक हैं..

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : यदि यहाँ पर भी संविधान की रक्षा नहीं होगी....

अध्यक्ष : अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों के विचार को सुनना है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, अब समाप्त कर रहे हैं । अंतिम बात कह रहे हैं कि....

अध्यक्ष : अब आपका हो गया । बहुत अच्छा सुझाव दिये हैं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : संविधान की रक्षा यहाँ नहीं होगी तो हम जनता में क्या संदेश देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक चीज आपको बता दें । बैठ जाइये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : इसी सुझाव के साथ महोदय, आपने हमको समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य आज जो उपस्थित हैं वे संविधान के सबसे बड़े प्रहरी के रूप में आज मौजूद हैं, इस सदन के गवाह बन रहे हैं और विधान प्रबोधनी जो आपके विधान सभा से पत्रिका निकल रही है, सभी वैसे सजग प्रहरी के भाव को हम उसमें स्थान देंगे, वे जब हमें लिखकर देंगे तब ।

अंत में हम बतायेंगे कि संविधान के जो मूल कर्त्तव्य हैं, इसमें लिखा हुआ है और आपका सुझाव अच्छा आया है, शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, वे भी अपना वक्तव्य देंगे कि दो–तिहाई नौजवानों की आबादी जो है, उसको अधिकार के साथ–साथ, राजनीति सिर्फ अधिकार सीखाती है, कर्त्तव्य का बोध जिस दिन करा देगा उस दिन हमारा देश बदल जायेगा ।

अब माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार । नहीं हैं ।

माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आज संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्यों पर विचार रखने के लिए मुझे आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ । साथ–साथ आभार प्रकट करता हूँ मैं अपने नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और अपने दल के सचेतक ललित बाबू का ।

महोदय, जब हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान देकर, इतनी कुर्बानी देकर संविधान बनाया और उसके बाद यह संस्था बनायी गयी सारे राज्यों में, केन्द्र में संस्था बनायी गयी और सारे राज्यों में विधान सभा बनायी गयी । अध्यक्ष महोदय, बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम यहाँ से जनता का कल्याण कैसे करें, हमारी जनता कैसे ठीक रहे, इसी उद्देश्य से बनाया गया । लेकिन आज हमलोगों के बीच जो तीन स्तम्भ कहे जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में चूंकि समन्वय नहीं रहने की वजह से और मैं खासकर देख रहा हूँ, दो-तीन उदाहरण देकर मैं चार मिनट में ही अपनी बात रख दूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

महोदय, मैं देख रहा हूँ कि इस बिहार के 243 विधायक हैं और इतने सारे पदाधिकारी हैं, अगर आपस में समन्वय हो जाय तो इस बिहार का विकास होना बहुत बड़ी चीज नहीं है । लेकिन इसके अंदर भ्रष्टाचार घुस गया है जिसकी वजह से हम अपने अधिकार मूल्यों का वहन अपने जनता तक नहीं कर पाते हैं । आज जो हमको मूल अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार मिला है और मौलिक कर्त्तव्य मिला है, फंडामेंटल जो इशू मिला है तो हम देखते हैं कि एक एक्जामपल मैं दूंगा । अगर कार्यपालिका सही हो जाय और इससे भ्रष्टाचार की बू खत्म हो जाय तो न्यापालिका और विधायिका के भी बहुत सारे कार्य सॉल्व हो जायेंगे ।

कहीं भी परेशानी होती है, विधायक क्षेत्र में रहते हैं, 243 विधायक हैं, सारे क्षेत्र से जीतकर आते हैं लेकिन विकास की किरण कुछ खास जिलों में ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब 243 विधायक आते हैं, जब भी क्षेत्र में जाते हैं, बाढ़ आयेगी तो विधायक से पूछा जायेगा, रोड टूटेगा तो विधायक झेलेंगे, कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो विधायक झेलेंगे लेकिन कार्यपालिका कहाँ रहती है ? यह आपस में समन्वय नहीं रहने की वजह से सही तरीके से काम नहीं हो पाता है । अध्यक्ष महोदय, अगर न्यायपालिका आज परेशान है, न्यायालयों में जितना लोड पड़ा हुआ है, अगर थाना सही से काम करना शुरू कर दे और सरकार से मेरी एक गुजारिश है चूंकि उसने त्रिस्तरीय इलेक्शन कराया और सरपंच का इलेक्शन कराया तो सरपंच को भी, थाना और सर्किल इंस्पेक्टर का कोऑर्डिनेशन कमिटी बना दिया जाय । चूंकि बिहार में 90 प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं और छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ा होता है, बच्चा खेलने को लेकर, मुर्गी की वजह से भी, हमारे प्रभारी गृह मंत्री बैठे हुये हैं, सर्वेक्षण करायेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे थाना में 80 प्रतिशत केस जो होते हैं सब गलत होते हैं, सब असत्य होते हैं । चूंकि उसमें आप देखेंगे कि 15-20 हजार रूपया मेरा छिन लिया, सोने का

सिकरी छिन लिया, इस तरह की घटना होती है जिससे कोर्ट पर लोड पड़ता है । आज टोटल जेल का आप सर्वेक्षण करा लें तो आप देखेंगे कि 80 परसेंट लोग उसमें गरीब घराने से आते हैं, हैंड टु माउथ होते हैं । अभी शराबबंदी हुआ, इसमें भी आप देखेंगे कि जितने भी लोग जेल के अंदर हैं, अगर थोड़ी-सी सजगता होती तो एक बोतल दारू के लिए वे जेल में नहीं होते लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, वे मौज-मस्ती कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री शमीम अहमद : तो मैं चाहूंगा कि इस तरह विधायिका और कार्यपालिका के बीच ऐसा कोऑर्डिनेश हो कि यह जो विधान सभा बना, इसके भाव 243 विधान सभा क्षेत्रों में इसकी किरण पहुंचे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री शमीम अहमद : एक मिनट, सर । नौजवान जो यहाँ आज हमारे बेरोजगार बैठे हैं...

अध्यक्ष : हमारे माननीय सदस्यगण बहुत लम्बा बोल सकते हैं, यह हम समझते हैं लेकिन आज समय की मजबूरी है ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, आज बिहार बेरोजगारी का केन्द्र बना हुआ है । अगर बेरोजगारी को हम खत्म नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं है, इस विधान सभा में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले बिहार जो बेरोजगारी का केन्द्र बना हुआ है, सारे सीट हमारे खाली हैं, उसको शीघ्र भरा जाय ।

अध्यक्ष : कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा ।

श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : बहुत-बहुत शुक्रिया, महोदय ।

महोदय, संविधान पर विमर्श करने के लिए आपने जो तय किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेकिन इतने महत्वपूर्ण विमर्श के लिए उतना टाइम नहीं है । इसके लिए व्यापक विमर्श के लिए टाइम चाहिये, दो-चार दिन का, हमारे जो विद्वान विधायक हैं, साथ-साथ आप जो बोल रहे हैं कि

''दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है,
पर नहीं ताकत-ए-परबाज मगर रखती हैं ।''

महोदय, आप दिल की बात कह रहे थे तो दिल की बात मैं भी करना चाहूंगा । हम जब बचपन में प्राथमिक स्कूल में पढ़ा करते थे तो संविधान का जो प्रियेंबल था, जोर-जोर से हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे, हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय..... महोदय, भूल रहा हूँ अभी ।

अध्यक्ष : संविधान की प्रति आपको दी गयी है, देख लीजियेगा ।

श्री महबूब आलम : जी, महोदय । हमको अभी लगता है...

अध्यक्ष : आपका सदन का लम्बा अनुभव है, थोड़ा कर्त्तव्य का बोध करा दीजिये ।

टर्न-26/आजाद/26.03.2022

श्री महबूब आलम : लाखों कुर्बानियां देकर के यह दिन हमने हासिल किया है । लाखों कुर्बानियां दी गई हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बीच में कोई मत बोलिए । महबूब जी दिल से बोल रहे हैं, दिल से सुनिए ।

श्री महबूब आलम : लाखों कुर्बानियां देकर के हमने यह आजादी पायी है महोदय । अमर शहीद चन्द्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान और कितने ऐसे शहीद हैं महोदय, जिन लोगों ने कहा था अंग्रेजों को कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ा है । एक स्टेट दूसरे स्टेट के वर्सेज में जब जंग छेड़ता है तो तुम उसको क्या सजा देते हो, तोप में बांधकर के उड़ा देते हो, इसलिए भगत सिंह ने कहा महोदय, हम कोई सामाजिक, राजनीतिक अपराधी नहीं हैं, हमने जंग छेड़ा है, हमारा स्टेट है, I being Prime Minister इसलिए मुझे तोप से उड़ाओ, फॉसी नहीं दो, यह भावना था महोदय । 1857 की क्रांति जब हुई, उसमें भी लोगों ने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के जो गीत थे महोदय, मैं आपको सुनाना चाहूंगा ।

हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा,
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा,
आज शहिदों ने है तुमको, पहले वतन ललकारा,
तोड़ों गुलामों की जंजीरे, बरसाओ अंगारा,
हिन्दु-मुसलमान-सिख हमारा, भाई-भाई प्यारा,
यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा ।

महोदय, मैं भाव के अतिरिक्त, सरावगी जी बोल रहे थे.....

अध्यक्ष : अब दूसरे की बात पर नहीं, अपनी बात कहिए, उनकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करिए ।

श्री महबूब आलम : भारत का संविधान का पालन करें, जो भाग-4 का (क) है, मूल कर्त्तव्य-भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा, यह (क) संविधान का पालन करें, इनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, अंग्रेजी में है महोदय - The

abide by the constitution and respect it ideal and Institutions, the National Flag and the National Anthem महोदय ।

हम तो चाहेंगे महोदय कि यह जो आजादी की जंग की शुरूआत हुई, उसका जो तराना है, उस तराना को नेशनल ऐंथम बनाया जाय । हमारी यह लम्बे समय से मांग है । लेकिन मेरी यह जिद नहीं है । हम मांग करते हैं, हमारा यह अधिकार है और .....

अध्यक्ष : अधिकार के साथ अब कर्त्तव्य पर भी कुछ ।

श्री महबूब आलम : हां, अगर संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं होता है । हमने कहा कि जिम्मेवारी जिनकी है, हमने देखा इस विधान सभा में, सदन में हमने देखा कि कर्त्तव्य निर्वहन की प्राथमिक जिम्मेवारी जिन लोगों को है, वही कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं महोदय । हमने देखा है महोदय, हमारा जो अधिकार है, हमारा दुराग्रह नहीं है, हमारा अधिकार है, हमारी जो मांग है, हमारी मांग पर विचार होना चाहिए लेकिन विचार नहीं करके हम पर दमन किया जा रहा है । यह उपदेश ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संविधान में हमारे 11 कर्त्तव्य लिखे हुए हैं, उसपर आप जरूर बोलें, कोई नहीं बोल पा रहे हैं ।

श्री महबूब आलम : हमारा संविधान में कर्त्तव्य इन्टीग्रेटेड है महोदय, हम कर्त्तव्य के नाम से मौज-मस्ती नहीं करना चाहते । हम समाज के लिए बड़ी कुर्बानी, बड़ी त्याग करने का जज्बा अभी भी रखते हैं महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट और है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हम कहना चाहेंगे, अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, मुश्किल से करीब 12 हजार वोट से लीड करते हैं, 12 लाख भी नहीं लेकिन हमारी बातें, हमारा मशवरा, हमारा प्रस्ताव, हमारे आग्रह को इस निर्ममता से ठुकरा दिया जाता है, इस सरकार को भी अपने कर्त्तव्य पालन के लिए वचनबद्ध होना चाहिए । एक विमर्श तो हो, लोकतांत्रिक जो राज्य है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है, पूरे दुनिया में हमलोग फक्र से सर उठाकर चलते हैं, इसपर तो एक विमर्श होना चाहिए महोदय लेकिन हो नही रहा है । इसीलिए हम आग्रह करेंगे, इसके लिए आपने जो विमर्श कराया है, यह विमर्श का सही टाईम नहीं है और टाईम होना चाहिए । व्यापक, विस्तारित ताकि इसको हम सम्मिलित कर सके ....

अध्यक्ष : कितना समय चाहते हैं, हम रात भर चलवा सकते हैं ?

श्री महबूब आलम : चलवाइए महोदय ।

अध्यक्ष : लेकिन सदन में आज कितने लोग हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाइए न ।

अध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आपने कहा कि रात भर डिवेट करा सकते हैं लेकिन सदन में कितने लोग हैं, एक रात के लिए तो महबूब साहेब ही काफी हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, एक मिनट । आपको मालूम होना चाहिए कि इस कांस्टीच्यूंट एसेम्बली के जो ड्राफ्ट कमिटी थी, जो ड्राफ्ट कमिटी के चेयरमैन थे बाबा साहेब अम्बेदकर, बाबा साहेब अम्बेदकर को उतनी लांछना झेलनी पड़ी उस वक्त भी कि पूरे हिन्दुस्तान में उनको कहीं से भी कांस्टीच्यूंट एसेम्बली बनने का मौका नहीं मिला तो वही बंगाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री फजीऊल हक थे और फजीऊल हक ने कांस्टीच्यूंट एसेम्बली का मेम्बर चुनकर भेजा महोदय और आज इसी सदन में मुझे राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है, हमें गाली दी जाती है, वैसे लोगों को भी हमें कर्त्तव्य का निर्वहन का उपदेश और ज्ञान देने की जरूरत है और हम माननीय मंत्रियों को कहेंगे कि संविधान के अनुकूल जो कानून का राज स्थापित करने के लिए आप वैदिक युग के दंत कथाओं के पात्रों का सहारा क्यों लेते हैं ?

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, इसपर विस्तार से आज तो शुरू हुई है, आपका सुझाव हम स्वीकार करेंगे, अब आप बैठ जाइए ।

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

श्री महबूब आलम : महोदय,

अध्यक्ष : यह भी हमारा कर्त्तव्य है कि आसन समय से बंधा है । ठीक है धन्यवाद । अब आप बैठ जाइए । अब हो गया । ललन जी, बोलिए एक मिनट में ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेदकर ने डेमोक्रेसी को जो डिफाईन किया है, Democracy is the wave of Governance which bridge the revolutionary change in socio economic status of the peoples without any burst the called democracy.

बाबा साहेब ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान को सौंपने से पहले एक प्रेस कॉफ्रेंस किया था और प्रेस कॉफ्रेंस में कहा था कि यह संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हो जायेगा और इसके लागू होते ही हमारा अपना संविधान होगा, गौरवशाली संविधान होगा लेकिन इस संविधान के लागू करने वाले की मंशा पर डिपेंड करता है । अगर जिस

सरकार के समय में संविधान लागू की जा रही है, संविधान अगर 10 वर्षों के अन्दर समाज के अन्दर आर्थिक एवं सामाजिक गैर बराबरी को खतम नहीं करता है तो इस व्यवस्था से क्षुब्ध होकर इस देश के लोग हथियार उठा लेंगे और लोकतंत्ररूपी मंदिर को ध्वस्त कर देंगे और उसी का नतीजा है कि जो संविधान के लागू करने वाले के मन में संविधान के प्रति आस्था नहीं थी, जो आज माओवाद, उग्रवाद जो भी है, यह हुआ । इसलिए सरकार को अधिकार देता है संविधान तो सरकार का दायित्व है कि सरकार जल्द से जल्द सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी को खतम करे । धन्यवाद, जयहिन्द ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, एक मिनट में ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष जी, महोदय, जिस विषय पर बहस हो रही है, चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही यह ऐतिहासिक क्षण है और मैं समझता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसको आगे भी चलाया जाना चाहिए । मैं दो-तीन बात कहकर के प्वायंट में अपनी बात को खतम कर रहा हूँ ।

भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक है और उस हिसाब से भारत को विकसित देश में सबसे ऊँचे स्थान पर होना चाहिए था । लेकिन सवाल उठता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 1949 में चाईना का रिवोल्यूशन हुआ था और आज चीन कहां से कहां चला गया, उसने अपने संविधान को लागू किया और हम भी अगर अपने संविधान को पूरे तौर पर लागू करते तो हमारा देश भी आज दुनिया के सबसे ऊँचे स्थान पर होता एक । दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारा संविधान जो है बराबरी का अधिकार, जो सबसे मजबूत चीज है, उसका उल्लंघन अगर हम, आप कोई न करें तो निश्चित तौर पर हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है लेकिन आज हम भी मैं साफ कह रहा हूँ कि बराबरी के हक को हम अन्तरआत्मा से स्वीकार नहीं कर रहे हैं । दूसरी बात हम यह कह रहे हैं, हम आधा मिनट में अपनी बात खतम करेंगे, यह तीन जो संविधान की मुख्य बातें हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायापालिका । मैं समझता हूँ कि जब भी विधायिका कमजोर होती है तो कार्यपालिका, न्यायापालिक और विधायिका के बीच टकराहट बहुत तेजी से बढ़ती है और तब हम समझते हैं कि विधायिका जो है हासिये पर खड़ी होती है और इसीलिए इस सदन में है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और मजबूती से अटल पथ पर बढ़ना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकांत पासवान ।

टर्न–27/शंभु/26.03.22

श्री अजय कुमार : महोदय, एक शब्द बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ सबको पता है कि लोक सभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी ।

अध्यक्ष : अब हो गया, विषय आ गया है । श्री सुर्यकान्त पासवान । दो मिनट आप ले लिये हैं ।

श्री अजय कुमार : जब सुप्रीम कोर्ट ने इत्तिला दिया तो उन्होंने जवाब दिया था मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने जो हमलोगों को यह संविधान उपलब्ध कराया है, हम समझते हैं इस संविधान में बहुत कुछ है और आज हमलोगों का कर्त्तव्य है कि हमारे रोड पर जो गरीब लोग, जो रिक्शा चालक, ठेला चालक आज भी रोड पर सोते हैं चादर बिछाकर के इस संविधान में बराबरी का अधिकार सभी लोगों का है, लेकिन आज हम उसको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं । महोदय, आज गरीब जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं । बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो । महोदय, आज हम संघर्ष भी करते हैं और अगर हम शिक्षित हो जायेंगे । आज हमारे 80 प्रतिशत दलित जो उनको शराब में लिप्त माना जाता है वे जेल के अंदर बंद हैं, अगर वे शिक्षित होते तो जेल के अंदर नहीं बंद रहते ।

अध्यक्ष : ठीक है, समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, बराबरी का अधिकार संविधान में है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है ।

अध्यक्ष : अब आपको हो गया । माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी बाबू प्रारंभ करें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर को संविधान बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी ।

अध्यक्ष : दो मिनट से उपर हो गया आपका ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : नहीं महोदय, कुछ बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : समय से बंधे हुए हैं देख रहे हैं कि समय कम है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस विधान सभा में संविधान और माननीय सदस्यों के कर्त्तव्य के संबंध में आपने चर्चा कराने का जो निर्णय लिया है यह स्वागतयोग्य है । महोदय, मैं भी इस सदन का सदस्य रहा हूँ, लेकिन इस तरह के भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न विषयों पर चर्चाएं होती रही है, लेकिन संविधान और हम माननीय लोगों का कर्त्तव्य के संबंध में कभी चर्चा इस सदन में

मेरे समझ से नहीं हुई थी । आप निश्चित एक जन जागरण का काम किये हैं और इस तरह के डिबेट, इस तरह की चर्चा, इस तरह की बहस समय-समय पर होते रहना चाहिए। इससे सदन भी गौरवान्वित होगा और बिहार की जो 12 करोड़ आबादी है उसको भी जानकारी मिलेगी और एक अच्छा संदेश जायेगा । महोदय, हमारे बहुत सारे इस विधान सभा के भिन्न-भिन्न दल के सदस्यों ने संविधान के संबंध में अपनी बात को अपनी तरह से कहने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान और संविधान के निर्माता जिस उद्देश्य से आजादी के बाद अपने देश का संविधान बनाने का काम किया और उस संविधान में जिस तरह से इस देश की तरक्की, बेहतरी, उन्नति के लिए भिन्न-भिन्न प्रोविजन व्यवस्था करने का काम किया । आज आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। संविधान में जो व्यवस्था बनायी गयी है बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर, प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू की अगुवाई में उनकी अध्यक्षता में- महोदय, उसमें जो भी व्यवस्था दी गयी है, अगर ईमानदारी के साथ संविधान की सभी व्यवस्था को लागू करने का काम कर दिया गया होता तो जो आज समस्याएं भिन्न-भिन्न तरह की देश में खड़ी है और जो इन्कलाब जिंदाबाद के नारे हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं- वास्तविकता में उसको लागू कर दिया जाता तो इस तरह की परिस्थिति नहीं पैदा होती, लेकिन मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी केन्द्र में गवर्नमेंट बनी आजादी और संविधान बनने के बाद जिसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे विद्वान्, चिंतक, दार्शनिक, समाजवादी, प्रगतिशील विचारधारा के लोग उसमें सम्मिलित थे, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी बनती थी उस संविधान की व्यवस्था को हुबहू लागू करने के लिए वैसी कार्रवाई नहीं हुई। यह एक बहुत चिंता का विषय मेरे समझ से जो मैं सोचता हूँ उसको आपके सामने रख रहा हूँ । महोदय, संविधान के तहत जो हमारा मौलिक अधिकार है, फन्डामेंटल राइट है वह बिलकुल स्पष्ट है । मेरा अधिकार उस अधिकार के तहत अगर देश में सब लोगों की मंशा एक होकर के अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन जनहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में करते तो देश तरक्की के तरफ होता क्योंकि दुनिया में जो आपके भारतवर्ष का संविधान है, यहां जो प्रजातंत्र है उस तरह का संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है । ऐसे संविधान में मैं बार-बार दोहराता हूँ कि जिन लोगों ने इसके प्रावधान को लागू ईमानदारी से नहीं करने का काम किया, जिम्मेवार वही लोग है, खाई पैदा करनेवाले लोग हैं । गरीबी और अमीरी की जो दूरी बढ़ी है उसके कारण हैं, समतामूलक समाज के निर्माण नहीं होने के कारण हैं, संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू नहीं करने के कारण ही है कि आज हम और आप चिंता में हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है हमारे नौजवान रोजीरोटी के

लिए भटक रहे हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संवैधानिक जो हक उनको है उस हक को देने का काम- महोदय, 75 वर्ष कोई कम नहीं होता है- किया गया होता तो ये हमारे नौजवान जो बेरोजगार होकर अवसर के लिए घूम रहे हैं और हम और आप चिंतित हैं । इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, इस तरह के दिन नहीं देखना पड़ता । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के तहत हम तमाम लोग जीतकर यहां आते हैं । यह एक विधान बनाने का पवित्र मंदिर है । महोदय, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका इसके आपस के जो विधायिका है और कार्यपालिका है इसमें टकराहट है । मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आइ0ए0एस0 हो, आइ0पी0एस0 हो, पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो हम सब भारतवासी हैं और सब लोगों की संयुक्त कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी होती है कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने-अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा कि हम कहां तक जा सकते हैं और हमें काम क्या करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं जिसके चलते टकराहट बढ़ती है । हमारी सरकार के लोग बैठे हुए हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमलोग जनता के द्वारा जीतकर आते हैं, हम जनता के प्रति जिम्मेवार जवाबदेह हैं और हमें जनता की समस्याओं को आपके सामने रखना है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारी बातों को आप गंभीरता से लीजिए और जो उसमें उचित हो उस उचित काम को कीजिए, अगर हम सही नहीं बतलाते हैं तो उतना अंश को छांट दीजिए, लेकिन जितना अंश राज्यहित में, जनहित में समस्या का निराकरण अगर आपके समझ में सही होता है तो उसका कार्यान्वयन होना चाहिए ।

अध्यक्ष : चलिए हो गया ।

टर्न-28/पुलकित/26.03.2022

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे विधायकों का विशेषाधिकार है । महोदय, आप आसन हैं, उस विशेषाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, अगर हनन होता है तो उसके लिए संविधान में ही अधिकार है । वही अधिकार हमें देता है तो उसके तहत अगर कोई विधायिका का अपमान करता है तो नियमसंगत वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए । यह मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, अब समय कम है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, जो हमारे माननीय विधायक हैं चाहे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों इन तमाम लोगों को मान-सम्मान मिलना चाहिए । अगर इन्हें मान-सम्मान नहीं

मिलेगा तो सरकार की खूबसूरती नहीं बढ़ेगी । इन्हें मान-सम्मान नहीं मिलेगा, पदाधिकारी इन्हें आदर नहीं देंगे तो जनता के काम नहीं होंगे और जनता के काम नहीं होंगे तो समस्या बढ़ेगी और समस्या बढ़ेगी तो सरकार के सामने ही जबर्दस्त रोड़ा आयेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, यह एक बहुत ही चिंता का विषय है । विधायक, हम सभी साथी है हमें भी अपने ज्यूरिडिक्शन का ख्याल रखकर काम करना चाहिए और कार्यपालिका को भी जो अपना अधिकार है उसका ज्ञान होना चाहिए । दोनों के समन्वय से इस राज्य का विकास होगा । संविधान की रक्षा करना हमारी और आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है । संविधान अगर नहीं रहता तो आज एक गरीब का बेटा है इस विधान सभा में जीतकर नहीं आता ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : इसलिए संविधान सर्वोपरि है । उनकी रक्षा करना हमारा और आपका कर्त्तव्य बनता है । हम संविधान के प्रति जिम्मेवार हैं लेकिन कार्यपालिका को भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायिकों को और सरकार से भी उनके प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब हो गया, अब समाप्त कर लीजिये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : वह बात न गंवार लगेगी और अपमानित होने से आप स्वयं अपमानित हो सकते हैं । आपने जो चर्चा कराई इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । बहुत-बहुत आपके प्रति आभार, इसी तरह से समय-समय पर आप चर्चा कराते रहेंगे । राज्य में समृद्धि आयेगी, राज्य विकास की तरफ जायेगा और दलगत नीतिगत काम करते हैं लेकिन कोई अच्छी बात होती हैं तो हम तमाम सदस्यों को एकजुट होकर एक रास्ता अपना कर राज्यहित में काम करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ संविधान जिन्दाबाद और सभी लोगों को प्रणाम करके, सलाम करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, दो मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत आभार । हम लोगों के सामने जो विषय है उस संबंध में हम सिर्फ दो बात कहना चाहते हैं, एक बात यह है और हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं । अगर एक में भी कहीं कमी हुई तो सिक्का खोटा माना जायेगा उसी प्रकार से आज

संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार है, अगर हम कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो फिर संविधान का वहां पर कोई मायने नहीं रह जाता है । यहां पर एक पंक्ति है कि :-

''मुखिआ मुखु सो चाहिये, खान पान कहुँ एक ।
पालइ पोषइ सकल अँग, तुलसी सहित बिबेक ।।''

अगर ये आ जाये हम लोगों में, ये एक्जीक्यूटिव में आ जाये, ये प्रशासन में जो लोग लगे हैं उनमें आ जाये तो हम समझते हैं कि किसी का दोष नहीं है लेकिन हां अवेयरनेस कि जरूरत होती है, हुजूर, हम गांव से आते हैं वहां हमने देखा है कि हमने तो वहां चापाकल दे दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल, जीवन, हरियाली और नल जल से पानी देने का काम तो बहुत अच्छा किये हैं लेकिन वहां पर लोग क्या कर रहे हैं ? एक टोंटी टूट जाती है तो उसको लगाने के लिए भी सरकार चाहिए, एक चापाकल का हैंडल खराब होता है उसको लगाने के लिए सरकार ही चाहिए । हमारे कहने का मतलब हम उसको दे ही देते हैं, उसका अधिकार है पानी पिलाना है । लेकिन उसका कर्त्तव्य है रक्षित करना, वह रक्षित नहीं हो पा रहा है । वैसी परिस्थिति में हम कहना चाहते हैं फिर से हमारे एक साथी ने यहां पर कहा है कि संविधान है, संविधान में अधिकार है, कर्त्तव्य भी हमारा है, लेकिन अनुपालन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है । बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि इसका पालन करने वाले ठीक नहीं होंगे तो संविधान का कोई मायने नहीं रहता है । आज दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि संविधान में बहुत सी अच्छी-अच्छी बातों को आज इसतरह से मिटाकर के काम करने की बात हो रही है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है । आज 105 संशोधन हो गये, समय-समय पर संशोधन होते हैं लेकिन उससे समाज में जो अच्छाई आनी चाहिए, समाज जहां जाना चाहिए जो सुविधा समाज को मिलनी चाहिए, समाज को वह सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह हमलोगों के देखने का कर्त्तव्य है । एक बात हम जरूर कहेंगे जहां विधायिका की बात है, हमने कहा था अन्य जगह भी कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चुनाव जीतकर आते हैं, लाखों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जहां कहीं भी कुछ बात होती है कार्यपालिकाओं की तरफ से हम लोग अंगीकृत करते हैं तो हमको वहां तरजीह नहीं दी जाती है । होना यह चाहिए कि अगर विधायक है, अगर सांसद है अगर किसी भी बात पर किसी के खिलाफ कोई चर्चाएं होती हैं, कुछ देते हैं तो उसपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और आज होता है क्या ? हम विधायक और सांसद अगर किसी के खिलाफ लिख देते हैं तो उसी डी0एस0पी0, उसी दरोगा के खिलाफ लिखते हैं और उसी को इन्क्वायरी के लिए चला जाता है, वह क्या इन्क्वायरी करेगा ?

उसे आप समझ लीजिये । महोदय, ये सब बातें भी हो रही हैं तो वैसी परिस्थिति में आज डेटेरिओरेशन है, हम विधायकों की इज्जत और यह सही बात है हमारी भी कुछ करनी है जिसके चलते हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से भी, कार्यपालिका की तरफ से भी जो हम विधायकों को तरजीह नहीं दी जाती है । जिसका भी कारण है कि आज हर जगह में भी विकास के काम में भी इन्बेलेंसिंग हो रहा है, हमारे प्रतिनिधि सब खराब नहीं हैं मैं मानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं सौ में एक, दो आदमी भले खराब हो सकते हैं, लेकिन 99 आदमी अच्छे हैं । उनके द्वारा उठाये गये बिंदुओं को अगर सीधे से लिया जाये और उसका अनुपालन कराया जाये तो मैं समझता हूं कि संविधान की रक्षा हो सकेगी और हमारा अधिकार और कर्त्तव्य भी वहां पर ठीक रह सकेगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने जो समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मोहम्मद इसराईल मंसूरी जी को बोलने दिया जाये ।

अध्यक्ष : अब छोड़ दीजिये । अभी सब सदस्यों का है, बहुत समय हो गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उनको एक मिनट बोलने दीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । एक-आध शेर से संविधान एवं कर्त्तव्य के बारे में, एक मिनट में बोलिये ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी हर्ष की बात है कि हम देश की आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं । महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए कर्त्तव्य और अधिकार पर चर्चा कराने का काम किया है उसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं । साथ ही हम अपने नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी यादव जी और....

अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठ जाइये ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : हम ललित यादव जी को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं । अध्यक्ष कर्त्तव्य बहुत ही....

अध्यक्ष : ठीक है, कर्त्तव्य का निर्वहन आपने बहुत किया ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । कर्त्तव्य का जो विषय है यह बहुत बड़ा विषय है । जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मां, बाप के द्वारा भी कर्त्तव्य की शिक्षा दी जाती है । कर्त्तव्य जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं तमाम धर्मों के ग्रंथों में भी कर्त्तव्य के बारे में बताया गया है और हमारे संविधान में भी कर्त्तव्य के बारे में बताने का काम किया है । हमलोगों के भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि तमाम धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, तमाम लोगों की एकरूपता इस देश में नजर आती है

और उसको देखते हुए इस देश में हमारा जो संविधान लिखा गया है, चाहे रानी का बेटा हो, चाहे मेहतरानी का बेटा हो तमाम लोगों को सामान्य अधिकार दिया गया है, यह खूबसूरती है । चूंकि वक्त की कमी है...

अध्यक्ष : इसी कर्त्तव्य का निर्वहन करते रहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : महोदय, अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूं :-

''हम बुलबुले है इसकी,
ये गुलस्तां हमारा।
सारे जहां से अच्छा,
हिन्दुस्तां हमारा ।।''

टर्न-29/अभिनीत/26.03.2022

अध्यक्ष : बहुत बढ़िया । मन की सोच सुन्दर हो तो सारा संसार सुन्दर नजर आता है । अब माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सदन आपका एहसानमंद है कि आपने एक बड़े ही मौंजू विषय पर आज चर्चा निर्धारित की और हम सभी सदस्यों को उसमें भाग लेने का मौका दिया है । अपनी बात कहने का मौका दिया है इसके लिए हम सभी लोग, सरकार भी आपका आभार प्रकट करती है ।

महोदय, मैंने इसलिए कहा कि मौंजू विषय है, क्योंकि आपने शुरू में ही जब नियम 43 के तहत इस विषय पर विमर्श को निर्धारित करने की बात की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में ही बताया था कि अधिकारों की चर्चा बहुत हो चुकी अब कर्त्तव्यों की चर्चा होनी चाहिए । आपने जो विषय रखा है कि जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं और संवैधानिक मौलिक कर्त्तव्य हैं उसके बारे में हमें विमर्श करना चाहिए । सबसे बड़ी बात है कि जो विधायिका का दायित्व है, जिस हिसाब से आपने विषय का भी निर्धारण किया है कि उन मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा की जाय । महोदय, जागरूकता पैदा करने की जो बात है, आपने परिप्रेक्ष्य बनाते हुए ही इन बातों का खुलासा कर दिया था कि अधिकारों की बात बहुत हो चुकी है अब कर्त्तव्यों की बात पर ध्यान केंद्रित करके चर्चा हो । महोदय, मैं जो हुआ उसके बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता हूं, यह आसन खुद फैसला करेगा कि जिस मकसद से आपने यह विमर्श कराया या जब हम संवैधानिक अधिकार या कर्त्तव्य की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है ? सबसे पहले तो इसको निर्धारित करना होगा । इस सदन में इस विषय पर

लगातार लगभग दो घंटे हो चुके हैं हमलोग विमर्श कर रहे हैं और महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने इस विमर्श में शिरकत किया है मैंने सभी की बातों को ध्यान से सुना है । अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, प्रजातंत्र पर चर्चा हुई है, सरकार की भूमिका पर चर्चा हुई है, विपक्ष की भूमिका पर चर्चा हुई है, संविधान पर चर्चा हुई है, विशेषाधिकार की चर्चा हुई है, सारी चीजों पर चर्चा हुई लेकिन मैं आसन के इशारे को भी देख रहा था कि आप एक नियमित अंतराल के बाद बार-बार सदस्यों को इंगित करके मूल विषय, उसमें भी कर्त्तव्य केंद्रित विषय जो आप बनाना चाह रहे थे उसमें क्या बातें निकल कर आयीं इसका आकलन का दायित्व मैं आसन पर ही छोड़ता हूं । महोदय, सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम अधिकारों और कर्त्तव्यों की बात करते हैं, जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, हमारा अधिकार और कर्त्तव्य व्यक्तिगत होता है, उस अधिकार की हम चर्चा करते हैं, उस कर्त्तव्य की हम चर्चा करते हैं । हमने सदन की चर्चा कर दी, विधायकों के अधिकारों की चर्चा कर दी, विधायकों के विशेषाधिकारों की चर्चा कर दी, सदन के विशेषाधिकारों की चर्चा कर दी । महोदय, हम जो समझते हैं, आपकी मंशा, आप तो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों पर विमर्श चाह रहे थे और बार-बार इशरा भी कर रहे थे, मैं देख रहा था । यह मौंजू विषय भी है और जब हम अधिकार और कर्त्तव्य के बारे में विमर्श करने बैठते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि ये समझना होगा कि यह नागरिक का अधिकार और कर्त्तव्य है । उसके बारे में जब हम विमर्श करने बैठेंगे तो यह भी हमें देखना होगा कि इतिहास में कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है, यह कहां से आया है । महोदय, नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्यों पर जब हम गौर करेंगे जो हमारा संविधान ही कहता है, जिस मोटे संविधान को लेकर, महोदय, हमलोग तो पतला संविधान देखते थे आज महबूब आलम साहब थोड़ी मोटी संविधान पढ़ रहे थे और आपने जो दिया है उसके साइज का कुछ कहना ही नहीं है । दो आदमी हमलोग मिलकर पढ़ेंगे तभी खोलकर रख सकते हैं । महोदय, अगर आज आप अधिकारों और कर्त्तव्यों पर गौर करेंगे तो वह व्यक्ति, समाज, सरकार इन सबके आंतरिक रिश्तों की बात करता है कि व्यक्ति और समाज, जब आदमी को, किसी व्यक्ति को विकास करने के लिए एक समाजिक परिवेश की आवश्यकता होती है और व्यक्ति तब तक विकास नहीं कर सकता है जब तक उसको सामाजिक परिवेश से सहयोग नहीं मिले । व्यक्ति और समाज के आपसी रिश्ते को परिभाषित करने के लिए एक राज्य सत्ता की जरूरत होती है फिर सरकार की भूमिका आती है । इन तीनों के आपसी रिश्ते से महोदय, ये अधिकार और कर्त्तव्य की उत्पत्ति होती है । जब नागरिक अपना अधिकार

समाज के सामने सरेंडर करते हैं और हर नागरिक समाज के प्रति कुछ कमिट करता है, अगर अधिकार और कर्त्तव्य को आप बड़े क्षेत्र के रूप में देखें तो हमारे अधिकार वो हैं जो समाज से हमें मिलते हैं, समाज ने हमको इजाजत दी है सरकार के माध्यम से । हमारे कर्त्तव्य वह हैं जो हमारी समाज के प्रति देयता है, जो हमें देना है समाज को, जो हमारे दायित्व हैं वही महोदय, कर्त्तव्य बनते हैं । अधिकारों का इतिहास, जब हम मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करें, यह तो 800 वर्ष पुराना है । महोदय, यह तो आधुनिक प्रजातंत्र, मैं प्रजातंत्र, जो मौलिक प्रजातंत्र है वह तो अपने देश में बहुत जमाने से गणतंत्र और प्रजातंत्र की धरती अपना देश ही नहीं हमारा बिहार रहा है लेकिन जो आधुनिक प्रजातंत्र है जिसकी धरती ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन को माना जाता है महोदय, वहीं पर सबसे पहले अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात हुई थी जो हमारे महबूब साहब को जरूर याद होगा वह मैग्नाकार्टा के रूप में थी आज से 800 वर्ष पहले । 800 वर्ष पहले इसकी बुनियाद, बीजारोपण किया गया था, उसके बाद महोदय, अब उतना डिटेल में जायेंगे तो एक घंटा लगेगा, उसके बाद कैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जो उनका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपुल्स हुआ या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास किया था बिल ऑफ राइट्स उन सबसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये दिनोंदिन अलग-अलग समय में आकर अलग-अलग ढंग से परिभाषित होते चले गये और आधुनिक काल आते-आते महोदय, जो हमलोगों ने अपने संविधान में ग्रहण किया है उसका चरमोत्कर्ष अमेरिकन कंस्टिट्यूशन में आया । उसका भी कारण था कि जब अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था । -क्रमशः-

टर्न-30/हेमन्त/26.03.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(क्रमशः) : और जब अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई ब्रिटेन से लड़ रहा था तब वहां जो प्रजातंत्र में मौलिक अधिकारों की चर्चा, जो अमेरिकन्स ने ग्रहण की थी, जो अंदर लाया था उसके आधार पर उन्होंने फंडामेंटल लारट की मतलब सोच बनायी और उसको अपने संविधान में अंगीकार किया और हम लोगों ने तो शुरू से ही, जो 1931 से ही जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, पता नहीं कांग्रेस वाले अपना ही इतिहास नहीं बताते हैं । महोदय, उस समय 1931 में ही कराची रिजोल्यूशन में, आपको अच्छा लगेगा, कराची रिजोल्यूशन में ही हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था । जब हम आजाद होंगे, संविधान बनायेंगे, तो उसमें हम मूल अधिकार नागरिकों का रखेंगे । हम फिर कहते हैं कि तो अध्यक्ष महोदय ने विषय

रखा है अधिकार और कर्तव्य का वह नागरिकों का है और हम लोग अपने विशेषाधिकार में उलझकर रह जाते हैं और महोदय, जो कर्तव्य है या जो अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, अधिकार को तो कानून से लागू करने की बात बनायी गयी है । यह तो कानून का परिप्रेक्ष्य है । आपके अधिकार हैं, अगर कोई छीनता है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं । लेकिन ये कर्तव्य के साथ बात नहीं है महोदय और फिर मैं कहूंगा कि ये कांग्रेसी लोग अपने इतिहास को बताने से हिचकते हैं ।

(व्यवधान)

बिल्कुल । आप बैठिये न । आप बैठिये न । महोदय,

(व्यवधान)

अरे, आप बोल रहे थे, तो हम कुछ बोल रहे थे ?

अध्यक्ष : एक बार सुन लिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमको पूरी बात कहने दीजिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी : आपने जो विषय रखा और उसी विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार को रखा । संविधान से कोई अलग नहीं रखा ।

अध्यक्ष : अब सुन लिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमने कब कहा ?

अध्यक्ष : आपका भी विषय अच्छा था, इनका भी सुन लिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अवध विहारी बाबू, आपने जो कहा या माननीय सदस्यों ने कहा उसके बारे में हमने कोई टिप्पणी या कोई फैसला नहीं दिया है । हमने आसन के आकलन पर छोड़ दिया है । कम-से-कम आसन के आकलन पर तो भरोसा रखिये । हमने उस पर कोई फैसला नहीं लिखा है और हमारे महबूब आलम जी मतलब अंधविरोध में अपनी खूबियां भी भूल गये । आप अंधविरोध में सिर्फ सरकार के विरोध में बोलने के चक्कर में इतने पवित्र, पाक विषय पर भी सरकार के विरोध वाला चश्मा आप उतारे नहीं, नहीं तो अपनी खूबियां बताना भी भूल गये । ये शायद भूल रहे हैं कि जिन संवैधानिक कर्तव्यों की हम चर्चा कर रहे हैं पूरे विश्व में संवैधानिक कर्तव्यों की चर्चा को सतह पर लाने में साम्यवादियों की बड़ी भूमिका है । यह तो आपको याद नहीं रहा । केवल अंधविरोध में सरकार के पीछे चले गये । महोदय, सरकार के पीछे लग रहा था जैसे, अरे, सरकार की उपलब्धियों पर तो बोलने का तो आपको रोज मौका मिलता है और वही जो आदत पड़ी है सरकार का बिना मतलब का विरोध करना । उसी चक्कर में अपनी तरफ देखना ही भूल गये, जो आप भी कुछ हैं सो । महोदय, हम आपको याद

कराते हैं और कभी-कभी असहज स्थिति में भी, कभी-कभी अप्रिय स्थिति में भी कोई अच्छी बात हो जाती है और वही बात हुई थी 42वें संशोधन, जो 1976 में पास हुआ था, जिसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4 'क' बना, जो भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं उसके साथ जो जोड़ा गया 4 'क' जिसमें 51 'क' अनुच्छेद है, आर्टिकल जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जोड़े गये हैं । आपको तो ये कहे नहीं कि ये जैसे हम लोगों ने मौलिक अधिकार यू0एस0, अमेरिकन कंस्टीट्यूशन से हमने लिया है । फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हम लोगों ने रूस के संविधान से लिया । ये साम्यवादियों की बड़ी देन है मौलिक कर्तव्यों को ऊंचा लाने के लिए और महोदय, आपने जो चर्चा की या चर्चा करवायी । आज समय है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हम जोर से करें क्योंकि कर्तव्यों की चर्चा अगर नहीं होगी, सिर्फ अधिकारों की बात होगी, तो अधिकार निरंकुश हो जाता है । समाज मे टकराव होता है, समाज में तनाव होता है । अगर सिर्फ सब लोग अपने अधिकारों की ही बात करते रहे और आपने मैं जहां तक समझता हूं या सरकार की जो सोच है कि आपके इस विमर्श कराने की पीछे मंशा भी यही है कि लोगों ने अपना दायित्व या कर्तव्य समझना शुरू कर दिया, तो समाज की टकराहट ही दूर हो जायेगी । शायद आपके ये सोचने का और इस विमर्श को कराने का मकसद है । क्योंकि ये जो अधिकार हैं, जैसा हमने कहा समाज का दिया हुआ और राज्य के द्वारा संरक्षित, यह हमारा अधिकार है । लेकिन ये कर्तव्य जो है, कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है और महोदय, इसीलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा ही सार्थक विमर्श कराया और हम समझते हैं और सरकार की तरफ से पूरी शुभकामना, जो आसन इस चर्चा को कराकर अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में सफल हो । इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर से आसन को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो भाव था और सभी सदस्यों का जो भाव है ये अपने बिहार के हर विद्यालय तक पहुंचेगा । अधिकार और कर्तव्य की चर्चा हर विद्यालय तक हो । माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपका भी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी विस्तार से दो घंटे से हम सब भारत के संविधान में जो अधिकार आम नागरिकों को प्रदत्त हैं और उसके क्या दायित्व हैं इसकी चर्चा हो रही थी और पांच भी बजने को हैं । इसलिए हमें भी अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है..

अध्यक्ष : अपनी पूरी बात को कहिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : पूर्व के अपने विद्वान वक्ताओं ने विस्तार से इसकी चर्चा की है और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती भी है कि संविधान पर आप जितनी चर्चा करेंगे लगता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, आप जितनी चर्चा इस पर करेंगे लगेगा कि गोता आप लगाते जायं, मोती मिलते जायेंगे, लेकिन उसका अंत नहीं होगा । ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है और भारतीय संविधान की खूबसूरती इसलिए है कि संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जैसे लोग रहे हैं, बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोग रहे हैं और जिस बिहार की धरती पर आज अधिकार और कर्तव्य की चर्चा ऐसे सदन में हो रही है, यह सदन जो पूरे बिहार के आम लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रखता है । उनके जो अधिकार हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, उसका यहां के नागरिक ही बोध कराते हैं और पांच वर्षों पर यहां के नागरिक ही हमें बोध कराते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य था और कहां पर हम चूके और बहुत सारी चीजें बदल दी जाती हैं । महोदय, इतना हम जरूर कहेंगे कि आज सदन में इस तरह की चर्चा, कहीं-न-कहीं सदन को एक करने में एक बड़ा इस चर्चा का योगदान रहा है । मुझे लगता है कि बिहार विधान सभा है या बिहार विधान मंडल है इसमें लंबे समय से कई एक ऐसे क्षण आये होंगे जहां हम सब एक हुए हैं, कई मामलों में एक हुए हैं, समय की कमी के कारण उसकी चर्चा नहीं करना चाहता । लेकिन इतना है कि आज कहीं-न-कहीं पूरा सदन एक है और आपका जो मकसद था, लगता है कि उस ओर आप सीधे बढ़ ही गये हैं कि आने वाले दिनों में खासकर हम विधायक हैं, विधायक का काम ही है विधान बनाना और जब विधान बनाने की हम बात करते हैं (क्रमशः)

टर्न-31/धिरेन्द्र/26.03.2022

(क्रमशः)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : और जिस विधान के निर्माण से विधायिका चलती है या राज्य चलता है तो स्वाभाविक है कि नागरिकों के साथ-साथ अपना जो कर्त्तव्य है, उसका बोध हम निश्चित रूप से करें । यह कहीं-न-कहीं आहट और एहसास आप हम सबों को कराना चाहते हैं और ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से कहा भी है कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें अधिकार की चर्चा विस्तार से की गई लेकिन

कर्त्तव्य बोध का कहीं-न-कहीं उल्लेख नहीं था जिसे बाद में उसे अंगीकार किया गया 51(क) में, उसको समाहित किया गया है भाग-4 में लेकिन उसके बाद महोदय जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कानून आयोग भी बना था, जिसमें कि उन्होंने भी विस्तार से अपनी सिफारिशें की हैं जिसमें लोगों को अपने अधिकार के प्रति उसकी जागरूकता को कैसे हम सर्वव्यापी कर सकें, आम लोग कैसे जागरूक हों कि उनके जो अधिकार हैं और उनका क्या कर्त्तव्य है, उन्हें बोध होना चाहिए । ये सारी चीजें दिखनी चाहिए और इसके कारण आज संविधान का यह स्वरूप भी आया है और वास्तव में आप सुने ही होंगे, हम सब बचपन से भी पढ़ते ही रहे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह हम सबों के लिए गौरव की बात है । अंत में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जिस बहस को छेड़ा है यह बहुत दूर तक जायेगी क्योंकि यह बहस की अभी शुरूआत है और दूर तक जायेगी और विगत 12-13-14 महीनों का जो कार्यकाल है इस विधान सभा का, उसमें आपके खट्टे और मीठे जो अनुभव हैं और आज का भी जो अनुभव हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसे विषय लाये जहां पूरा सदन आज एक होकर अपनी बातों को कह रहा है जो इस सदन की यही खूबसूरती रही है और इस खूबसूरती को और कैस हम उसको एक नवजीवन दें और इसे अमृत स्वरूप में लायें क्योंकि यह आजादी का अमृत महापर्व है, अमृत महोत्सव है, आजादी के 75 वर्ष को हमने पूरा किया है । आजादी के बाद का जो पूरा कालखंड है कहीं-न-कहीं प्रौढ़ावस्था में चला गया है और यह हम सबों के लिए भी एक चुनौती है और चेतना, कहीं-न-कहीं एक चेतनाशील नागरिक के नाते कि हम जब 75 वर्ष बिता कर एक प्रौढ़ स्वरूप में बिहार या भारत की यह पीढ़ी आयी है तो फिर मुझे लगता है कि अब सीधे हमें अपने दायित्वों का बोध करना चाहिए कि हम ट्रेन पर तो चढ़ते हैं लेकिन जब कोई अपनी मांग का तो उस ट्रेन को रोक देते हैं तो हमारा यह जो कर्त्तव्य है कहीं-न-कहीं हम इस कर्त्तव्य को नहीं जान रहे हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति की कैसे रक्षा करें । महोदय, सिर्फ एक छोटा-सा उदाहरण भी, इसलिए अपने जो दायित्व, कहीं-न-कहीं संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिला है तो उसका कर्त्तव्य बोध और कैसे बेहतर ढंग से भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, बिहार की विधायिका मजबूत हो, इसी की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ लेकिन यह पूर्ण समाप्त नहीं है बहस अभी आगे जारी रहेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान)

अब नहीं । प्लीज, आग्रह है बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आज मुझे यह कहते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है, हम सभी सभासद संवैधानिक अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विमर्श किये। इस विमर्श से आपके विचारों, सुझावों और सृजनात्मकता की श्रेणी निकलेगी, वह दूर तक और देर तक राजनीति के साथ लोकनीति के संगम को प्रभावित करेगी । इतिहास साक्षी है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्थक विमर्श ने अनेक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों का निर्माण किया है जिस पर चलकर भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है । बिहार ने हमेशा इस संदर्भ में अग्रणी और प्रभावी भूमिका निभाई है । माननीय सदस्यगण, आज यह कार्य जो हम करा रहे हैं आपका सदन समाप्त होगा विक्रमी संवत् का नववर्ष का प्रारंभ और चैती दुर्गा पूजा के बाद गुवाहाटी में पूरे देश के स्पीकर की बैठक होने जा रही है । इसका संदेश पूरे देश तक जायेगा, इसकी चर्चा पूरे देश के लोगों के सामने होगी । अपना देश, अपना राज्य समृद्ध बौद्धिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासतों से आच्छादित है । वेद, पुराण, गीता, रामचरितमानस सहित सभी धर्मग्रंथों का जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमारे समाज की अवधारणा ही कर्म प्रधान मानी गई है । गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा–

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।''

अर्थात् कर्म के अधिकारी हैं, हमें फल की चिंता किये बगैर कर्म करना चाहिए । रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा' सभी मनुष्यों ने कर्म को प्रधानता दी है, कर्म को ही पूजा माना गया है, Work is Worship, स्पष्ट है हमारे समाज की मूल धुरी कर्म पर टिकी हुई है । महात्मा विदुर से लेकर चाणक्य तक और 19वीं सदी के महान संत स्वामी विवेकानंद से लेकर महान संत और दार्शनिक, महात्मा गांधी ने सभी कर्म को प्रधानता दी है । हम 'वसुधैव कुटुम्बकं' अर्थात् पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं । हमारे लिए मैं का कोई स्थान नहीं है । कुछ अधिकार हमें जन्म से पहले और कुछ अधिकार जन्म के बाद स्वतः प्राप्त हो जाते हैं लेकिन कुछ अधिकार हमें भारतीय संविधान ने भी दिया है, भारतीय संविधान ने हमारे कर्त्तव्यों को भी परिभाषित किया है जो अभी हमारे कई वक्ताओं ने बताया कि संविधान बनने के बाद भाग–4 में मूल कर्त्तव्य को जोड़ा गया । योग्य व्यक्ति के पास अधिकार स्वयं चला आता है, नैसर्गिक रूप से अपनी उन्नति के लिए हम अधिकारों की बात बहुत करते हैं परन्तु खेद है कि उसी समय हम अपने कर्त्तव्यों को भूल जाते हैं । हम जब भी अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार की बात दिल से, आपकी आत्मा से निकलती है

लेकिन सभी के लिए लेकिन वही अधिकार की बात करते हुए आपकी आत्मा के एक कोने में आपको सावधान करता है कि आपने कर्त्तव्य का क्या पालन किया क्योंकि आप जन-प्रतिनिधि हैं, आप समाज के मार्गदर्शक हैं, लाखों लोगों के विश्वास को जीतकर आप आते हैं, वह विश्वास न टूटे, इसलिए हमको अपने कर्त्तव्य बोध का आभास आवश्यक है। आजादी के 75 वर्षों में, अभी ठीक कहे सदन के दोनों पक्ष के सभी सदस्य कि हम लंबी सफर तय किये हैं । इस 75 वर्ष की दूरी, लोग कहते हैं कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के एज में हम पहुँच जाते हैं लेकिन 75 वर्ष यह देश का जब हुआ है तो स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी में घोषणा किये थे एक महान संत, दार्शनिक, भविष्य वक्ता कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा और यह सुखद संयोग है कि आज इस 21वीं सदी में दो-तिहाई आबादी लगभग युवाओं की है । युग के वाहक, युग परिवर्तन करने वाले लोग खड़े हैं जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं । कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, इस जिम्मेवारी का बोध 19वीं सदी में भविष्यवाणी की गई और हमको क्या कर्त्तव्य निभाना है, जिस पद पर हैं, जिस जिम्मेवारी में हैं, क्या उस जिम्मेवारी में आत्म-मंथन करने की जरूरत है कि हम ईमानदारी से इस 21वीं सदी के 21 वर्ष को पार कर चुके हैं सफर का और भारत की आजादी के 75 वर्ष पार कर चुके हैं लेकिन शताब्दी वर्ष जब मनायेंगे, वह 25 वर्ष मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना चुनौतीपूर्ण है, दो-तिहाई आबादी हमारे, आपके परिवार के सदस्य चौराहे पर खड़े हैं । चौराहे पर खड़ी आबादी को हमको आपको मिलकर के उसके आत्मबल को बढ़ाना है

(क्रमशः)

टर्न-32/संगीता/26.03.2022

(क्रमशः)

अध्यक्ष : आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, पुरातन पहचान को बढ़ाना है तथा भविष्य के उत्थान की नई दृष्टि उनको देना है, ये हम सबों की जिम्मेवारी है । हम कहना चाहेंगे कि अगर हम अपने इस कर्त्तव्य से विमुख हो गए तो नतीजा समाज के सामने एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है हम सब इसपर लंबे-लंबे बयान देते हैं लेकिन इस गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन का ये 25 वर्ष में कर्तव्य का पालन करने का एक बार संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त करना होगा । अब समय

आ गया है कि अगले 25 वर्षों तक राष्ट्र प्रथम का भाव रखकर हमें अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करना होगा ताकि हम सब आजादी का 100वां साल मनाने और तब उस कर्तव्य के बल पर महान संत स्वामी विवेकानन्द जी के सपनों को साकार कर सकें । भारत की दो-तिहाई आबादी जो युवाओं की है, जिसके कौशल, जिसके हुनर को, जिसकी आत्मनिर्भरता को जिसको रोजगार के लिए ही आंदोलित हम नहीं करें, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, यह माहौल खड़ा करना सभी की जिम्मेवारी है और आज जो रोजगार के लिए आज हमने आपके बीच विधायकों के लिए आप सबकी सहमति से, सबके सहयोग से जो कार्य प्रारंभ किया, बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष में भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर-कमलों से भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर सामाजिक-नैतिक संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ, हम सभी उसके गवाह थे । हम सबने उनकी वाणी को सुना है कि बिहार हमेशा देश को नहीं दुनिया को मार्गदर्शन दिया है, बिहार इस 21वीं सदी के राष्ट्र के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ेगा और पांच सामाजिक अभिशाप से मुक्त, सामाजिक वरदान से युक्त, सामाजिक सम्मान से पूर्ण के पथ पर बढ़ेगा यह हमारा आपसे आग्रह है, जो मूल कर्तव्य है, संविधान मिला है 22 उसके अध्याय हैं, पाठ हैं, आप पढ़ेंगे हिन्दी में है और ये बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा । ये लोकसभा से विशेष आग्रह पर, लोकसभा अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने इसको लाए थे और उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की जननी गणतंत्र की धरती को यह पहला उपहार हम भेंट करेंगे और आज बिहार विधान सभा ने उसको मंगाकर आपलोगों को दिया है । हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि :

'' हम सभी संवैधानिक पथ पर चलने को हौसला तो करें
दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करें ।''
हम सबों के साथ बिहार की जनता की आशीर्वाद और दुआएं साथ हैं ।''

इन दुआओं को लेकर एक सकारात्मक वातावरण के साथ हम सभी संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ फिर ऋतुओं के राजा बसंत उत्सव के माहौल में सुरूचि भोजन के साथ 30 तारीख को संध्या बेला में मिलेंगे और इस बार जो कमिटी का गठन भी होगा, उस कमिटी में जो हुनरमंद जिस विशिष्टता से जो भरे हैं, उनको भी हम प्राथमिकता देंगे और अब नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 56 है, अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।